लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

7 मार्च , 1968 । 17 फाल्गुन , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
956	नीचे से चौथी पंक्ति में `24 फरवरी,` के स्थान पर `4 फरवरी ,` पढ़िये ।
997	ऊपर से ग्यारहवीं पंक्ति में मटर के सामने `600` के स्थान पर `300` पढ़िये ।
1019	नीचे से 9वीं पंक्ति में 1964-65 के नीचे `59.5` के स्थान पर `595` पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

12 फरवरी, 1968 / 23 माघ, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
179	नीचे से नवीं पंक्ति में `अध्यक्ष` के स्थान पर `उपाध्यक्ष` पढ़िये ।
185	पंक्ति पांच के बाद निम्नलिखित पढ़िये :

"________________"

[redacted] - जारी

The Insecticide Bill - contd .

विषय-सूची/Contents

अंक 13–गुरुवार, 7 मार्च, 1968/ 17 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 13, Thursday, March 7, 1968/ Phalguna 17, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
479.	भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj	949-956
480.	विश्व तामिल सम्मेलन के अवसर पर डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Stamps on World Tamil Conference	956-958
481.	मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा	M/s Burn and Co. Howrah	958-961
482.	काश्मीर में आम चुनाव	General Elections in Kashmir	962-963

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
483.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	Delhi Wakf Board	963-964
484.	अनौपचारिक सलाहकार समिति	Informal Consultative Committees	964
485.	दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार	Improvement in Telephone System in Delhi	964-965

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
486. कपड़ा मिलों द्वारा मजूरी में कटौती	Wage Cut by Textile Mills	965
487. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में छंटनी	Retrenchment in ICAR	965
488. चावल मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Rice Mills	965-966
489. भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन	Election of President and Vice-President of India	966
490. विदेश संचार सेवा	Overseas Communications Service	966-967
491. उर्वरकों पर राज सहायता	Subsidy on Fertilisers	967-968
492. होटलों में अनाज से खाद्य पदार्थ बनाने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Use of Cereals in Hotels	968
493. पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति	Food Situation in West Bengal	968
494. गन्ने की खेती	Sugarcane Cultivation	968-969
495. दिल्ली में अतिथि नियंत्रण आदेश	Guest Control Order in Delhi	969
496. पंचायती राज संस्थाएं	Panchayati Raj Institutions	969-970
497. पंचायती राज कार्यक्रम	Panchayati Raj Programme	970
498. चीनी के दाम	Price of Sugar	970-971
499. उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilisers	971
500. जम्मू तथा काश्मीर में नामांकन पत्रों के अस्वीकृत किए जाने में अनियमिततायें	Irregularities in rejection of Nomination Papers in Jammu and Kashmir	971-972
501. डाक विभाग में रनर्स की विधवाओं को पेंशन	Pension to Widows of Runners in Postal Department	972
502. बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act	972-973
503. दिल्ली में राशन की दुकानों से चीनी और चावल का न दिया जाना	Non-issue of sugar and rice from Ration Shops in Delhi.	973
504. उर्वरकों का आयात	Import of Fertilisers	973-974
505. एपीजे शिपिंग लाइन्स	Apeejay Shipping Lines	974

तारा० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
506.	दिल्ली में कानूनी राशन व्यवस्था	Statutory Rationing in Delhi.	975
507.	एपीजे शिपिंग लाइन्स	Appejay Shipping Lines.	975
508.	अनाज के मूल्य	Prices of Foodgrains	975-976

अतारा० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3107.	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय	Indian Repartriates from Burma	976
3108.	सुधरे हुए बीज खरीदने के लिये ऋण	Loan as instance for purchase of Improved Seeds.	976
3109.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और धान की वसूली	Procurement of Paddy and Rice by Food Corporation of India	976-977
3110.	ड्रिलों का आयात	Import of Drills	977-978
3111.	कृषि-कार्यों के लिए डीजल तेल	Diesel Oil for Agricultural purposes	978
3112.	दिल्ली में लगान की समाप्ति	Abolition of Land Revenue in Delhi	978-979
3113.	छोटी जोतों पर से लगान हटाना	Abolition of Land Revenue on Small Holdings	979
3114.	केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड	Central Soil Conservation Board	979-980
3115.	टेलीफोन उपकरणों का निर्यात	Export of Telephone Equipment	980
3116.	रोजगार दफ्तर	Employment Exchanges	980-981
3117.	केरल संयुक्त मोर्चा समन्वय समिति के प्रतिनिधियों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from the Representatives of Kerala United Front Co-ordination Committee	981
3118.	फलों की खेती	Fruit Cultivation	981
3119.	बागवानी संस्था	Institute of Horticulture	981-982
3120.	दिल्ली में हिन्दी टेलीफोन	Hindi Telephone Directory in Delhi	982
3121.	फलों के रोग	Fruit Diseases	982-983
3122.	दिल्ली में टेलीफोन	Telephone connections in Delhi	983-984
3123.	पंजाब में मक्का के गोलमाल में अन्तर्ग्रस्त भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी	F. C. I. Officers involved in Maize Racket in Punjab	984

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3124.	सूती कपड़ा उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board on Cotton Textile Industry	984
3125.	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग तथा धातु कर्मचारियों की हड़ताल	Engineering and Metal Workers' Strike in West Bengal	985
3126.	खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains	985
3127.	कानपुर में राशन व्यवस्था	Rationing in Kanpur.	986
3128.	अमरीकी सूचना सेवा के कार्यालयों में टेलीप्रिन्टर मशीनें	Teleprinter Machines in USIS Offices	986
3129.	दिल्ली दुग्ध योजना की विस्तार योजना	D. M. S. Expansion Plan	986-987
3130.	कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर	Agricultural University, Pantnagar	987
3131.	किसानों को तरल अमोनिया की सप्लाई	Supply of Liquid Ammonia to Farmers	987
3133.	दिल्ली में चीनी की सप्लाई	Sugar Supply in Delhi	987-988
3134.	जापान के साथ कृषि संबंधी सहयोग	Agricultural Co-operation with Japan	988-989
3135.	गेहूँ और आटे की सप्लाई	Supply of Wheat and Atta	989
3136.	गेहूँ मक्का का आयात	Import of Wheat and Maize	989
3137.	पंजाब, हरियाना तथा राजस्थान से अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना-ले जाना	Movement of Foodgrains from Punjab, Haryana and Rajasthan	990
3138.	मरुभूमि विकास बोर्ड	Desert Development Board	990-991
3139.	भारत के खाद्य निगम द्वारा लाल मिर्चों की खरीद	Procurement of Chillis by Food Corporation of India	991
3140.	भारत के खाद्य निगम द्वारा दालों की वसूली	Procurement of Pulses by Food Corporation of India	991-992
3141.	श्रमिकों की मजूरी	Labour Wages	992
3142.	सिंचाई योजनाओं के लिये उदारता से धन का नियतन	Liberalisation of Funds for Irrigation Schemes	992-994

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3143.	राज्यों में भूमि का अर्जन	Land Acquisition in States	994
3144.	दण्डकारण्य परियोजना में डाक और तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to P & T Employees in Dandakranya Project	994
3145.	मध्य प्रदेश में रात्रि डाकघर	Night Post Offices in Madhya Pradesh	994
3146.	दिल्ली में नकली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards in Delhi	995
3147.	मध्य प्रदेश के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Madhya Pradesh	995
3148.	मेरठ और दिल्ली टेलीफोन लाइन	Delhi Meerut Telephone Line	995-996
3149.	अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण	All India Soil and Land use Survey	996
3150.	उड़ीसा में बारगढ़ में सहकारी चीनी मिल	Co-operative sugar Mill at Bargarh (Orissa)	996
3151.	सहकारी खेती	Co-operative Farming	996
3152.	हीराकुंड क्षेत्र में केन्द्रीय बीज फार्म	Central Seed Farm in Hirakud Area	997
3153.	चावल की मिलें	Rice Mills	997
3154.	डाक द्वारा तार भेजना	Telegraphic Messages by Post	997-998
3155.	सहकारी सुपर बाजार	Co-operative Super Bazars	998-999
3156.	दिल्ली में मजदूरों के लिए चीनी का कोटा	Sugar Quota of Labour Population in Delhi	999
3157.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by DMS Employees	999-1000
3158.	रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exhange	1000
3159.	दिल्ली में सब्सक्रायबर्स ट्रंक डायलिंग सिस्टम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against S. T. D. System in Delhi.	1000
3160.	किसानों को कृषि-ऋण	Agricultural Credit to Farmers	1001
3161.	अनाज की प्रति एकड़ उपज	Per Acre Yield of Cereals	1001-1002
3162.	खान-पान की आदतें	Food Habits	1002
3163.	चावल खाये जाने वाले क्षेत्रों में गेहूँ खाने वाले लोग	Wheat-eating People in Rice-eating Areas	1002

अता० प्र० संख्या
U. S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3164.	बहु-पत्नी और बहु-पति प्रथा	Polygamy and Polyandry	1002-1003
3165.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का व्यय	Expenditure on Ministry of Food, Agricultural Community Development and Co-operation	1003
3166.	मध्य प्रदेश में तल के पास से मछली पकड़ने का उद्योग	Offshore Fish Catching in Madhya Pradesh	1003
3167.	वनस्पति घी तैयार करने के लिये लासेंस	Licences for Vanaspati Manufacture	1003-1004
3168.	मध्य प्रदेश में विकास खण्ड	Development Blocks in Madhya Pradesh	1004
3169.	टेलीफोन विभाग के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Telephone Department	1004-1005
3170.	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध संग्रह केन्द्रों में हड़ताल	Strike in Delhi Milk Scheme Milk collecting Centres	1005
3171.	अन्तर्जातीय विवाह	Inter-caste Marriages	1005
3172.	पूर्णा (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Office at Purna (Orissa)	1005-1006
3173.	राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की नीलामी	Auction of Foodgrains by Food Corporation of India in Rajasthan	1006
3174.	भारत संहिता	India Code	1006-1007
3175.	सरकारी प्रक्षेत्र	State Farms	1007-1008
3176.	कृषि विकास योजनायें	Agricultural Development Schemes	1008
3178.	राजस्थान के सीमावर्ती गाँवों में विभागीय डाकघर	Departmental Post Offices in Border Villlages of Rajasthan	1008
3179.	सूरतगढ़ कृषि फार्म	Agricultural Farm at Suratgarh	1009
3180.	लंकरनसर में स्वचालित टेलिफोन एक्सचेंज	Automatic Exchange at Lunkarnsar	1009
3181.	महिला कर्मचारी की डाक्टरी परीक्षा	Medical Examination of Women Workers	1009-1010
3182.	आसाम में डाक व तार विभाग की इमारतें	P and T Buildings in Assam	1010
3183.	आन्ध्र प्रदेश से चावल और धान का निर्यात	Export of Rice and Paddy from Andhra Pradesh	1010-1011

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3184.	कीट नाशक दवाइयों के लिये राज्यों को अल्पकालीन ऋण-सहायता	Short Term Loan Assistance to States for Pesticides	1011
3185.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में वनों में पूंजी विनियोजन से पहले उनका सर्वेक्षण	Pre Investment Survey of forests in Andaman and Nicobar Islands	1011
3186.	वन संरक्षक कार्यालय, अन्दमान	Office of Conservator of Forests, Andaman	1011
3187.	दिल्ली में गेहूँ तथा चावल की खुले बाजार में बिक्री	Open Market Sale of Wheat and Rice in Delhi	1012
3188.	खाद्यान्नों के क्रय तथा विक्रय मूल्य	Buying and Selling Prices of Foodgrains	1012
3189.	लगान की वसूली	Procurement of Levy	1012-1013
3190.	विभिन्न कानूनों में मूलभूत अधिकारों की रक्षा	Safeguarding of Fundamental Rights in various Legislatures	1013
3191.	माइलो अनाज का आयात	Import of Milo	1013-1014
3192.	सरकारी क्षेत्र की बेकरियाँ	Public Sector Bakeries	1014
3193.	उत्पादन के हिसाब से मजूरी का भुगतान	Linking Wages with Production	1014-1015
3194.	केरल में पाम्बा रीवर शूगर फैक्ट्री	Pamba River Sugar Factory in Kerala	1015
3195.	केरल राज्य में चीनी के कारखाने	Sugar Fatories in Kerala	1016
3196.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	1016
3197.	किसानों को ट्रांजिस्टर निःशुल्क वितरण करने की योजना	Scheme for Free Distribution of Transistors to Farmers	1017
3198.	बहादुरगंज में डाकघर की इमारत	Post Office Building at Bahadurganj	1017
3199.	बिशनपुर (पूर्निया जिला) में शाखा-डाकघर	Branch Post Office at Bishanpur district Purnea	1017

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3200.	गुलगालिया से विराटनगर तक संचार सुविधायें	Communication Facilities from Gulgalia to Viratnagar	1017-1018
3201.	त्रिचूर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quaters in Trichur	1018
3202.	बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट	Unlicensed Radio Sets	1018-1019
3203.	दिल्ली से चोरी-छिपे खाद्यान्नों का लाया जाना	Smuggling of Foodgrains into Delhi	1019
3204.	कोयला खान भविष्य निधि	Coal Mines Provident Fund	1019
3205.	कोयला खान भविष्य निधि	Coal Mines Provident Fund	1019-1020
3206.	रबी की फसल के लिये उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers for Rabi Crop	1020
3207.	भारत सेवक समाज की नागपुर शाखा में धन की कमी	Shortage of Funds in Nagpur Branch of Bharat Sewak Samaj	1020
3208.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation	1020-1021
3209.	कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Coal Wage Board's Award	1021
3210.	करनाल सहकारी परिवहन संस्था के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by workers of Karnal Co-operative Transport Society	1022
3211.	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्	National council of Applied Economics Research	1022
3212.	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Foodgrains to U.P.	1022-1023
3213.	उत्तर प्रदेश में मछली पालन उद्योग का विकास	Development of Fisheries in U.P.	1023
3214.	उत्तरप्रदेश में विद्युत् चालित करघों के कर्मचारी	Workers in Power Looms in U.P.	1023
3215.	विशेष डाक टिकटें	Special Stamps	1023-1024
3216.	दिल्ली में राशन की दुकानों पर गेहूँ का मूल्य	Wheat Price at Ration Shops in Delhi	1024

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3217.	उड़ीसा में किसानों के लिये लम्बी अवधि के कृषि-ऋण	Long Term Agriculturl Credit for Farmers in Orissa	1024
3218.	वर्ष 1967–68 में रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USA during 1967-68.	1024-1025
3219.	चैकोस्लोवाकिया और रूस के ट्रैक्टर	Czech and Russian Tractors	1025
3220.	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USSR	1026
3221.	उड़ीसा के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Orissa	1027
3222.	त्रिचर जिले में डाक व तार कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by P & T Employees in Trichur District	1027
3223.	वन्य पशुओं की हत्या	Slaughter of Wild Life	1027-1028
3224.	चीनी का उत्पादन	Manufacture of Sugar	1028
3325.	कलकत्ता के चिड़ियाघर में चीतों की मृत्यु	Death of Panthers in Calcutta Zoo	1029
3226.	रासायनिक उर्वरक	Chemical Fertilisers	1029
3227.	अपीजे शिपिंग लाइन्स	Apeejay Shipping Lines	1029-1030
3228.	अपीजे शिपिंग लाइन्स	Apeejay Shipping Lines	1030
3229.	औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities to Industrial Workers	1030
3230.	राजस्थान में चावल की मिलें	Rice Mills in Rajasthan	1031
3230-क.	कृषि औद्योगिक निगम	Agro-Industrial Corporation	1031-1032

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

4.	प्रादेशिक भाषाओं में डाक-प्रपत्र छापना	Printing of Postal Forms in Regional Languages	1032
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	-1032-1033
	नई दिल्ली में चीनी दूतावास के लाल रक्षकों द्वारा भारतीय पुलिस के काँस्टेबल के अपहरण के समाचार	Reported Kidnapping of Police constable by Chinese Embassy Red Guards.	
	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table.	1033
प्राक्कलन समिति	Esimates Committee	1033
बीसवाँ, इक्कीसवाँ, बाइसवाँ तथा पैंत्तीसवाँ प्रतिवेदन	Twentieth, Twenty-first, Twenty-Second and Thirty-fifth Reports	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1034
पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन	Fifteenth Report	
औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेन्स देने सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Reports on Industrial Planning and Licensing Policy	1034-1062
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shanti Lal Shah	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री तिरूमल राव	Shri Thirumala Rao	
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री हुमायून कबीर	Shri Humayun Kabir	
डा० मेलकोटे	Shri Melkote	
श्री रामअवतार शर्मा	Shri Ram Avtar Sharma	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
नेपाल में भू-स्खलन तथा बूढ़ी गंडक नदी में रुकावट पड़ जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re: Landslide and obstruction in the river Buri Gandak in Nepal	1063
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	
मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में हरिजनों पर अत्याचारों के समाचार के बारे में चर्चा	Discussion re: Reported Atrocities on Harijans in Bilaspur district of Madhya Pradesh	1064-1066
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्रीमती अगमदास गुरु मिनीमाता	Shrimati Minimata Agam Dass Guru	
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. Bhandare	

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 7 मार्च, 1968/ 17 फाल्गुन, 1889 (शक)

Thursday, March 7, 1968/ Phalguna 17, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत सेवक समाज को अनुदान

*479. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को उसके स्थापित होने से लेकर अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है; और

(ख) दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर इसको कुल कितने मूल्य की सरकारी भूमि तथा संपत्ति दी गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) भारत सेवक समाज ने अपनी कल्याण तथा दूसरी गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य अभिकरणों तथा राज्य सरकारों से अनुदान एवं ऋण और देश व विदेश से दान प्राप्त किए। लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सेवक समाज को उसके स्थापित होने से लेकर प्रत्येक वर्ष का अपना समकित लेखा प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। इस बारे में प्रयत्न करने के बावजूद, समाज ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और वभिन्न स्रोतों से इसकी कुल प्राप्तियों के बारे में पूर्ण तथा प्रमाणिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। समाज के मामलों की जाँच करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अब तक मिली सूचना के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य अधिकरणों द्वारा समाज को दिए गए अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित जानकारी अनुबन्ध 1 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 374/68]**

(ख) भारत सेवक समाज को दिल्ली तथा अन्य स्थानों में दी गई भूमि तथा सम्पत्ति के मूल्य का पता लगाया जा रहा है और उसकी प्रमाणिकता की जाँच की जा रही है। तथापि, समाज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में उसके पास जो भूमि है, वह अनुबन्ध 2 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 374/68]**

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत सेवक समाज, जिसे आप भारत प्रयोग समाज भी कह सकते हैं, श्री नन्दा, जिन्हें मानसिक शान्ति प्राप्त हो, यह उनका ही उपक्रम है जो कांग्रेस के समानान्तर एक सशक्त संगठन निर्मित करना चाहते थे।

श्री कन्डप्पन : योजना आयोग के समानान्तर।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सिद्धान्त से तो यह लोकोत्थान की संस्था थी, परन्तु वस्तुतः उसका उद्देश्य राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये एक औद्योगिक साम्राज्य बनाने का था। संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण हुआ था, हालाँकि सरकार ने इसे योजना आयोग के एक अंग का रूप दिया था।

केन्द्रीय सरकार ने किसी लेखा परीक्षण व जाँच के बिना इसे 230 लाख रुपए से अधिक धन दिया। उन्होंने सामान्य वित्त नियम संख्या 149 (3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने भी इसे 28.701 रुपए दिए परन्तु जिस निश्चित उद्देश्य के लिये प्रचार किया गया था सरकार का वह उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, भारत सेवक समाज का उद्देश्य पूरा हो गया। पश्चिमी बंगाल में श्री अशोक सेन भारत सेवक समाज के मुखिया थे तथा उन्होंने भारत सेवक समाज के धन से अपने चुनाव-व्यय पूरे किए।

अध्यक्ष महोदय : आप तो मंत्री महोदय को जानकारी दे रहे हैं। आप भारत सेवक समाज का सारा इतिहास तो स्वयं बता रहे हैं परन्तु प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन स्थितियों में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या भारत सेवक समाज को कर सम्बन्धी कोई छूट दी गई है? यदि हाँ, तो किन नियमों के अन्तर्गत तथा वह रकम कितनी है; और क्या कोई रकम बकाया है?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : विस्तृत समेकित लेखा अभी उपलब्ध नहीं है। अतः मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि भारत सेवक समाज को क्या रियायतें दी गई हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तो आपको प्राप्त हो चुका है। कृपया यह बहाना मत कीजिये कि आपको इस बारे में पता नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की मुझे जानकारी है। मैं तो केवल यह कहता हूँ कि मेरे पास अभी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने पर भी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके, मंत्रालयों व योजना आयोग द्वारा और अनुदान दिए गए हैं; यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : लोक लेखा आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने के पश्चात् से भारत सरकार ने भारत सेवक समाज को सब प्रकार के ऋण व अनुदान देने बन्द कर दिये। जहाँ तक प्रतिबन्ध के उल्लंघन का प्रश्न है मैं समझता हूँ, भारत सेवक समाज को धन देना बन्द कर दिया गया है। योजना आयोग तक ने भी रोक दिया है।

श्री कन्डप्पन : मंत्री महोदय का वक्तव्य उनकी बात का प्रतिवाद करता है।

श्री रंगा : मैं एक प्रक्रिया संबंधी प्रश्न पूछता हूँ। उस दिन आपने आग्रह किया था कि इनको जानकारी तैयार रखनी चाहिये। श्री हनुमन्तैया ने भी कुछ रोचक टिप्पणियाँ की थीं। आज भी ये आ कर कहते हैं कि हमने जानकारी एकत्रित नहीं की है। यद्यपि इन्होंने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है तो भी इनके पास परीक्षित लेखा नहीं है। क्या यह ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसे अनुभव किया है। यह दुर्भाग्य की बात है। पिछली बार समाज-कल्याण मंत्री उत्तर दे रहे थे और मैंने कहा था कि जानकारी एकत्रित करें।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I seek your guidance. In the 34th Report of the Public Accounts Committee, in which Government's action-taken report, a copy of which is with me, has also been included, is connected with two or three ministries about whom Shri Gurupadaswami is replying. I don't want to disrespect him but it was essential that the Head of the Government.—The Prime Minister—should have been present here to answer our questions. I want to put this question to the Hon. Minister whether his attention has been drawn to G.F.R. 149 (3) which provides that it will be essential for the organisation, which will be given grants by the Government to submit their audited accounts. The accounts were not submitted. After that the P. A. C. clarly stated that if they did not send their audited accounts within six months, no grants should be given to them. Later on, you had also agreed to it and the Government fixed the last date as 30th September, 1966 in its action-taken report a copy of which is now with me. Even after this, the assurances of the Government and the recommendations of the P. A. C. where violated. I want to ask from the Minister whether he will stop the grants with immediate effect and levy income-tax on them as recommended by the P. A. C. and also appoint an inquiry commission against the Ministers and officers connected with the Bharat Sewak Samaj. Reply should be given for these three point.

Shri Jagjiwan Ram : As stated just now grants have been stopped from all sides. Grants have been stopped.......

Shri Madhu Limaye : Since when? From which date ?

Shri Jagjivan Ram : We canot state the date. We will tell it after ascertaining it from the records.

Shri Madhu Limaye : It should have been stopped with effect from the 30th September, 1966.

Shri Jagjiwan Ram : We shall tell after checking it up.

Shri Kanwar Lal Gupta : But grants have been paid in 1966-67.

Shri Jagjiwan Ram : That is why I said that I could not tell just now as to since which date it was stopped. We have this difficulty also........

अध्यक्ष महोदय : यदि तारीख नहीं तो क्या आप वर्ष बता सकते हैं?

Shri Jagjiwan Ram : The responsibility has come over to our Ministry just five-seven days earlier........

Shri Madhu Limaye : Well see, what should we do for it ? Is not the Prime Minister your chief ?........

Shri Jagjiwan Ram : Listen please, let me finish first.

Shri Madhu Limaye : Where is the Government Chief ?

Shri Jagjiwan Ram : I am replying, Chief is not necessary. We are here to make you understand.

Shri Madhu Lamaye : There is nothig in it to make us understand. It is a matter of responsibility, are you ready to hear it ?

Shri Jagjiwan Ram : Yes Sir. I am speaking with due reponsibility. That is why I have said that I do not have the information about the date with effect from which it was stopped. I shall inform the House after getting it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why don't you have the information? This question has been being asked since long......

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिये। आप इस प्रकार नहीं उठ सकते। आप बैठ जायें। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार बाधा नहीं डाल सकते।

Shri Hukam Chand Kachwai : How since has it been being asked? Information should have been gathered.

Shri Jagjiwan Ram : I have said that the grants have been stopped. I shall give you the date after consulting the records. They have been asked to submit consolidated accounts. Something has been given by them but that is not fully satisfactory, therefore some more has been asked for. It is however......

Shri Jyotirmoy Basu : How many years will be required ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधानों का नहीं प्रत्युत प्रश्न का उत्तर दें।

Shri Jagjiwan Ram : So, Shri Madhu Limaye is correct in referring the G.F.R., that audited accounts should have come every year and grants should have been paid only after making its scrutiny which was never done. But I am looking into the further necessary action to be taken. There had been a committee of officers also and that too has come in the picture.We have received it recommedation and I am looking into it as to what further action should be taken.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, he has replied to one of my questions. He has told that the grants have been stopped but he cannot tell since what date. Anyway, let it, but I had asked whether income-tax will be levied on the Bharat Sewak Samaj as recommended by the P. A. C. and whether an impartial inquiry Commission will be set up against the guilty Ministers and officers ? I want a reply to it.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : 29 तारीख को भी लोक-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में हमने बताया था कि भारत सेवक समाज के सारे मामलों की जाँच करने के लिये हम जाँच कराने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री मधु लिमये : समिति या आयोग ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा, भारत सेवक समाज सम्बन्धित प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो योजना आयोग से हमारे मंत्रालय के पास गत मास की 16 तारीख को आया है। अतः हम भारत सेवक समाज के सब मामलों की जाँच कर रहे हैं।

जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा भारत सेवक समाज द्वारा प्रस्तुत उनके लेखा-विवरण से हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं परन्तु अभी हम उसकी जाँच कर रहे हैं। ज्योंही मामला स्पष्ट हो जायेगा. .

अध्यक्ष महोदय : आयकर के बारे में क्या है ? इस विषय में क्या वह कुछ कह सकते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह भी क पक्ष है। यह सब बातें सम्बन्धित हैं। जैसे मैंने कहा, हम विभिन्न पक्षों की जाँच कर रहे हैं, जैसे निर्माण पक्ष, निर्माण से अन्य बातें, भारत सेवक समाज के कल्याण व सुविधा कार्यक्रम--ये सब पक्ष हैं-- (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : चोरी भी. . . .

श्री जगजीवन राम : उनको ही मालूम होगा।

Shri Jyotirmoy Basu : We knew it when you decontrolled sugar.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुझे पता नहीं। उन द्वारा उठाये गए शेष प्रश्नों के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है हमने सभा-पटल पर रख दी है। विवरण माननीय सदस्यों के लिये उपलब्ध है।

श्री हेम बरुआ : भारत सेवक समाज की कटु आलोचना करते हुए, लोक लेखा समिति ने अपना प्रतिवेदन तीसरी लोक-सभा में दिया था ......

श्री मधु लिमये : 31 मार्च, 1965 को।

श्री हेम बरुआ : यह प्रायः तीन या चार वर्ष पहले की बात है जब कि लोक लेखा समिति ने लोकसभा को अपना प्रतिवेदन दिया। परन्तु इतने समय पश्चात् दिए गए वक्तव्य में कहा गया है--

"तीसरी लोक-सभा की लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुकरण में, भारत सेवक समाज से कहा गया है कि वह अपनी स्थापना के दिन से प्रत्येक वर्ष का संचित लेखा प्रस्तुत करे।"

तदुपरान्त यह भी है कि--

"समाज के मामलों की जाँच कराने का विषय भी विचाराधीन है।"

प्रायः चार वर्ष पूर्व लोक लेखा समिति जैसी समिति द्वारा भारत सेवक समाज के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गए फिर भी ये लोग इस विषय में सोते रहे तथा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब वे सभा को बता रहे हैं कि वे विचार कर रहे हैं कि भारत सेवक समाज के मामलों की जाँच कराई जाये । इस देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिये वे कितने समय में जागेंगे ? यही मैं जानना चाहता हूँ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अत्यधिक समय नहीं लगेगा। हमारे पास तो मामला अभी आया है। खामियाँ होंगी, भ्रष्टाचार के मामले हो सकते हैं ; हमें ज्ञात नहीं। यही तो जाँच का विषय होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही इसपर हम कोई निर्णय लेंगे......

श्री हेम बरुआ : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय कहते हैं कि भारत सेवक समाज के भ्रष्टाचार के बारे में उन्हें मालूम नहीं, जब कि लोक लेखा समिति ने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है। ये लोग इस सम्बन्ध में कब तक सोते रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न है। पिछले मास की 16 तारीख को मामला बदल कर इनके पास आया परन्तु यह केवल उनके ही मंत्रालय का प्रश्न नहीं है। इन तीन सालों में सरकार क्या

करती रही? यह श्री गुरुपदस्वामी अथवा किसी और का प्रश्न नहीं है। सरकार ने क्या किया है?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमारी जानकारी के अनुसार संचित लेखा प्राप्त करने के विभिन्न प्रयत्न किए गए हैं। योजना आयोग ने जन सहयोग पर समन्वय समिति की एक उप-समिति बनाई थी और उसने मामले को देखा। सितम्बर-अक्तूबर में उसकी एक बैठक हुई थी। तदुपरान्त योजना आयोग ने एक लेखा-कोष्ट भी गठित किया और उसने भी सारे मामले को देखा। इन दोनों समितियों ने यही पाया कि सारे लेखे को संचित करना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत सेवक समाज ने प्रत्येक विषय का अलग-अलग लेखा रखा है। वे इसी निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि लेखा संचित करना अत्यन्त कठिन होगा। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि उनको वर्ष 1962 से 1965 तक का तीन वर्ष का संचित लेखा प्राप्त हो गया है। अतः ये ऐसे मामले हैं जिन्हें अन्तिम रूप नहीं मिला है। (व्यवधान) अपेक्षित जाँच की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : चूंकि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है, भारत सरकार ने भारत सेवक समाज को परिसमाप्त करने के लिये प्रयत्न क्यों नहीं किया है?

श्री जगजीवन राम : भारत सेवक समाज का परिसमापन हमारे हाथ में नहीं है। किन्तु हमने उस संस्था को सभी अनुदान, ऋण, सहायता आदि देना बन्द कर दिया है और हम केवल यही कर सकते हैं। जहाँ तक पहले दी गई सहायता का सम्बन्ध है उसके बारे में जाँच की जा रही है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : भारत सेवक समाज को खाद्य विभाग को हस्तान्तरित करने के क्या कारण हैं जबकि समाज शब्द का अर्थ है इतना अच्छा जितना कि मेमना?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, इस सामुदायिक विकास विभाग को हस्तान्तरित किया गया है।

Shri K. N. Tiwary : If grants to Bharat Sewak are stopped, who will finance their social and welfare activities?

Shri Jagjiwan Ram : Either they will collect their own contributions or perforce discontinue their activities.

Shri Kanwar Lal Gupta : Since cases of embezzlement have been detected in the accounts of Bharat Sweak Samaj, do Government propose to have C. B. I. enquiry into the whole gaunt of things and suspend all aid to this organisation until it is done?

Shri Jagjiwan Ram : We are looking into the entire matter and will take whatever action is considered necessary. As regards grants, they have already been stopped.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : हम इस बात से सहमत हैं कि भारत सेवक समाज श्री मधु लिमये द्वारा बताये गए विषयों के अनुसार अपना हिसाब-किताब नहीं दे सका है। फिर भी, क्या भारत सेवक समाज सामाजिक सेवा नहीं करता रहा है और समाज के कमजोर अंगों की सहायता नहीं करता रहा है? क्या मैं माननीय मंत्री को यह सूचना दे सकता हूँ कि मद्रास राज्य में वहाँ की डी० एम० के० सरकार ने एक समृद्धि ब्रिगेड संगठित करने में, उसे धन मंजूर करके सहायता दी है?

श्री कन्डप्पन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। समृद्धि ब्रिगेड का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सेझियान : क्या यह सच नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी ब्रिगेड को सरकारी धन दिया गया है ? इस मामले में सरकार ने भारत सेवक समाज के लिये 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

श्री वेंकटासुब्बया : मद्रास के आय-व्ययक में प्रॉस्पेरिटी ब्रिगेड के काम की सहायता के लिये 10 लाख रुपए रखे गए हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या राज्य के विषय को यहाँ पर उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं : केवल तुलना की जा सकती है। डी० एम० के० के बारे में मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकते। वह केवल भारत सेवक समाज के बारे में ही कह सकते हैं।

श्री क० कृ० नायर : आप किस तरह पड़ताल करेंगे ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : भारत सेवक समाज एक सामाजिक सेवा संगठन है। 1966-67 से हमने ऋण और अनुदान देना बन्द कर दिया है। हम नहीं जानते कि मद्रास सरकार ने समृद्धि ब्रिगेड के लिये कोई राशि नियत की है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुछ वित्तीय नियमों का निश्चित रूप से उल्लंघन किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार केन्द्रीय जाँच विभाग की सहायता से जाँच कराने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ क्यों नहीं कहती है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच है कि लोक लेखा समिति ने अपने 34वें प्रतिवेदन में यह कहा था कि चूंकि भारत सेवक समाज के लेखे वित्तीय नियमों के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिये इस सभी अनुदानों और ऋणों का दिया जाना तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। तभी से हमने भारत सेवक समाज को अनुदान और ऋण देना बन्द कर दिया है। जहाँ तक जाँच कराने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम उस पर अभी विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यक समझा गया तो जाँच निश्चय ही की जायेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आपने लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की है या नहीं। मेरा प्रश्न तो यह है कि जब कि इस संस्था का हिसाब-किताब संतोषजनक नहीं पाया गया है तो सरकार यह क्यों कहती है कि जाँच कराने पर वह विचार कर रही है, यह क्यों नहीं कहती कि ऐसे निन्दनीय मामले की जाँच की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह बताया जा चुका है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् अधिकारियों की एक समिति ने भारत सेवक समाज के लेखों की जाँच की थी। जैसा कि मैंने बताया अब तक किए गए लेखे पूरी तरह संतोषजनक नहीं हैं। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस मामले में अग्रेतर जाँच आवश्यक होगी। जैसा कि मैंने आश्वासन दिया मामले का स्पष्ट चित्र सामने आते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रणधीर सिंह : क्या यह सच नहीं है कि भारत सेवक समाज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और यह कि इसके 95 प्रतिशत कर्मचारी और पदधारी गैर-कांग्रेसी हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच है कि भारत सेवक समाज बड़ा कल्याणकारी कार्य कर रहा है और इसने एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। (कुछ माननीय सदस्य उठे)—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। किसी अन्य समय पर इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा रखी जा सकती है।

Shri Madhu Limaye : That will not do. It is an issue of privilege. I have already given notice of my intention to bring a motion of privilege.

श्री रंगा : जबकि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जाँच कराने के लिये अनुरोध किया है फिर कोई जाँच समिति या जाँच आयोग नियुक्त करने में सरकार के मार्ग में क्या रुकावटें हैं? क्या माननीय मंत्री सभी राज्य सरकारों से भी कहेंगे कि वे भारत सेवक समाज को सभी अनुदान आदि देना बन्द कर दें?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मेरी जानकारी यह है कि राज्य सरकारों ने भी सभी अनुदान और ऋण बन्द कर दिये हैं। जहाँ तक जाँच कराने के मार्ग में रुकावट का सम्बन्ध है, हम उन सभी दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं जो योजना आयोग ने हमारे मंत्रालय को भेजे हैं। पिछले महीने 16 तारीख को ही हमपर यह जिम्मेदारी थोपी गई थी। इसलिये, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो जाँच भी की जायेगी।

Shri Gananand Thakur : Sir, I have been trying in vain to catch your eye for half an hour. I walk out in protest against your treating the new members casually.

श्री गुणानन्द ठाकुर सदन से उठकर चले गये।

Shri Gunanand Thakur then left the House.

विश्व तामिल सम्मेलन के अवसर पर डाक टिकटों का जारी किया जाना

*480 †**श्री यशपाल सिंह** : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व तामिल सम्मेलन के अवसर पर जारी की गई विशेष डाक टिकटें बेची जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितनी धनराशि वसूल हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि तामिलनाड के डाकघरों में बिक्री के लिये दिये गए इन डाक टिकटों को वापस ले लिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) बिक्री अभी चल रही है।

(ख) 24 फरवरी, 1968 तक 2,11,000.80 वसूल किए जा सके हैं।

(ग) और (घ) टिकटें पहले दिन ही अर्थात्, 3 जनवरी को तमिलनाड के डाकघरों में बेची गई थीं। स्थानीय प्राधिकारियों की मंत्रणा पर 4 जनवरी, 1968 से मद्रास राज्य के डाकघरों से वापस ले ली गई थीं।

Shri Yashpal Singh : Why did the Government change its decision, was it that there were some communal-minded people behind it ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : Government never changed its decision. We just acceded to the request of the local authorities to withdraw the sale of stamps from the post offices.

Shri Yashpal Singh : What amount of loss has been suffered by the Government owing to the stamps not having been sold ?

Shri I. K. Gujral : Government suffered no loss as those stamps are selling like hot cakes.

श्री कन्डप्पन: विभिन्न प्रदेशों के लोगों की भाषा सम्बन्धी भावनाओं को पूरा करने में सरकार का रवैया बड़ा खेदपूर्ण है। हाल ही में समाचार-पत्रों में यह खबर थी कि मेरे राज्य मद्रास को तमिल में तार देने की अनुमति नहीं दी गई । मुझे पता लगा कि डा० राम सुभग सिंह ने कार्यभार संभालने के पश्चात् अंग्रेजी और तमिल में तार तथा अन्य प्रपत्रों का छापा जाना बन्द करने के लिये हिदायतें जारी कीं। टिकटें जारी करने में बहुत से कारण हैं और डा० रामसुभग सिंह राज्य सरकार को एक अपराधी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तमिल को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है और यह भी. अन्य भाषाओं के साथ क राष्ट्रभाषा है। क्या तमिल अंकन की टिकट जारी करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जब कि तमिल भाषा के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह: प्रश्न का पहला भाग बिल्कुल निराधार है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं सभापटल पर क विवरण रखना चाहता हूँ। यह उस डाक-टिकट की प्रति है जो स्वयं मुख्य मंत्री ने हमें भेजी है। थिरुकुरल शब्द को छोड़ कर, जो तमिल में प्रतीत होता है, इस पर तमिल में कुछ नहीं है। वह भारत सरकार की जिम्मेदारी की बातें करते हैं। तमिल सम्मेलन के महासचिव ने इस पर स्वयं अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हैं। क्या श्री कण्डप्पन अपनी जिम्मेदारी भारत सरकार पर थोपना चाहते हैं और विशेष रूप से डाकतार विभाग पर अपने पाप छिपाने के लिये ?

श्री सेझियान: माननीय मंत्री कहते हैं कि क्योंकि उस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे। हम अंग्रेजी में इसलिये बोलते हैं कि आप केवल अंग्रेजी समझ सकते हैं, तमिल नहीं समझ सकते। अब मैं तमिल में एक प्रश्न करता हूँ और आप अपनी भाषा में इसका उत्तर दीजिये।

Shri Madhu Limaye : Translation should be arranged.

श्री सेझियान: तमिल भाषा में बोले ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री सेझियान: संविधान की धारा 120 के अन्तर्गत एक सदस्य को तमिल में बोलने का अधिकार है और इसीलिये मैं तमिल में बोला। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हिन्दी के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है। क्या सरकार द्वारा भेजे गए टिकट के चित्रों में कोई हिन्दी का अंकन था या उसमें हिन्दी का अंकन सरकार द्वारा रखा गया था ? मद्रास राज्य के सम्बन्ध में अब तक जितनी टिकटें जारी की गई हैं उनमें किसी में भी हिन्दी का अंकन नहीं था। इस सम्मेलन

के अवसर पर पहली बार उस टिकट में हिन्दी का अंकन रखा गया। राज्य सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया।

डा० राम सुभग सिंह : मैं बड़े उत्साह से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और संचार मंत्रालय संवैधानिक नियमों को अपेक्षा से अधिक बल्कि माननीय सदस्य से भी अधिक मान देते हैं।.. ....(**व्यवधान**) सरकार की नीति यह है :—वर्ष 1954 से पूर्व हर चीज अंग्रेजी में मुद्रित होती थी। वर्ष 1963 के बाद क्योंकि वर्ष 1963 में डाक-निर्णय लिया गया था, टिकटों आदि के लिये अंग्रेजी व हिन्दी भाषाएँ नियत की गई। वर्ष 1963 से पूर्व सब टिकटें इसी रूप में प्रकाशित हुईं। यहाँ मैं सहमत हूँ।

अंग्रेजी से हिन्दी में परिवर्तन या तमिल के प्रयोग न करने के बारे में मैं आपका ध्यान सम्मेलन के चिह्न की ओर आकर्षित करूँ। क्या कोई माननीय सदस्य हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम सम्मेलन के चिह्न को बदल सकते हैं?

श्री कन्डप्पन : आपने इसे बदला था।

डा० राम सुभग सिंह : नहीं, हम इसे कैसे बदल सकते हैं?

श्री कन्डप्पन : आपने उसमें हिन्दी अनुवाद डाला। पहले वह इसमें नहीं था। तमिल अनुवाद क्यों नहीं डाला गया?

डा राम सुभग सिंह : क्योंकि भारत सरकार की यह नीति है कि टिकटें हिन्दी व अंग्रेजी में हों। (**व्यवधान**)

श्री कन्डप्पन : क्यों?

डा० रामसुभग सिंह : यह सरकार की नीति है। हम इसे परिवर्तित नहीं कर रहे और कोई भी दबाव हमें परिवर्तित करने को बाध्य नहीं कर सकता। (**व्यवधान**) क्योंकि वह प्रादेशिक भाषा के बारे में बात करते हैं........

श्री कन्डप्पन : प्रादेशिक भाषा नहीं, यह राष्ट्रीय भाषा है।

डा० राम सुभग सिंह : बहुत सी भाषायें हैं जिन्हें बहुत लोग बोलते हैं और वे मान्यता-प्राप्त नहीं हैं।

श्री कन्डप्पन : यह संविधान का आठवाँ परिशिष्ट है। (**व्यवधान**)

(अनेक माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं)

डा० राम सुभग सिंह । हम आपसे दबने वाले नहीं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। अगला प्रश्न, श्री गणेश घोष।

मैसर्स बर्न एन्ड कम्पनी, हावड़ा

*481. †**श्री गणेश घोष** : **श्री राममूर्ति** :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम व पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि **मैसर्स बर्न एण्ड** कम्पनी, हावड़ा ने अक्तूबर, 1965 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तालाबन्दी से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा; और

(ग) तालाबन्दी समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) जी हाँ, 22 सितम्बर, 1967 से।

(ख) प्रायः आठ हजार पाँच सौ।

(ग) बोनस के झगड़े को लेकर कर्मचारियों द्वारा 21 सितम्बर को हड़ताल किए जाने पर, प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी। अब यह झगड़ा कई अन्य विषयों से भी सम्बन्धित है, जैसे, अनुशासन रखना, उत्पाद-स्तर, जबरी छुट्टी तथा क्रयादेश घटने के कारण छंटनी। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने व श्रम मंत्री ने इस मामले में मेल-मिलाप व समझौता कराने का प्रयत्न किया परन्तु असफल रहे। अब राज्यपाल इस कारखाने को पुनः खोलने के लिये किसी आधार की खोज कर रहे हैं ताकि झगड़ा निपटने तक कार्य चालू रहे।

श्री गणेश घोष: क्या यह सत्य है कि गत 26 जनवरी को कलकत्ता में श्रम मंत्री के कार्यालय में मालिकों व कर्मचारियों का एक सम्मेलन कराया गया था ? यदि हाँ, तो तालाबन्दी का निर्णय वापस लेने के लिये प्रबन्धकों ने क्या शर्तें रखी थीं ?

श्री हाथी : 22 सितम्बर से यह माला रुका हुआ था। तत्कालीन मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री ने मजदूर-संघों तथा मालिकों से विचार-विमर्श किए। मालिकों ने कहा कि क्योंकि उनके पास क्रय-आदेश नहीं हैं तो उनके लिये उद्योग चलाना सम्भव न होगा तथा लगभग 3,000 कर्मचारियों की छंटनी भी करना अनिवार्य होगा। उन्होंने दो करोड़ रुपये की वित्तीय-सहायता भी माँगी। यही मुझे रिकार्ड से ज्ञात हुआ है, क्योंकि सितम्बर 1967 में मैं इस विषय से सम्बन्धित नहीं था। उन्होंने कहा कि सारे 8,500 कर्मचारियों को रोजगार देना सम्भव नहीं होगा तथा 3000 आदमियों की छंटनी होगी, जिसको कि स्वभावतः, कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। बातचीत चलती रही परन्तु तत्कालीन सरकार एवम् उसकी उत्तराधिकारी सरकार भी इस मामले को नहीं हल कर सकी। अब हमने कुछ संसद्-सदस्यों के साथ लेकर इस मामले को लिया है। शायद माननीय सदस्य भी मुझसे 3–4 दिन पहले मिले थे। तीन-चार दिन से में राज्यपाल से सम्पर्क बनाये हूँ तथा वह इसे हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह संयुक्त-मोर्चा सरकार, जो कि कुछ समय तक पश्चिम बंगाल में गद्दी पर रही, की नीतियों के कारण हुआ है कि कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में कुछ ऐसे कारखाने बन्द हो गए, और क्या यह बेरोजगारी भी उनकी नीतियों के कारण हुई है जिन पर वे चले हैं ?

श्री हाथी : मैं केवल यह तथ्य ही बताऊँगा कि यह तब हुआ जब कि पश्चिमी बंगाल में वह सरकार कार्य कर रही थी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि कम्पनी समझती है कि यदि कारखाने को पुनः खोला गया तो उसे शायद बन्द करने के समय से अब अधिक खर्च करना पड़ेगा और इसी कारण वह इसे जानबूझ कर बन्द रखना चाहती है ? क्या यह भी सत्य है कि

पुन: खोलने के लिये इसे एक करोड़ रुपया चाहिये। यदि हाँ, तो इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं?

श्री हाथी: यह सत्य है कि कम्पनी 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता माँगती है। वह यह भी अनुभव करती है कि क्रय-आदेश बिना यह कार्य नहीं कर सकती। जहाँ तक क्रय-आदेशों का प्रश्न है हम इस पर विचार कर सकते हैं तथा उन्हें काम दे सकते हैं। धन की समस्या भी हल हो सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि वे तीन हजार कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं। यही मुख्य कठिनाई है; वे दो बातें नहीं जो कि हल हो सकती हैं। मैंने राज्यपाल को दो-तीन सूत्र दिए हैं तथा वह प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन: इस कम्पनी द्वारा तालाबन्दी घोषित करने से पूर्व गत वर्ष 1967 में मार्टिन बर्न के अन्तर्गत स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी तथा बर्न कम्पनी दोनों को रेलवे आयोग की ओर से 6000 डब्बे बनाने का आदेश मिला था परन्तु फिर भी उन्होंने ताला-बन्दी करने का निश्चय किया जिसके कारण आदेशों के भुगतान में विलम्ब हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि भारत सरकार इन दोनों कम्पनियों को यथासम्भव शीघ्र आदेशों के भुगतान के लिये क्यों नहीं कह सकती ?

श्री हाथी: उत्तर देते हुए मैं कह चुका हूँ कि यदि उनके पास काम नहीं है तो इसका ध्यान रखा जा सकता है। परन्तु यह बाधा नहीं है। वह कहते हैं कि यदि उन्हें क्रय-आदेश प्राप्त हो जायें तो भी वे पूरे आदमियों से तत्काल कारखाना नहीं चला सकते तथा 3,000 कर्मचारियों की छंटनी होगी।

श्री सु० कु० तापड़िया: संयुक्त मोर्चे के शासन में, सामान्यत: पश्चिमी बंगाल तथा विशेषत: कलकत्ता में, बहुत सारे मजदूरों सम्बन्धी झगड़े हुए हैं तथा उनमें से अधिकतम कर्मचारियों के हितों के विचार से नहीं प्रत्युत कुमार्ग-दर्शित राजनैतिक-स्वार्थ-भावनायुक्त कार्मिक-संघवाद के कारण हुए हैं। कलकत्ता के 7,000 कार्मिक-संघों में से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो सौ-सौ कार्मिक संघों के सचिव हैं। ऐसे कार्मिक-संघीय एकाधिकारी भी हैं जो कि 50-50 कार्मिक-संघों के प्रधान हैं। क्या मैं सरकार से जान सकता हूँ कि इस ताला-बन्द बर्न एण्ड कम्पनी में कितने कार्मिक-संघ हैं तथा बर्न एण्ड कम्पनी में कार्मिक-संघों के कितने प्रधान और सचिव दूसरे कार्मिक-संघों में पदाधिकारी हैं चाहे वे प्रधान हैं या सचिव ?

श्री हाथी: वह जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे विचार से इस कम्पनी में 5 कार्मिक संघ हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मुझे आशा है कि श्रम मंत्री मेरे प्रश्न को समझने का कष्ट करेंगे। बर्न एण्ड कम्पनी को बहुत सी नियंत्रित वस्तुओं का यथांश प्राप्त है तथा उनको इस बात की चिन्ता है कि कहीं वह यथांश किसी दूसरे पक्ष के हाथ न लग जाये जिससे कि वह पक्ष उसे फैलाकर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा दे। इस स्थिति में क्या मैं श्रम मंत्री से पूछ सकता हूँ कि क्या वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे। कि बर्न एण्ड कम्पनी पर यह दबाव डाला जाये कि या तो वह नियंत्रित वस्तुओं का यथांश लौटाये अथवा फिर करखाने को खोले और उन्हें प्रयोग में लाये ?

अध्यक्ष महोदय: यदि मंत्री महोदय के पास इसका उत्तर नहीं है तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

Shri Deven Sen : Is it not true that there had not been an agreement between the Union and the Company that the Company will pay them a bonus of 15 percent ? Later on, when the Company dseired to pay, is it not correct that they wanted to pay only 2% · Is it also not correct that the workers protested and demonstrated against it?

Has it not, on this very pretention, been said by the Company that until 3000 people are retrenched, they cannot function ? It is also not correct that this Company has purchased shares with Rs.50 lakh and issued bonus-shares worth Rs.65 crores? Is it not also correct that it is a monopolist Company of West Bengal and this statement about non-availability of funds is mere an excuse for not paying money ?

श्री हाथी : जी हाँ। मुझे रिकार्ड से पता चला है कि कम्पनी ने 18 प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया था जिसमें से 5 प्रतिशत तो पूजा की छुट्टियों से पहले तथा शेष किस्तों में। हमें स्मरण रहे कि राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत अभी पन्द्रह दिन पहले ही हमने पश्चिमी बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में लिया है। मेरे माननीय मित्र श्री सुबोध बैनर्जी, जो कि राज्य के श्रम मंत्री थे, ने पूरा प्रयत्न किया और उनके द्वारा पूरा दबाव व प्रभाव डालने तथा अपने पद का प्रयोग करने पर भी यह मामला हल नहीं हो सका। आप यह कैसे अपेक्षा करते हैं कि मैं किसी जादू के डण्डे से उसे केवल 10 दिन में हल कर दूंगा? यह सब सत्य है, उन्होंने वायदा किया था परन्तु फिर यह कहकर कि न तो पैसा है और न काम, उन्होंने पैसा नहीं दिया।

Shri Madhu Limaye : You punish them.

श्री लोबो प्रभु : जैसा कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि सारा मामला 3000 व्यक्तियों के बारे में है, मैं यह एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार केवल इन 3000 व्यक्तियों की खातिर ही कारखाने के काम को रोके हुए है? इसका पैसा कौन देगा? इस स्थिति में क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस मामले पर न्याय-निर्णय करा देगी ताकि दोनों पक्ष अपना-अपना मामला पेश कर सकें तथा संतोष कर सकें कि गलती किसकी है?

श्री हाथी : यह विचार करने योग्य बात है। तीन हजार व्यक्तियों के लिये यह रुकना नहीं चाहिये और वास्तव में मैंने राज्यपाल को सुझाव दिया है कि इस बारे में कोई विशेषज्ञ-समिति खोज-बीन करे। पंच-फैसले का जो भी निर्णय होगा हम देखेंगे, परन्तु कारखाना तो चालू होना चाहिए। न्याय-निर्णय से पंच-फैसला उत्तमतर रहेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is there any arrear of salaries which has not been paid to these 8,000 workers so far? Are they being given lay-offs or not ? Are those workers being given lay-offs who have been jobless now-a-days? I want also to know whether an effort will be made to start this factory by giving it most of the orders for making boggies ? Will you help it in this way to start it ?

Shri Hathi : There is no difficulty of orders. Those will be given. But the question is of starting. They say that they don't have full work, they will be able to take in gradually, later on.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the salaries also.

General Elections in Kashmir

*482. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to such allegations that the election held in Kashmir do not represent the true public opinion in Kashmir ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : During Elections in Kashmir, when 20 Congress candidates were declared elected unanimously, a few newspapers criticised the matter in these words : **The Hindustan Times** said it : "Bachelor", **India Express** called it' 'Disturbing Rejections" and **Statesman** expresed it as "Invitation to doubt". Later the **Hindustan Times** wrote 'Faith in fair poll in Kashmir shaken'. In regard to further clarification the paper called it as 'inconvincing.' There were various similar Editorials. Then Mr. Sundaram went over there for investigation and he said "I am satisfied by and large". I want to know from the Hon. Minister whether his attention was drawn towards such criticism, if so, whether he will consider over conducting fresh elections in Kashmir to wash off the complaints ?

Shri M. Yunus Saleem : Most of the complaints received by the Election Commission state that nomination papers were rejected in large numbers. Those candidates whose nomination papers were rejected have filed their election petitions and these are being considered in Court. None else complaints have reached us which may require a further investigation. If we receive any such complaint, it will be investigated.

Shri Madhu Limaye : About the election petitions you said that they are in the Court. It was in the beginning and in the election tribunal. After that the Government of Kashmir considered about the application of our rules in Kashmir which resulted in the cancellation of the petitions and the work had to be started afresh and this all took one year. The matter, then, came to the High Court. I want to know whether the Government of Kashmir had not tried to delay it deliberately and will you reconsider your decision and declare the elections held in Kashmir, as invalid ?

Shri M. Yunus Saleem : The entire House is aware that an amendment in the Representation of People Act was proposed to the effect that the jurisdiction of Election Tribunal be transferred to High Court and it was passed by the House. This jurisdiction was then transferred. Accordingly the Kashmir Government also, by amending its Representation of People Act, transferred the jurisdiction to the High Court.

चुनाव-न्यायाधिकरण के पास जो चुनाव-याचिकायें पड़ी थीं वे अब उच्च न्यायालय में स्थान्तरित हो कर वहीं देखी जा रही हैं।

Shri Madhu Limaye : I had said that prior to general elections we had made a law giving powers to the High Court to hear to the election petitions, they did not make it at that time. Powers have been delegated to the High Court deliberately with a purpose to either get the election petitions rejected or delayed. Why was it not done before the elections as done in the other States ?

Shri M. Yunus Saleem : Government of India had not proposed to that Government to amend their Representation of People Act at a particular time.

Shri Sarjoo Pandey : All the petitions for rejection of nomination papers are being considered in the High Court. In Kashmir, many nomination papers were rejected on the ground that the candidates had not taken oath before filing their nomination papers. I want to know whether the Government, taking into view that many nominations were rejected on account of very minor mistakes, will take necessary steps to avoid it in future ?

Shri M. Yunus Saleem: These nomination papers have been rejected on different grounds. Some of those were rejected on the ground that the candidates had not taken the oath for allegiance as provided in the Act, some on the ground that they had not enclosed a certified copy of Election Roll which is essential under rules ; and some had not deposited the security. Similarly the nomination papers were rejected as the condition of Representation of People Act were not complied with. Those who are dissatisfied with it, have filed election petitions. Those matters are with the Court. Action will be taken in accordance with the Court's decisions.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस गलतफहमी को दूर करने की स्थिति में हैं कि पिछले आम चुनावों में जो ढंग व प्रक्रिया जम्मू व काश्मीर राज्य में अपनाई गई वह किसी भी रूप में देश के अन्य भागों में अपनाई गई ढंग व प्रक्रिया से भिन्न थी ?

श्री मु० युनुस सलीम : कोई भिन्नता नहीं थी, दूसरे राज्यों जैसी ही थी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प-सूचना प्रश्न लेते हैं।

श्री हुमायुन् कबीर : मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : अब तो पहले ही बारह बजकर 3 मिनट हो गए हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा—अनुपस्थित। दुर्भाग्य से जिस-जिस सदस्य ने अल्प सूचना प्रश्न रखा है वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। अल्प सूचना प्रश्न रखने वाले माननीय सदस्यों को विशेष रूप से उपस्थित रहना चाहिये। यह दुख की बात है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi Wakf Board

*483. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether is a fact that the Delhi Wakf Board have given on rent many Masjids in Delhi ;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor ;

(c) whether Government have received any complaints of corruption, favouritism and embazzlement against the Delhi Wakf Board during the last three years ;

(d) if so, the number thereof and the action taken thereon by Government ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Yes, Sir. Four complaints are reported to have been received by the Delhi Administration. Of these, three are being inquired into by the Administration. The fourth one related to a matter pending in a Court of Law and the complainant was, therefore, informed by the Administration to approach the Court for remedial action.

अनौपचारिक सलाहकार समिति

*484. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री वीरीकन :**
श्री अंबचेजियान : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक सलाहकार समितियों की शक्तियाँ तथा उनके कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान समितियों के कृत्यों में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) से (ग) अनौपचारिक सलाहकार समितियों का गठन, संसद्-सदस्यों और मंत्रियों तथा अधिकारियों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिये तथा अनौपचारिक चर्चा के द्वारा सरकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों के परिचालन, सिद्धान्तों और समस्याओं से सदस्यों का घनिष्ठ परिचय कराने के लिए किया जाता है। समितियों के सदस्यों से उन विषयों की सूचना भेजने के लिए प्रार्थना की जाती है जिन्हें वे समिति की बैठकों में उठाना चाहें। प्रायः बैठक की तारीख से पहले ही सदस्यों में उन विषयों पर टिप्पणियाँ आदि परिचालित कर दी जाती हैं।

यद्यपि वर्तमान कार्य-व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है तथा परीक्षात्मक रूप में अनौपचारिक सलाहकार समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सदस्यों में परिचालित करने के लिये मंत्रालयों से कहा गया है। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि यदि किसी विशेष विषय पर सदस्यों में मतैक्य हो तो प्रायः उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो तो अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों को उस प्रस्ताव के अस्वीकार करने के कारणों का स्पष्टीकरण कर दें।

Improvement in Telephone System in Delhi

*485. **Shri R. S. Vidyarthi:** **Shri N. S. Sharma :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the new General Manager of the Delhi Telephone Department, after taking over charge of his post, had promised to take certain steps to improve the telephone system in Delhi ; and

(b) if so, the steps taken in this regard so far ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT—375/68]**

कपड़ा मिलों द्वारा मजूरी में कटौती

*486. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों के संकट का निवारण करने के लिये दक्षिण भारतीय मिल मालिक संस्था ने मजूरी में कटौती करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित मजूरी की कटौती न होने देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में छंटनी

*487. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री गणेश घोष :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री उमानाथ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में काम करने वाले 30,000 कर्मचारियों को, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं, 1 अप्रैल, 1968 से छंटनी कर दी जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

*488. **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल मिलें स्थापित करने के लिए केवल किसानों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को परमिट देने में प्राथमिकता देने और एक वर्ष से अधिक समय से न चल रहे चावल मिल को "समाप्त मिल" घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने चावल मिलों में इस समय पुरानी मशीनरी प्रयुक्त हैं;

(ग) उनके आधुनिकीकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ। इस सम्बन्ध में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक राज्य सभा द्वारा 13 फरवरी, 1968 को पास किया गया है और लोक-सभा द्वारा विचार किए जाने की प्रतीक्षा है।

(ख) ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 90 प्रतिशत चावल मिलें इस समय हुलर किस्म की हैं।

(ग) और (घ) देश में चावल मिलों के आधुनिकीकरण करने की दिशा में पहले उपाय के रूप में सरकार ने विभिन्न सघन कृषि-जिला कार्यक्रमों के क्षेत्रों में पाइलट-अध्ययन तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के लिये 7 आधुनिक चावल मिलें स्थापित की हैं। चौथी योजना में आधुनिक विधियों का प्रयोग कर नई आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने और वर्तमान मिलों की दशा सुधारने के लिए एक अस्थायी योजना भी तैयार की गयी है। ये प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने के लिये इन आधुनिक उपकरणों को देश में ही बनाने के लिये प्रबन्ध किए गए हैं।

चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन किया जा रहा है ताकि नई तथा वर्तमान दोनों चावल मिलों को आधुनिक मशीनों से लैस करने और आधुनिक विधियों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये परमिटों और लाइसेंसों में शर्तें सम्मिलित करने हेतु अधिकार प्राप्त हों।

भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

*489. **श्री जुगल मंडल** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिये प्रतिभूति निक्षेप और अन्य शर्तों के बारे में विनिश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

विदेश संचार सेवा

*490. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1965 को विदेश संचार सेवा विभाग का पुस्त-ऋण 96.03 लाख रुपए था, जिसमें से 15 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण दो वर्ष से अधिक पुराने थे ;

(ख) यदि हाँ, तो इतनी भारी राशि कैसे बकाया रह गई और इस बकाया राशि को वसूल करने के लिया क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) 31 मार्च, 1967 को विविध ऋणों की राशि कितनी थी और कितनी राशि दो वर्ष से अधिक समय से बकाया थी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) विदेश संचार सेवा का पुस्त-ऋण 31 मार्च, 1965 को 96.03 लाख रुपये था जिसमें से केवल 4.81 लाख रुपये की राशि के ऋण दो वर्ष से अधिक पुराने थे।

(ख) पुस्त-ऋण अधिकांशतः उन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दूरसंचार परियात शेषों के सम्बन्ध में, विदेशी प्रशासनों से, विदेश संचार सेवा को प्राप्य होते हैं। सामान्यतया विदेशी प्रशासनों से परियात-शेषों का निपटारा करने में लगभग 7 से 9 महीने लग जाते हैं। 31 मार्च, 1965 को, विदेश संचार सेवा को जो राशियाँ प्राप्य थीं, उनमें से संयुक्त-अरब गणराज्य से प्राप्य 4.81 लाख रुपये (अवमूल्यनोत्तर राशि 7.59 लाख रुपये) की राशि को छोड़कर, शेष सभी राशियों का निपटारा हो चुका है। इस प्राप्य-राशि के शीघ्र निपटान के लिये, यह मामला संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर उठाया गया है।

(ग) 31 मार्च, 1967 को पुस्त-ऋण की राशि 244.97 लाख रुपये थी जिसमें से संयुक्त-अरब गणराज्य से प्राप्य 7.59 लाख रुपये की राशि दो वर्ष से अधिक से बकाया है।

उर्वरकों पर राज-सहायता

***491. श्री विश्वम्भरन : श्री मंगलाथु माडोम :**

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार किसानों को बाँटी जाने वाली खाद तथा उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता को समाप्त करने अथवा उसमें कमी करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) इस समय निम्नलिखित उपदान प्रदान किये जा रहे हैं :—

(1) बीमा भाड़ा सहित मूल्य पर 18.25 प्रतिशत उपदान। परन्तु म्यूरेट आफ पोटास पर यह उपदान 78 रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक नहीं होता।

(2) ग्राउन्ड राक फास्फेट पर 30 रुपये प्रति मीटरी टन का उपदान।

दो स्तरों पर उर्वरकों के उपदान को घटाने के लिये कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार तथा उपदान को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की राय के अनुसार इन उपदानों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मणिपुर, त्रिपुरा और अन्दमान व निकोबार द्वीपों के पिछड़े क्षेत्रों में नाइट्रोजन पूरक व फास्फोरस पूरक उर्वरकों पर क्रमशः 20 प्रतिशत व 40 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। 1968-69 की अवधि में नाइट्रोजन पूरक व फास्फोरस पूरक उर्वरकों पर दिये जाने वाले उपदान को कम करके क्रमशः 15 प्रतिशत व 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा। लकादीव व मिनीकोय द्वीपों में प्रदर्शन प्लाटों पर प्रयोग होने वाले उर्वरकों पर 75 प्रतिशत तथा सामान्य प्रयोग के लिये उर्वरकों पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जाता है।

1 अप्रैल, 1967 से केन्द्रीय उर्वरक भण्डार के उर्वरकों के निर्गम मूल्यों में संशोधन करके उन्हें बढ़ा दिया गया था, ताकि भण्डार को होने वाली हानि की मात्रा को कम किया जा सके। शुरू में 15 करोड़ रुपयों की हानि की संभावना थी। परन्तु आयात के कम क्रय मूल्य के कारण भण्डार को बहुत कम हानि होने की संभावना है। केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से दिये जाने वाले उर्वरकों के निर्गम मूल्य यथापूर्व "न लाभ न हानि" के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

होटलों में अनाज से खाद्य-पदार्थ बनाने पर प्रतिबन्ध

*492. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अनाज की फसलों के बहुत अच्छी होने की संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए सोमवार को होटलों में अनाज से खाद्य-पदार्थ बनाने पर लगा हुआ प्रतिबन्ध हटाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रतिबन्ध कब हटाये जाने की संभावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) दिल्ली में यह प्रतिबन्ध पहले ही हटा लिया गया है। अन्य राज्यों से इस प्रतिबन्ध को हटाने या इसके संबंध में कोई प्रस्ताव संबंधी कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में खाद्य-स्थिति

*493. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खाद्य-स्थिति और अधिक खराब हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस राज्य को कोई सहायता दी जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने की खेती

*494. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है और क्या

यह उपज चीनी मिलों और खण्डसारी निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) क्या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना सप्लाई करने के लिये और अधिक भूमि पर गन्ने की खेती कराने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये प्रयोग किये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) गन्ना के अखिल भारतीय द्वितीय अनुमान, 1967-68 के अनुसार 2050 हजार हेक्टर (5066 हजार एकड़) भूमि में गन्ने की फसल बोई गई है। देश में प्रति हेक्टर की उपज के आधार पर यह चीनी मिलों और खण्डसारी निर्माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।

(ख) कारखानों को गन्ने की सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार का गन्ने के बजाय अन्य फसलों की ओर बुवाई रोकने, अभी हाल में खोये गए क्षेत्र को पुन: गन्ने के लिए प्राप्त करने और विशेषकर प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है।

(ग) जी हाँ।

(घ) अधिक चीनी-तत्व सहित उन्नत किस्में तैयार की गई हैं। गन्ने की खेती हेतु कई नई तकनीकी तथा कीड़े व बीमारियों से बचाव हेतु कई उपाय ढूंढ़ निकाले गये हैं।

Guest Control Order in Delhi

*495. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the question of withdrawing the Guest Control Order in Delhi has been considered ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The Guest Control Order in Delhi has been revised only recently to allow certain relaxations. There is no proposal at present to withdraw the Order.

पंचायती-राज संस्थाएँ

*496. **डा० रानेन सेन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का सरकार ने पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) से (ग) पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-संचालन का पुनरावलोकन करने का प्रक्रम लगातार जारी रहने वाला है। केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई अनेक अध्ययन टोलियों ने समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की जाँच की है, जैसे ग्राम-सभा, न्याय-पंचायतें, बजट तथा लेखा तैयार करने की प्रक्रियाएं, लेखा-परीक्षा, वित्त, निर्वाचन तथा प्रोत्साहन व बचाव। सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के वार्षिक सम्मेलन ने भावी कार्यवाही के बारे में स्वीकृत उपागम तैयार करने के लिए इनकी तथा इनसे सम्बन्धित विषयों की नियमित रूप से जाँच की है। राज्य सरकारों, जो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, को उन्हें कार्य रूप देने के लिये कहा जाता रहता है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पंचायती-राज के कार्य-संचालन का अध्ययन करने के लिए अपनी टोलियाँ भी नियुक्त की हैं।

जिन उपायों की सिफारिश की गई, उनका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से इन संस्थाओं को व्यवस्थात्मक तथा वित्तीय रूप से अधिक चलने योग्य बनाने का रहा है। राज्य सरकारें साधनों की ल उपलब्धता तथा अन्य सम्बन्धित बातों के अनुरूप कार्यवाही करती हैं।

पंचायती राज कार्यक्रम

*497. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज कार्यक्रम ने ग्राम्य-जीवन में 'अस्वस्थ' प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में यह कार्यक्रम सफल रहा है और क्या सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) यह समझते हुए कि विभिन्न राज्यों में इस प्रणाली को लागू हुए अपेक्षाकृत कम समय हुआ है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण पर आधारित स्थानीय विकास प्रशासन एक विकासशील प्रक्रिया है, यह कहना ठीक नहीं होगा कि पंचायती राज अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन राज्यों में महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात तथा राजस्थान का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें पंचायती राज, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने संसाधनों के उपयोग तथा कार्यक्रम की कार्यान्विति में अच्छा काम किया है।

चीनी के दाम

*498. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि चीनी को छोड़कर अन्य खाद्य-वस्तुयें, कुछ बढ़ती हुई दरों पर बेची जाती है, जब कि चीनी 200 प्रतिशत से अधिक दरों पर बिक रही है;

(ख) क्या गुड़ और खांडसारी बनाना चीनी मिलों को गन्ना बेचने से अधिक लाभदायक है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो गन्ने की दरों को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि चीनी बनाने के लिये काफी मात्रा में गन्ना मिल सके?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न ज़ोनों में इस वर्ष चीनी के नियंत्रित मूल्य उन ज़ोनों में गत वर्ष के औसत मूल्यों की तुलना में केवल 7 से 13 प्रतिशत अधिक हैं। यह वृद्धि गन्ने की न्यूनतम कीमत में वृद्धि के कारण है। तथापि, नियंत्रित क्षेत्रीय मूल्य जो कि 145 और 169.50 रुपये प्रति क्विटल के बीच है और जो कि गन्ने की न्यूनतम कीमत पर आधारित है, के मुकाबले में खुले बाजार में चीनी के मूल्य 350 से 380 रुपए प्रति क्विटल के बीच हैं। खुले बाजार के मूल्य इसलिये ऊँचे हैं क्योंकि कारखानों को सारे उत्पादन के लिये न्यूनतम मूल्य से अधिक दिए गए मूल्य की क्षतिपूर्ति करनी हैं।

(ख) चीनी मिलें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मूल्यों पर गुड़ तथा खंडसारी निर्माताओं के साथ अब मुकाबला करने की स्थिति में हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का वितरण

***499. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने देश में लक्ष्यों के निर्धारण तथा उर्वरकों के वितरण के बारे में कुछ परिवर्तन के सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) "कृषि उत्पादन में उर्वरकों तथा खादों के प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन" सम्बन्धी योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विचार हो रहा है।

जम्मू-काश्मीर में नामनिदेशन पत्रों के अस्वीकार किये जाने में अनियमिततायें

***500. श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी:** क्या विधि मंत्री 27 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 756 और 19 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को जम्मू-काश्मीर में पिछले साधारण निर्वाचनों में की गई घोर अनियमितताओं के आरोपों के बारे में, विशेष रूप से नामनिदेशन पत्रों के अस्वीकृत किये जाने के बारे में, जम्मू-काश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस बीच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में शीघ्रता कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) से (ग) जम्मू-काश्मीर को राज्य सरकार से, उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों के बारे में रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। किन्तु नामनिदेशन पत्रों को अनुचित अस्वीकृति से सम्बद्ध शिकायतों के बारे में कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी अनुचित अस्वीकृति अभिकथित करने वाली निर्वाचन अर्जियों का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

(घ) भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों का विनिश्चय निर्वाचन अर्जियों पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।

डाक विभाग में 'रनर्स' की विधवाओं को पेंशन

*501. **श्री अ० दीपा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग में रनर्स की पत्नियाँ अपने पतियों की मृत्य हो जाने पर जीवन पेंशन और अन्य भत्तों की हकदार हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विभागीय हरकारों की विधवाओं को कुछ शर्तों के अन्तर्गत आजीवन पेंशन मंजूर की जाती है। किन्तु विभागातिरिक्त हरकारों या डाक वाहकों की विधवाएँ कुछ शर्तों के अन्तर्गत केवल अनुग्रह उपदान पाने की हकदार होती हैं।

(ख) विभागीय हरकारों की विधवाओं को आजीवन पेंशन निम्न दरों पर दी जाती हैं—

(i) यदि मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद हो तो 25 रु० या अन्तिम प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(ii) यदि मृत्यु 7 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर लेने के बाद सेवा में रहते हुए हो तो—

7 वर्ष तक की अवधि के लिये अन्तिम वेतन का आधा, तत्पश्चात् ऊपर (i) में दिए गए के अनुसार।

जहाँ तक अनुग्रह उपदान का सम्बन्ध है, कुछ शर्तों के अन्तर्गत इसकी अदायगी अनुग्रह-पूर्वक की जाती है जो कि अधिक से अधिक मृत व्यक्ति के बारह महीने के वेतन या भत्तों से अधिक नहीं होना चाहिए।

बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन

*502. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम के कुछ उपबन्धों को शक्ति परस्तात घोषित

करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या स्वरूप है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर स्थायी श्रम-समिति ने और उसके द्वारा गठित द्विपक्षीय समिति ने विचार-विमर्श किया। लेकिन प्रस्तुत किए गए कई एक प्रस्तावों एवं प्रतिप्रस्तावों पर संबंधित पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। परिवर्तनों के बारे में विचार करने से पहले सरकार का विचार कुछ समय तक यह देखने का है कि क्या वर्तमान बोनस फार्मूले की क्रियान्विति से श्रमिकों को किसी विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है या नहीं।

दिल्ली में राशन की दुकानों से चीनी और चावल का न दिया जाना

*503. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन ने राशन बेचने वाले दुकानदारों को ये आदेश जारी कर दिए हैं कि वे उन राशनकार्डधारियों को चीनी और चावल न दें जो उनकी दुकानों से गेहूँ नहीं खरीदते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जाँच करने तथा उन राशन-दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने राशन की दुकानों को चेतावनी दी है कि यदि चीनी न दिए जाने का कोई मामला प्रशासन के ध्यान में लाया गया तो उसके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही की जाएगी।

उर्वरकों का आयात

*504. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भारत में 10 लाख टन से अधिक मात्रा में उर्वरक का आयात किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि पत्तनों में भीड़ होने के कारण उर्वरक ला रहे जहाजों को अनावश्यक रूप से बहुत समय तक रोका जाता है और इसके परिणामस्वरूप विलम्ब-शुल्क के रूप में भारी राशि दी जाती है;

(ग) क्या इस विलम्ब-शुल्क की राशि को जोड़ कर उर्वरकों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उर्वरकों से लदे जहाजों से माल जल्दी उतारने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1668–69 की अवधि में 14.5 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 2.30 लाख मीटरी टन पी० ओ० तथा 2.00 लाख मीटरी टन के० ओ० के आयात की एक प्रयोगात्मक योजना तैयार की गई है।

(ख) साधारणतः उर्वरक लाने वाले पोतों को पत्तनों पर उन्हें घाट लगाने में अत्यधिक देरी नहीं होती थी। ऐसे मामलों में सामग्री के प्रति मीटरी टन के आधार पर विलम्ब-शुल्क के रूप में जो रकम अदा की गई है वह नहीं के बराबर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उर्वरकों से लदे जहाजों से शीघ्र माल उतारने के लिए निम्न कदम उठाये ग हैं:—

(1) कई छोटे पत्तनों की अधिक से अधिक क्षमता का प्रयोग करना;

(2) च्यूट वैगनों व फोर्क लिफ्ट ट्रकों के उपयोग आदि के तरीकों से माल उतारने और भेजने की विधियों में सुधार करना; और

(3) अधिक मात्रा वाले उर्वरकों को शीघ्र जहाजों से उतारने के लिये मशीनों के प्रयोग करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

एगीजे शिपिंग लाईंस

*505. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कान्टावाला के समक्ष श्री जार्ज फरनेन्डीज के विरुद्ध चनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिए गए साक्ष्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या खाद्य मंत्रालय में वर्ष 1962 में प्राप्त हुए उस परिपत्र की बातें जो एगीजे शिपिंग लाइन्स ने अपने जहाज कमान्डरों को भेजा था, खाद्य विभाग ने अथवा उसके किसी अधिकारी ने परिवहन मंत्रालय को उसकी राय तथा कार्यवाही के लिये भेजी थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) रिकार्ड से परिवहन मंत्रालय को मामला न भेजने के लिये किन्हीं विशिष्ट कारणों का पता नहीं चलता है लेकिन खाद्य विभाग में सरकार के हितों की सुरक्षा के लिये स्पष्टतः सभी आवश्यक पूर्वोपाय किए गए हैं शायद और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

दिल्ली में कानूनी राशन-व्यवस्था

*506. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कानूनी राशन-व्यवस्था समाप्त करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन के इस सुझाव को कि 21 फरवरी, 1968 से राशनिंग-व्यवस्था के अन्तर्गत दिए जा रहे सरकारी अनाज के अलावा देसी गेहूँ और चावल खुले बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की जाय, स्वीकार कर लिया है।

एपीजे शिपिंग लाइन्स

*507. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कान्टावाला के समक्ष श्री जार्ज फरनेन्डीज के विरुद्ध चुनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिए गए साक्ष्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस खाद्य महानिदेशक ने कभी यह बात तय करने का प्रयत्न किया था कि जहाजरानी कमान्डरों को भेजा गया एपीजे शिपिंग लाइन्स का परिपत्र धोखाधड़ी का एक यत्न था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इस मामले के रिकार्ड से यह पता नहीं चलता है कि तब महानिदेशक खाद्य ने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से तय करने की कोशिश की थी। तथापि, परिपत्र से धोखा धड़ी की कोशिश का पता चला। इस प्रयत्न को विफल करने के लिये तत्काल कार्यवाही की गई थी।

अनाज के मूल्य

*508. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी फसल तथा तथाकथित अनाज की संतोषजनक वसूली के बावजूद अनाज के मूल्यों में पर्याप्त कमी नहीं हुई है बल्कि कुछ राज्यों में चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। फसल कटाई से पूर्व उच्चतम भावों की तुलना में अनाजों को मिला कर उनके भाव 10.5 प्रतिशत गिरे हैं और दालों को मिलाकर उनके भावों में 15 प्रतिशत की गिरावट

आयी है। विभिन्न राज्यों में चावल के भावों में गिरावट की डिग्री में घट-बढ़ हैं। तथापि, किसी राज्य में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय

3107. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों में अब तक बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों की संख्या कितनी है; और उन्हें किन-किन राज्यों में बसाया गया है; और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने व्यक्ति बसाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात का विरोध किया था कि वे बर्मा से आये हुए भारतीयों को अपने राज्य में और अधिक संख्या में नहीं बसा सकती है; और

(ग) इन लोगों के बर्मा से भारत वापिस आने के क्या कारण थे?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण).

(क) जून, 1963 से 10-2-1968 तक भारतीय उद्भव के 1,59,700 व्यक्ति भारत आये हैं। एक विवरण जिसमें स्वदेश लौटे व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 376/68**]

(ख) जी, हाँ। तथापि आसाम सरकार से प्रार्थना की गई है कि स्वदेश लौटे उन व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया जाये जो आसाम राज्य के हैं या जिनका मूलस्थान आसाम था।

(ग) बर्मा में रोजगार अवसरों का अभाव तथा दस्तकारी और व्यापार का राष्ट्रीयकरण।

सुधरे हुये बीज खरीदने के लिये ऋण

3108. **श्री जी० एस० रेड्डी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर किस्म का धान और मोटा अनाज खरीदने के लिये सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस वर्ष ऋण दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हाँ। सन् 1967-68 के दौरान उन्नत बीजों की खरीद तथा वितरण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 200.00 लाख रुपए का एक अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और धान की वसूली

3109. **श्री नारायण रेड्डी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत खरीफ की फसल पर जनवरी, 1968 के अन्त तक निजामाबाद जिले (आन्ध्र प्रदेश) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान और चावल की कितनी मात्रा वसूल की गई;

(ख) उस अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने धान और चावल की विभिन्न किस्मों के लिये प्रति क्विंटल कितना मूल्य दिया ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम, निजामाबाद ने गत तीन महीनों में हैदराबाद में राशन अधिकारियों तथा एजेन्सियों को विभिन्न किस्मों का चावल किस मूल्य पर दिया; और

(घ) यह मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने जनवरी, 1968 के अन्त में गत खरीफ मौसम में निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) जिले में 41.15 हजार मीटरी टन चावल और 8.3 हजार मीटरी टन धान की अधिप्राप्ति निम्नलिखित मूल्यों पर की थी :—

चावल :	बहुत बढ़िया	—	109.31 रुपए प्रति क्विंटल
	बढ़िया	—	86.42 ,, ,, ,,
	मोटा	—	72.69 ,, ,, ,,
धान :	बहुत बढ़िया	—	70.00 रुपए प्रति क्विंटल
	बढ़िया	—	55.00 ,, ,, ,,
	मोटा	—	46.00 ,, ,, ,,

(ग) निगम की निज़ामाबाद शाखा राशनिंग अधिकारियों को सीधे चावल की सप्लाई नहीं करती लेकिन यह स्टाक हैदराबाद भेजा गया और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त स्टाक के साथ राशन वाले क्षेत्रों में चावल निम्नलिखित निर्गम मूल्य पर दिया गया था :—

बहुत बढ़िया चावल	121.70 रुपए प्रति क्विंटल
बढ़िया	101.65 ,, ,, ,,
मोटा	84.23 ,, ,, ,,

(घ) निकासी मूल्य, हौंडलिंग तथा परिवहन प्रभार, गोदाम का किराया, गोदाम तथा मार्ग में हानि, पूंजी पर ब्याज, निगम तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभार और बिक्री कर को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा निर्गम मूल्य निर्धारित किया जाता है।

ड्रिलों का आयात

3110. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिलों की स्थानीय माँग को पूरा करने के लिए विद्युत्-चालित ड्रिलों के आयात करने तथा उन्हें खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा देने की अनुमति दे दी है; और

(ख) 1968-69 में इन ड्रिलों की खरीद के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1966-67 की अवधि में पोलैंड से 10.00 लाख रुपए की लागत की परकुशन रिगों (माडल यू० पी० 200) तथा अमरीका से 10.00 लाख रुपए की लागत की 2 मीडियम

डियूटी रिगों के आयात हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिये 20.0,0 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी। 1967–68 में रिगों के आयात हेतु राज्य सरकार के लिये कोई विदेशी मुद्रा मंजूर नहीं की गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पोलैंड से आस्थगित भुगतान के आधार पर 200 ड्रिलिंग रिगों के आयात का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) वित्तीय सहायता की वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता का नियतन "लघु सिंचाई" आदि मुख्य विकास शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है न कि अलग-अलग परियोजनाओं के आधार पर। 1968–69 में आन्ध्र प्रदेश के लिये समग्र रूप से लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 300.00 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। राज्य सरकारें इस नियतन का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकती हैं।

कृषि-कार्यों के लिये डीजल तेल

3111. श्री **जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त डीजल तेल के मूल्य लगभग 40 प्रतिशत कम करने का है जिससे इनके द्वारा पानी निकालने की लागत विद्युत् मोटर पम्पों द्वारा पानी निकालने की लागत के समान ही हो जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) पहले इस प्रश्न पर विचार किया गया था और यह देखा गया कि कृषि-कार्यों के लिए प्रयुक्त डीजल तेल पर सहाय्य योजना चलाना अत्यन्त कठिन होगा। फिर भी 1.1.66 से डीजल इंजनों पर सहायता को बढ़ा दिया गया। डीजल तथा बिजली के पम्प सैटों पर 25 प्रतिशत एक समान सहायता दी जाती है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करती हैं। उसके मकाबले डीजल इंजनों पर निम्नलिखित सहायता बढ़ाई गई थी :—

5 अश्व-शक्ति के इंजनों के लिए 50% भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर 6–10 अवश्व-शक्ति के इंजनों के लिए 37½% वहन किए जाने वाले।
10 अश्व-शक्ति से अधिक इंजनों के लिए 25%

1.4.67 से अलग-अलग योजनाओं के लिए सहायता देनी बन्द कर दी गई है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए खर्च पर केन्द्रीय सहायता कुल मिलाकर 75 प्रतिशत (60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत अनुदान) दी जाती है। इस बात का राज्य सरकारों को निर्णय करना है कि वे किन योजनाओं को सहायता देना चाहेंगी।

दिल्ली में लगान की समाप्ति

3112. श्री **चेंगलराया नायडू** : श्री **वीवीकन** :
श्री **अंबचेजियान** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में लगान को समाप्त करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दिल्ली प्रशासन को कहा है कि वह अलाभप्रद जोतों पर वैकल्पिक लगान का सुझाव दे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने अनार्थिक ढंग की जोतों को भू-राजस्व से मुक्त करने के विषय में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) अभी मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे सुझाव दें कि भू-राजस्व में होने वाली कमी को किन उपायों द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है। जानकारी प्राप्त होने पर इस विषय पर आगे विचार किया जायेगा।

छोटी जोतों पर से लगान हटाना

3113. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने छोटी जोत पर से लगान हटा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विकास-कार्यों के लिये राज्यों द्वारा साधन जुटाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) भू-राजस्व समाप्ति के फलस्वरूप विकास-कार्यों के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों को अवश्य हानि पहुँचेगी, जब तक कि सम्बन्धित राज्य सरकारें इस हानि को पूरा करने के लिए वैकल्पिक साधन न जुटायें।

(ग) और (घ) भू-राजस्व राज्य का विषय है, अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड

3114. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड का गठन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड का प्रथम गठन भारत सरकार ने दिसम्बर,

1953 में किया था। इसके सदस्य सिंचाई व विद्युत् मंत्रालय और कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं और इसके अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री या उपमंत्री, कृषि थे और इसका कार्य सलाह देना था। भारत सरकार ने इस बोर्ड के कार्य की हाल ही में जाँच की और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस भू-संरक्षण बोर्ड के कायम रखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अन्य उच्चतर कमेटियाँ नीति के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये पहले से ही काम कर रही हैं। इसलिए बोर्ड को खतम कर दिया है। जब कभी आवश्यकता होती है विविध भूमि संरक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी मामलों के लिए समिति की बैठकों में अधिकारियों से बातचीत कर ली जाती है।

Export of Telephone Equipment

3115. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone equipment in large number was exported to foreign countries during 1965-66 and 1966-67 ;

(b) if so, the amount of foreign exchange earned therefrom, country-wise ;

(c) the telephone equipment likely to be exported to foreign countries till the end of 1968-69· and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) :

(a) Yes.

(b) A statement showing the details of foreign exchange earned by the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, during the years 1965-66 and 1966-67 from the export of telephone equipment is attached. **[Placed in Library. See No. LT—376/68]**

(c) A variety of telephone exchanges, telephone instruments, piece parts and miscellaneous equipment are likely to be exported by the Indian Telephone Industries Limited till the end of the year 1968-69.

(d) The amount of foreign exchange likely to be earned by the Indian Telephone Industries Limited from the export of telephone equipment during 1967-68 will be approximately Rs.60 lakhs and during 1968-69 approximately Rs.64 lakhs.

रोजगार दफ्तर

3116. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के तथा गैर-कृषि कार्यों में लगे नियोजक अपने कर्मचारियों की संख्या, रिक्त पदों तथा कर्मचारियों की कमी के संबंध में त्रैमासिक विवरण और अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक नियुक्तियों दिखाने वाला द्विवार्षिक विवरण रोजगार दफ्तरों को नहीं भेज रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल संयुक्त मोर्चा समन्वय समिति के प्रतिनिधियों की ओर से ज्ञापन

3117. **श्री नायनार**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री को त्रिवेन्द्रम से 3 फरवरी, 1968 को केरल संयुक्त मोर्चा समन्वय समिति के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रतिनिधयों ने क्या मुख्य मांगें की हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगों तथा उसके संबंध में की गई कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 379/68]

फलों की खेती

3118. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967 में राज्यावार कुल कितने एकड़ भूमि में फल की खेती हुई है और कौन-कौन से फल उगाये गए हैं; और

(ख) क्या पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप फलों वाली भूमि में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो कितनी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) सन् 1966-67 में राज्यावार कितने एकड़ भूमि में विभिन्न फलों की खेती हुई है इस सम्बन्ध में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी सन् 1964-65 में जितने क्षेत्र में राज्यावार क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 379/68]

(ख) जी हाँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 0.84 लाख हैक्टेयर और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1.35 लाख हैक्टेयर फलों वाली भूमि में वृद्धि हुई है।

बागवानी संस्था

3119. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बागवानी संस्था हेसरघाट में कब तक चालू हो जायेगी;

(ख) इसे स्थापित करने पर कितनी लागत आयेगी और इसे चलाने पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होगा; और

(ग) इस संस्था में कितने वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जायेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):
(क) हेसरघाट की बागवानी संस्था को 30 अगस्त, 1967 से मंजूर किया गया था।

बाद में इसका नाम बदल कर "बागवानी अनुसंधान संस्थान" कर दिया गया था। मैसूर सरकार की नैशनल हार्टोरियम, हैसरघाट को, जो कि संस्था का एक केन्द्र होगा, 1 फरवरी, 1968 से अधिकार में ले लिया गया है। संस्थान के निदेशक का कार्यालय अस्थायी रूप से बंगलौर में स्थापित किया गया है और इसके लिए भवन निर्माण होते ही उसे हैसरघाट स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(ख) इस समय इस संस्थान को 42.27 लाख रुपए (23.44 लाख रुपए आवर्तक तथा 18.83 लाख रुपए अनावर्तक) की अनुमानित लागत से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मंजूर किया गया है। इस संस्थान को चलाने का अनुमानित वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है:—

1—1967-68	2.19 लाख रुपए
2—1968-69	11.91 लाख रुपए
3—1969-70	18.88 लाख रुपए
4—1970-71	9.29 लाख रुपए

(ग) चौंतीस।

दिल्ली में हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका

3120. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा दिल्ली जोन के लिये हाल में हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका की कितनी प्रतियाँ प्रकाशित कराई गई तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि विशेषतः सरकारी विभाग हिन्दी निर्देशिका प्रकाशित कराने के पक्ष में नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी हिन्दी टेलीफोन निर्देशिकायें प्रकाशित कराने का है और यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) दिल्ली टेलीफोन परिमंडल की अभी तक कोई हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित नहीं हुई है किन्तु उसका काम हाथ में है। डाक-तार विभाग को आशा है कि शुरू में 18,000 प्रतियाँ निकाली जायेंगी। खर्च के सम्बन्ध में इस समय कोई सूचना नहीं दी जा सकती, चूंकि छपाई के टेंडरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में साथ ही बम्बई तथा हैदराबाद नगरों में भी। उत्तर प्रदेश तथा बिहार सर्किल की टेलीफोन निर्देशिकाएँ पहली बार पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।

फलों के रोग

3121. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने "सिटरस डाई-बैक, मैंगो मैलफोर्मेशन" और फलों के अन्य विषाणु रोगों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वर्ष 1967 तथा 1968 में राज्य-वार इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फलों की फसलों के रोगों की खोज करने, उनको नियंत्रित करने के लिये कई अनुसंधान योजनाओं को आर्थिक सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त नीम्बू को रोग रहित होने का प्रमाण-पत्र देने के लिये एक योजना भी चालू है।

बागवानी अनुसंधान की एक संस्था मैसूर राज्य में बंगलौर के समीप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में स्थापित की गयी है। यह संस्था रोग सम्बन्धी कार्य भी शुरू करेगी। चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में पूना में एक प्लान्ट वाइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पहले ही कई अनुसंधान उप-केन्द्र हैं जहाँ रोगों पर खोज की जा रही है।

फल सम्बन्धी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शीघ्र ही लागू की जाने वाली है जिसके अधीन नीम्बू, केला, आम, पपीता, सेव आदि के रोगों पर कार्य किया जाएगा।

(ख) जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है अब तक निम्नलिखित राशि खर्च की जा चुकी है :—

राज्यों के नाम	खर्च की गई राशि	
	1966–67	1967–68
साइट्रस डाई-बैंक	रुपया	रुपया
मैसूर	1,04,483	1,36,858
महाराष्ट्र	40,000	53,930
पंजाब	2,245	50,000
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	72,127	43,911
मैंगो मैलफोर्मेशन		
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान. नई दिल्ली	—	1,458

Telephone Connections in Delhi

3122. **Shri R. S. Vidyarthi : Shi N. S. Sharma : Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone connections in Delhi at present and the number of telephone connections required to meet the demand ;

(b) the number of years for which the outstanding applications for telephone connections have been pending ;

(c) the approximate time by which these applicants would be provided with telephone connections ; and

(d) the schemes under consideration for increasing the number of telephone connections in Delhi during the coming two years ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gurjal) :

(a) 61,256 and 64,047 respectively on 31-12-1967.

(b) The position of pending applications varies from exchange to exchange. A statement indicating the position in the various exchanges is attached at Annexure 'A'. [**Placed in Library. See No. LT—380/68**]

(c) It is not possible to state with any degree of accuracy the period by which these applicants will get the connections as the expansion programme is dependent upon several factors e.g. the financial resources, production and supply of essential stores.

(d) The position about the expansion planned in various exchanges in Delhi Telephone District is indicated in the statement at Annexure 'B'. [**Placed in Library. See No. LT—380/68**)

F. C. I. Officers involved in Maize Racket in Punjab

3123. **Shri R. S. Vidyarthi :** **Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Hindustan Times of the 10th February, 1968 to the effect that some Officers of the Food Corporation of India have been involved in a maize racket in collusion with certain traders and officers of Punjab Government ;

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry into this matter ; and

(c) the result of the enquiry and the action taken by Government against the Officers concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) An enquiry has been instituted by the Government of Punjab and the case has been referred to the Special Police Establishment for further examination. In the meantime the officials of the Food Corporation have been suspended and further action will be taken after the report of Special Police Establishment is received.

Central Wage Board on Cotton Textile Industry

3124. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 8415 on 9th August, 1967 and the state :

(a) whether the report of the Central Wage Board on Cotton Textile Industry has since been received ;

(b) whether it is a fact that certain interested parties are making effort to get the presentation of the report postponed ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this connection and when the report is likely to be received ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) No, Sir.

(b) Government have no such information.

(c) The Wage Board is trying to complete its work as early as possible and expects to submit its report in the next 3 or 4 months.

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग तथा धातु कर्मचारियों की हड़ताल

3125. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग तथा धातु कर्मचारी फेडरेशन ने, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस से सम्बद्ध एक संस्था है, अपनी माँगें मनवाने के लिए 16 फरवरी, 1968 को एक दिन की हड़ताल करने को कहा था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं;

(ग) क्या इन माँगों के सम्बन्ध में उद्योग तथा कर्मचारियों के बीच मतभेदों का निपटारा करने के लिये सरकार ने हस्तक्षेप किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार और उनके क्या परिणाम रहे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) मुख्य मागें ये थीं :

(1) बंद हुए या तालाबन्दी वाले कारखाने बिना छंटनी किए खोले जाँय।

(2) सभी छंटनी हुए या अन्यायपूर्वक बर्खास्त किए गए श्रमिकों को फिर नियुक्त किया जाय।

(3) भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक-व्यक्ति समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान मंहगाई-भत्ते की दर बढ़ाई जाय।

(4) इंजीनियरिंग उद्योगों से संबंधित मजूरी-बोर्ड की अंतरिम सिफारिशें शीघ्र दी जाँय।

(5) लघु तथा मध्यवर्ती इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों से संबंधित सातवें औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित किया जाय ।

(6) जबरी छुट्टी वाले श्रमिकों को काम दिया जाय।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के श्रम निदेशालय, द्वारा समझौते की कार्यवाही द्वारा समझौता कराने के प्रयत्न किए गए लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो सका।

खाद्यान्नों की तस्करी

3126. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी, 1968 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाना की सीमा पर अनाज की 450 बोरियाँ पकड़ी गई थीं ;

(ख) क्या कुछ तस्कर व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाना की सीमा पर 5/6-2-68 के बीच की रात को चना और चने की दाल के 482 बोरे पकड़े गए थे।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन मामलों की जाँच हो रही है।

कानपुर में राशन-व्यवस्था

3127. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में राशन की दुकानों से 400 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले लोगों को ही राशन दिया जाता है;

(ख) क्या यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरीकी सूचना सेवा के कार्यालयों में टेलीप्रिंटर मशीनें

3128. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री गणेश घोष** :
श्री प० गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री वि० कु मोडक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अमरीकी सूचना सेवा के कितने कार्यालयों को किराये पर टेलीप्रिंटर मशीनें दे रखी हैं;

(ख) क्या भारत में अमरीकी दूतावास तथा अमरीकी सरकार के अन्य विभागों में इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) इन मशीनों से औसतन कुल कितनी आय होती है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) कोई भी टेलीप्रिंटर पट्टे पर नहीं दिए गए हैं, किन्तु सामान्य शर्तों पर उन्हें छः दूरस्थ टेलीप्रिंटर परिपथ पट्टे पर दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य जनता को दिए जाते हैं।

(ख) ये परिपथ संयुक्त राज्य अमरीका की सूचना सेवा के प्रयोग के लिए हैं।

(ग) परिपथों का वार्षिक किराया 2,10,480 रु० है।

दिल्ली दुग्ध योजना की विस्तार योजना

3129. **श्री राम चरण**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने अपनी केन्द्रीय डेयरी का विस्तार करने सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है जिससे कि यह प्रतिदिन 3 लाख लिटर तक दूध सप्लाई कर सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अतिरिक्त दूध को इकट्ठा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):
(क) जी हाँ।

(ख) (1) दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दुग्ध संभरण बढ़ाने हेतु चतुर्थ योजना की

अवधि में उत्तर प्रदेश के मेरठ, हरियाणा के गुड़गांव और करनाल तथा राजस्थान के बीकानेर जिलों में 4 सघन पशु विकास कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया जा रहा है।

(ii) दूध की बढ़ी हुई मात्रा को एकत्रित करने के लिए दूध ढोने हेतु 10 अतिरिक्त रोड टैंकरों को खरीद लिया गया है।

Agriculture University, Pantnagar

3130. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Food and Agriculutre** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farm of Rudrapur Agricultural University, Pantnagar has been showing profits during the last two years ;

(b) if so, the profits likely to be earned during this year ;

(c) whether it is also a fact that this farm would be able to supply improved seeds of maize, bajra, jowar, soyabean, paddy and wheat not only to the whole of Uttar Pradesh but to other States also ; and

(d) if so, the reasons for not running other Central and University farms on these lines ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes. The University is understood to have earned a profit of Rs.8.48 lakhs in the year 1965-66 and Rs.38.26 lakhs during the year 1966-67 from its farm.

(b) A net profit of over Rs.50.00 lakhs is expected by the University during the year ending May, 1968.

(c) According to the estimates of the Vice-Chancellor of the U.P. Agricultural University, the University Farm and the farmers of **Tarai** would be able to meet the total demand for Seeds of Improved Varieties of Maize, *Bajra*, *Jowar*, Soyabean, Paddy and Wheat etc. of not only the State of Uttar Pradesh but some of the other States also.

(d) The farms attached to the Agricultural Universities are operated both for research and seed multiplication usually on profit. Central Fams are being developed to multiply seeds and to operate them on profit.

Supply of Liquid Ammonia to Farmers

3131. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the supply of liquid ammonia to Indian farmers through producers and distributors of fertilizers on the lines of the scheme in USA has been prepared ; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sugar Supply in Delhi

3133. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quota of sugar allotted to each of the companies, separately, supplying beverages such as Coca Cola, Pop Cola, Fanta etc. in the Capital during the last two years and quantity of sugar asked for by each of them ;

(b) the names of factories manufacturing beverages in the Capital ; and

(c) the value of the cold drinks exported by these companies to the various States, state-wise, during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) and (b) The undermentioned quantities of sugar were allotted to the three major manufacturers of beverages in Delhi during 1966 and 1967 :—

	1966	1967
	(Quintals)	
(1) M/s. Pure Drinks (New Delhi Pvt. Ltd., (Manufacturers of Coca Cola and Fanta)	26,294	23,623
(2) M/s. J. B. Bottling Co. (Manufacturers of Pop Cola)	5,165	1,980.5
(3) M/s. Parle Co. (Manufacturers of Gold Spot) ..	3,410	1,856

Information regarding quantities demanded is not readily available.

(c) Cold drinks of undermentioned value were exported to other States by the said manufacturers during 1966 and 1967 :

	1966	1967
	Rs.	Rs.
(1) M/s Pure Drinks (New Delhi) Pvt. Ltd. ..	28,48,356	12,22,106
(2) M/s J. B. Bottling Co. ..	7,42,695	1,70,065
(3) M/s Parle Co. ..	1,46,311	2,89,702

State-wise figures are not available.

Agricultural Co-operation with Japan

3134. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 206 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the Government of Japan have since taken a decision in regard to agricultural co-operation with Japan ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes.

(b) An agreement has since been signed with the Government of Japan according to which the Agricultural Demonstration Frams established in Gujarat and Bihar under the earlier Agreement between the Government of Japan and the Government of India signed at New Delhi on April 23, 1962 shall hereafter be called Agricultural Extension Centres and shall aim at promoting agricultural production through Extension programmes by performing the following functions :

(i) Conducting trials on agricultural techniques and extending their results ;

(ii) Giving technical training to Indian agricultural instructors, technicians and farmers ;

(iii) Conducting trials and demonstrations through improved machinery and implements and extending the results of such trials,

2. The Government of Japan will take necessary measures to provide at their own expense the services of Japanese experts and other Japanese technical staff at each of the Centres. They will also provide, at their own expense, machinery, equipment, tools, spare parts and other materials required for the operation of the Centres. These articles shall become the property of the Government of India upon being delivered c.i.f. at the ports of disembarkation to the Indian authorities concerned.

3. The agreement shall remain in force for a period of 4 years, from the date of signing and may be extended by mutual agreement for a further period.

Supply of wheat and Atta

3135. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of atta, indigenous wheat and imported wheat supplied by the Central Government to each State during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

The quantities of Atta, indigenous wheat and imported wheat supplied by the Central Government to each State during the last two years (1966 & 1967) are indicated in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT—381/68]**

Import of Wheat and Maize

3136. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of countries from which wheat, maize and other foodgrains were imported during the last five years ;

(b) the quantity imported from each country, and

(c) the total cost thereof and the amount of the sale proceeds therefrom in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) and (b) A statement is enclosed. **[Placed in Library See. No-LT—1235/68]**

(c) **1962-63**. Cost Rs. 184.7 crores
Sale proceeds Rs. 166.8 crores.

1963-64 Cost Rs.234.0 crores.
Sale proceeds Rs. 240.0 crores.

1964-65 Cost Rs.342.1 crores.
Sale proceeds Rs.352.2 crores.

1965-66 Cost Rs.358.5 crores.
Sale proceeds Rs.448.9 crores.

1966-67 Cost Rs.575.1 crores.
Sale proceeds Rs. 491.3 crores.

The sale proceeds include those of indigenous grains also as separate figures are not available for imported and indigenous grains. Sale proceeds are for each financial year and do not relate necessarily to the grains imported in that very year.

पंजाब, हरियाना तथा राजस्थान से अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना-ले जाना

3137. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री न० कु० सोंधी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के एक भाग से दूसरे भाग में अनाज को लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध के फलस्वरूप पंजाब में काबली चने और पंजाब, हरियाना और राजस्थान में जौ के भारी भण्डारों को क्षति पहुँचने का भय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दो वस्तुओं की पंजाब, राजस्थान और हरियाना मे बिक्री नहीं हुई है और अन्य राज्यों में लोग इन राज्यों की तुलना में इन वस्तुओं के लगभग तीन गुना दाम दे रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने अथवा उनको कम करने की व्यवहार्यता पर सरकार ने विचार किया है;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पंजाब और राजस्थान में काबली चने और जौ के स्टाक को क्षति पहुँचने का कोई भय नहीं है। यद्यपि हरियाना में कुछ स्टाक जमा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तथापि भारतीय खाद्य निगम ने अधिप्राप्ति का काम चालू कर दिया है। यह कहना ठीक नहीं है कि अन्य राज्यों में चने और जौ के मूल्य इन राज्यों में चल रहे मूल्यों से लगभग तीन गुना अधिक हैं।

(ग) इस मास में होने वाले मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि खाद्यान्नों के संचालन पर लगाये गए मौजूदा प्रतिबन्ध ढीले कर दिए जाँय अथवा नहीं।

मरुभूमि विकास बोर्ड

3138. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरुभूमि विकास बोर्ड द्वारा 1967-68 में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में राजस्थान के बोर्ड द्वारा कितना काम किया गया है ;

(ग) क्या राजस्थान के लिए 1966-67 के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिये गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) एक सरकारी संकल्प द्वारा मरु विकास मण्डल की स्थापना 18 जून, 1966 को की गई थी, परन्तु इसने निदेशक द्वारा कार्यभार संभालने के पश्चात् 14 नवम्बर, 1967 से प्रभावशाली ढंग से कार्य करना शुरू किया था। 1967-68 में निर्णय किया गया था कि 3 राज्यों, अर्थात् राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के एक-एक सामुदायिक विकास खण्ड में मार्गदर्शी आधार पर कार्य शुरू किया जाये। ये खण्ड निम्नलिखित थे :—

1—राजस्थान के जोधपुर जिले में लूनी खण्ड।

2—हरियाणा के महिन्द्रगढ़ जिले में महिन्द्रगढ़ ।। खण्ड।

3—गुजरात के वनसकान्था जिले में सन्तलपुर क्षेत्र।

इन खण्डों के संसाधनों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था ताकि 1968-69 में कार्य रूप देने के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा सकें। परन्तु मरु विकास मण्डल ने अपने 25 जनवरी, 1968 की प्रथम बैठक में मरु क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करके खण्ड प्रस्ताव को त्याग देने का निर्णय किया। सिफारिश की गई कि यदि किसी विशेष कार्य को शुरू करने का विचार हो तो इसे प्रत्येक राज्य के एक खण्ड तक सीमित न रखा जाये, जैसा कि अब तक समझा गया था। अतः राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा की राज्य सरकारें राज्यों की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार 1968-69 की अवधि में क्रियान्वित करने के लिए अब विस्तृत योजनायें तैयार कर रही हैं।

भारत के खाद्य निगम द्वारा लाल मिर्चों की खरीद

3139. **श्री अ० क० गोपालन: श्री नम्बियार :**
श्री नायनार : श्री अब्राहम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम का लाल मिर्चों को खरीदने और नियंत्रित मूल्य पर जनता को सप्लाई करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो खरीद का काम कब प्रारम्भ होने की संभावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम 24 फरवरी, 1968 से लाल मिर्चों की खरीदारी कर रहा है। जो लाल मिर्चें खरीदी गयी हैं, वे कम आमद के महीनों में आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों को उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जाएंगी।

भारत के खाद्य निगम द्वारा दालों की वसूली

3140. **श्री अ० क० गोपलन : श्री नम्बियार :**
श्री नायनार : श्री अब्राहम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खाद्य निगम द्वारा दालों की वसूली का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में उपलब्धि एवं माँग पर निर्भर करते हुए 1-11-65 से शुरू होने वाले फसल-वर्ष 1965-66 से दालों की खरीदारी कर रहा है। जनवरी, 1968 के अन्त तक निगम ने निम्नलिखित मात्रा में दालों की खरीदारी की है:—

अवधि	अधिप्राप्त मात्रा (आंकड़े हजार मीटरी टन में)
1-11-1965 से 31-10-1966 तक	86.1
1-11-1966 से 31-10-1967 तक	117.0
1-11-1967 से 31-1-1968 तक (3 महीनों के लिये)	33.3

श्रमिकों की मजूरी

3141. **श्री अ० क० गोपालन : श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अब्राहम : श्री रमानी : श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1967 को श्रमिकों की उद्योग-वार मजूरी कितनी-कितनी थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि उद्योगों में श्रम-आधारित मजूरी न्यूनतम स्तर पर रखी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 1 जुलाई, 1967 को श्रमिकों की उद्योग-वार मजूरी कितनी-कितनी थी, इस बारे में सभी उद्योगों के बारे में सूचना समेकित रूप में प्राप्त नहीं है। मजूरी बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों पर विशेष उद्योगों के लिये निर्धारित मजूरियाँ 'इंडियन लेबर जरनल' में समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए निर्धारित और समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजूरी दरें अधिसूचनाओं द्वारा राजपत्रों में संबंधित सरकारें प्रकाशित करती रहती हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा न्यूनतम मजूरी पाने वाले अकुशल पुरुष श्रमिकों के लिए 30-9-1966 तक क्या-क्या न्यूनतम दरें निश्चित या संशोधित की गईं, इस बारे में नवीनतम सूचना 'इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक, 1967-(एक प्रकाशन) की तालिका 4.11 में दी गई है। इस प्रकाशन की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं। मजूरियाँ नियोजकों और श्रमिकों तथा उनके संगठनों के बीच स्वतंत्र बातचीत द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित न्यूनतम सीमाओं का पालन करते हुए घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं। उन उद्योगों के बारे में जो त्रिपक्षीय मजूरी बोर्डों के अन्तर्गत आते हैं, मजूरी बोर्डों की रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर यथोचित समझी जाने वाली मजूरियों की दरें निश्चित की जाती हैं। इसके अलावा मजूरियाँ जिनमें न्यूनतम मजूरियाँ भी सम्मिलित हैं, समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

सिंचाई योजनाओं के लिये उदारता से धन का नियतन

3142. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये उदारता से धन नियत किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने अभ्यावेदन किया है और कितना धन नियत करने की प्रार्थना की है; और

(ग) राज्यवार 1968–69 के लिये कितना धन नियत किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) लघु सिंचाई योजनाओं की लोकप्रियता और कृषि उत्पादन पर अनेक प्रभाव के कारण राज्य सरकार बड़े कार्यक्रमों को शुरू करने में पूरी दिलचस्पी रखती हैं। वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों के एनुअल प्लान प्रस्तावों पर, जिनमें लघु सिंचाई सम्बन्धी प्रस्ताव शामिल हैं, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यकारी ग्रुप विचार-विमर्श करते हैं। सन् 1968–69 के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रम के हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्ताव खर्च तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च निम्न प्रकार है:—

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य सरकार	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित खर्च	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	आन्ध्र प्रदेश	714	300
2.	आसाम	158	98
3.	बिहार	1,147	827
4.	गुजरात	677	545
5.	हरियाणा	193	104
6.	जम्मू तथा काश्मीर	192	100
7.	केरल	260	260
8.	मध्य प्रदेश	850	630
9.	मद्रास	996	500
10.	महाराष्ट्र	1,700	1,566
11.	मैसूर	830	600
12.	नागालैंड	8	12
13.	पंजाब	410	145
14.	राजस्थान	255	225
15.	उत्तर प्रदेश	3,000	2,070
16.	पश्चिमी बंगाल	616	621
17.	उड़ीसा	267	150
	जोड़ :	12,173	8,753

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च के अतिरिक्त लैंड मोर्टगेज बैंकों, एग्रीकल्चरल रिफाइ-नेंन्स कारपोरेशन, कोपरेटिव बैंकों, एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आदि जैसी नॉन-प्लान सैक्टर एजेंन्सियों से 120 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध की जायगी।

Land Acquisition in States

3143. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage of land acquired by each State and Union Territories under the various ceiling Acts and the acreage of land put to their own use and of that distributed among the landless labourers out of the land acquired in each State and Union Territory ;

(b) the details regarding the rates of compensation sale prices and rates of revenue separately in each State and Union Territory ; and

(c) the number of persons affected in each State under the aforesaid Acts ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) : The information is being collected from the State Governments and Union Territories.

दण्डकारण्य परियोजना में डाक और तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

3144. **श्री रवि राय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रहि :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले (उड़ीसा) की दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले डाक और तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि प्रायोजना क्षेत्र दो राज्यों में दो जिलों में फैला हुआ है, अतः उक्त क्षेत्रों में काम करने वाली सभी यूनिटों से आवश्यक आँकड़े इकट्ठा करने में काफी समय लग गया। अब सभी आँकड़े प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिये जाने की आशा है।

Night Post Offices in Madhya Pradesh

3145. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Night Post Offices in Madhya Pradesh and the Districts in which they are located ; and

(b) the number of Night Post Offices proposed to be opened in Madhya Pradesh under the Fourth Five Year Plan and the names of the districts in which the Night Post Offices would be set up ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 5; one each in Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Raipur Districts.

(b) The IV Five Year Plan has not yet been finalised, hence it is not possible at this stage to give any definite information.

Bogus Ration Cards in Delhi

3146. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons prosecuted on account of holding and making use of bogus ration cards in the Union Territory of Delhi since January, 1967 to-date ;

(b) the number of persons who were awarded punishment and number of cases still pending in courts ;

(c) the number of ration cards seized in Delhi which were being misused during the above period and the action taken in regard to the seized ration cards ; and

(d) the annual Saving of Units thereby to Government in the quota of Sugar, wheat and rice ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) 93 persons.

(b) 34 persons convicted and cases pending against 59 persons.

(c) 16,450 ration cards were seized out of which 4,067 cards were cancelled and excess units were reduced on the remaining 12,383 cards.

(d) Sugar—46391 units.

Wheat and rice—84192 units

Sugar Quota for Madhya Pradesh

3147. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Minister of Madhya Pradesh has demanded from the Centre larger quota of sugar for the State ; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community and Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) A request was received from the Food Department of the State Government for an additional allotment of 1,600 tonnes per month.

(b) The State Government has been informed that under the policy of partial control a quantity of only about 12 lakh tonnes of sugar will be available for controlled distribution and accordingly, a quantity of 2 lakh tonnes of sugar is being distributed to the States every month. The quotas of the States have been fixed in a uniform proportion to the quota as established prior to the introduction of partial control in November, 1967 and that, in the circumstances, it is not possible to allot any additional quota out of levy sugar.

Delhi—Meerut Telephone Line

3148. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi-Meerut telephone line was cut and wires stolen by some anti-social elements on the 11th February, 1968 as a result of which communication between Meerut and Delhi was disrupted ;

(b) if so, the quantity of wires stolen ;

(c) the number of persons arrested in this connection so far and the action taken against them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण

3149. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि अखिल-भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेषण संगठन का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ विलय कर दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग से इस सम्बन्ध में अभी तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, भारत सरकार अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के उस कार्य को जिसका मिट्टी के वर्गीकरण में अनुसंधान, सह-संबंध और देश के मिट्टी मान-चित्र के निर्माण से सम्बन्ध है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को हस्तान्तरित करने पर विचार कर रही है। इस संगठन का वह भाग, जो कि नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित है, कृषि विभाग के अन्तर्गत रहेगा।

उड़ीसा में बारगढ़ में सहकारी चीनी मिल

3150. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बारगढ़ में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या कारण हैं कि मशीनें आदि प्राप्त करने के लिये अभी औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) उड़ीसा के गाँव बराहागुढ़ा, तहसील बारगढ़, जिला सम्बलपुर में 1250 मीटरी टन की क्षमता की एक नयी सहकारी चीनी फैक्ट्री लगाने के लिये 24 अगस्त, 1966 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) संयंत्र तथा मशीनरी खरीदने के लिये किसी अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

सहकारी खेती

3151. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने क्षेत्र में इस समय सहकारी खेती होती है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : अनुमान है कि 30 जून, 1967 को सहकारी खेती के अन्तर्गत जो भूमि थी उसका कुल रकबा 11 लाख एकड़ के लगभग था।

हीराकुंड क्षेत्र में केन्द्रीय बीज फार्म

3152. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के हीराकुण्ड क्षेत्र में केन्द्रीय बीज फार्म में इस वर्ष बीजों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा; और

(ख) क्या बीजों को केवल राज्य में ही भेजा जाता है अथवा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आशा है 1967–68 की अवधि में बीज उत्पादन की मात्रा निम्न प्रकार होगी:–

धान	1500 क्विटल
गेहूँ	500 क्विटल
मटर	600 क्विटल
संकर मक्का ज्वार तथा बजरा	1000 क्विटल

(ख) समस्त राज्यों को बीज बेचा जाता है परन्तु अन्य सरकारों से प्राप्त होने वाली माँग की तुलना में उड़ीसा सरकार से प्राप्त होने वाली माँग को प्राथमिकता दी जाती है।

चावल की मिलें

3153. **श्री जुगल मंडल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री चावल मिलों के बारे में 27 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 3663 के उत्तर में 27 जून, 1967 को सदन को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में उसमें राज्य सरकारों से माँगी गई सूचना को संकलित करने के प्रयत्न किए गए थे। राज्य सरकारें सभी सूचना संकलित करने में समर्थ नहीं हुई हैं क्योंकि कुल मिलाकर लाइसेंस देने का अधिकार जिला प्राधिकारियों को दिया गया है। भारत के सभी जिलों से यह सूचना एकत्रित करनी होगी। सभी जिलों से सूचना संकलित करने के बाद भी यह सूचना बहुत काफी होगी और यह उल्लेखनीय है कि उसको तैयार करने में जितना समय और श्रम लगेगा उतना उससे लाभ न हो सकेगा।

डाक द्वारा तार भेजना

3154. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि सब तारों को तार प्रणाली द्वारा भेज सके ;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन महीनों में डाक द्वारा कितने तार भेजे गए तथा डाक द्वारा भेजे गए तारों को प्रतिशतता कुल तारों में कितनी थी ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस कमी को पूरा करने में सरकार को कितना समय लगेगा?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं। सामान्यतः प्राप्त हुए सभी तार विभाग द्वारा तार-प्रणाली पर ही भेजे जाते हैं। फिर भी मौसम की खराबी, बिजली खराब हो जाने तथा कर्मचारियों के अचानक गैर-हाजिर हो जाने आदि के कारण कभी-कभी कार्य-प्रणाली के सामान्य कार्यक्रम में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती हैं और सब तारों का डाक द्वारा निपटान करना अनिवार्य हो जाता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण-पत्र जिसमें शीघ्रता से तारों का निपटान करने के लिए हाल ही में उठाये गए कदमों का ब्यौरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नीचे ऐसे कुछ कदम दिए गए हैं जो तारों के शीघ्रता से निपटान के लिए हाल ही में उठाए गए या उठाये जा रहे हैं—

(i) जहाँ तक संभव है, तारघरों का कार्य-समय बढ़ाया जा रहा है।

(ii) मोर्स कार्य-प्रणाली के स्थान पर टेलीप्रिंटरों पर तेजी से काम करने वाली कार्य प्रणाली तथा सीधे परिपथों पर गड़बड़ी होने पर परियात का निपटान करने के लिये एवजी परिपथों की व्यवस्था की जा रही है। तारघरों में 2,711 टेलीप्रिंटर प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

(iii) मुख्य ट्रंक परिपथों को, जो अभी खुली तार लाइनों पर काम कर रहे हैं तथा जिन पर मौसम में हुए परिवर्तन आदि का अत्यधिक असर पड़ता है, सहधुरीय केबिलों तथा सुक्ष्मतरंग प्रणालियों के मार्गों पर ले जाया जा रहा है। 4,674 कि० मी० लम्बा सहधुरीय केबिल तथा 2,180 कि० मी० लम्बी सूक्ष्म तरंग प्रणालियाँ चालू कर दी गई हैं।

(iv) ताँबे के तार की चोरी हो जाने के कारण परिपथों पर लगातार लम्बे समय तक गड़बड़ी से बचने की दृष्टि से, उन क्षेत्रों में जहाँ चोरी होती रहती हैं, ताँबे के तार के स्थान पर ताँबे से झला तार लगाये जाने का प्रस्ताव है। अलुमूनियम के संवाहकों का अपेक्षाकृत अधिक इस्तेमाल करने की योजना भी है।

(v) बेहतर किस्म की स्वर आवृत्ति तार प्रणालियों के (जिनमें वाक् आवृतियों तथा टेलीफोन सरणियों का प्रयोग करके तार परिपथों की व्यवस्था की गई है), जो कि अधिक स्थायी है, डिजाइन तैयार किए गए हैं और धीरे-धीरे उन्हें स्थापित किया जा रहा है। एफ० एम० स्वर आवृत्ति तार प्रणालियों की 4,300 सरणियाँ काम कर रही हैं।

(vi) संचारण की आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से बढ़े हुए परियात का निपटान करने के लिए प्रचालकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सहकारी सुपर बाजार

3155. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने सहकारी सुपर बाजार हैं;

(ख) सरकार ने इन सुपर बाजारों में कुल कितनी धनराशि का विनियोजन किया है; और

(ग) पिछले वर्ष इन सुपर बाजारों को कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) इक्यावन ।

(ख) केन्द्रीय सरकार बहु-विभागी भण्डारों में सीधे कोई धन नहीं लगाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को बहु-विभागी भण्डार खोलने में सहायता देने के लिये वित्तीय सहायता देती है। भारत सरकार ने इन इक्यावन बहु-विभागी भण्डारों को खोलने के लिये 331.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है;

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक खोले गए 38 बहु-विभागी भण्डरों की लाभ तथा हानि की स्थिति दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०–382/68]**

दिल्ली में मजदूरों के लिये चीनी का कोटा

3156. **श्री मा० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश मजदूर जिनके पास राशन कार्ड हैं चीनी नहीं खाते;

(ख) क्या यह भी सच है कि आटा/गेहूँ के बदले में वे अपनी चीनी छोड़ देते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कार्डधारियों के चीनी के कोटे के बदले में आटा/गेहूँ का कोटा बढ़ाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बहुत ही कम मामलों में चीनी का कोटा छोड़ा गया जिसके बदले में आटा/गेहूँ दिया गया था।

(ग) सात जुलाई, 1967 से दिल्ली प्रशासन द्वारा चलायी गयी एक योजना के अंतर्गत प्रत्येक एक किलो चीनी स्वयं छोड़ने पर उसके बदले में $2\frac{1}{2}$ किलो गेहूँ/आटा लिया जा सकता था।

Demonstration by D.M.S. Employees

3157. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the employees of the Delhi Milk Scheme staged a demonstration outside its office on the 22nd January, 1968 :

(b) whether it is also a fact that the demonstrators submitted a memorandum containing 46 demands ; and

(c) if so, the decision taken by the Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) A small group of workers of the Delhi Milk Scheme held a demonstration outside its ompound on 22-1- 1968.

(b) No memorandum was submitted by the demonstrators on that day.

(c) Does not arise.

रोजगार दिलाऊ दफ्तर

3158. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में कितने लोगों के नाम पंजीबद्ध थे ;

(ख) उक्त अवधि में कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी अर्ध सरकारी संस्थायें रोजगार दिलाऊ दफ्तरों को पुछे बिना सीधे ही लोगों की भरती करती रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या स्वायत्तशासी निकायों समेत सभी सरकारी संस्थाओं के लिये रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से ही लोगों की भरती करना अनिवार्य बनाने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) अप्रैल 1966 से मार्च, 1967 के दौरान देश के नियोजन कार्यालयों में 38,50,248 लोगों ने नाम दर्ज कराए और 4,79,320 लोगों को नियुक्ति-सहायता प्रदान की गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग सिस्टम के विरुद्ध शिकायतें

3159. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग सिस्टम के कार्यकरण के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन लाइनों पर यातायात का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) भारी यातायात की दृष्टि से इन लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं। प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या बहुत कम है।

(ख) और (ग) जी हाँ। सभी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्गों पर परयात का नियतकालिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सेवा के स्तर का निर्धारण किया जाता है और उपलब्ध साधनों के अनुसार जहाँ आवश्यक हो परिपथों का संख्या बढ़ाने की कार्यवाही शुरू की जाती है।

किसानों को कृषि ऋण

3160. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **डा रानेन सेन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) 1966-67 और 1967-68 के लिये किसानों को कृषि ऋण देने के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) क्या इस पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) लगभग 1.81 लाख।

(ख) किसानों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों की सुविधाएं कृषि ऋण प्राथमिक समितियों द्वारा सुलभ की जाती हैं। सरकार उन्हें इस प्रयोजन के लिये वित्त का नियतन नहीं करती है। इस बारे में सहकारी समितियों के लिए केवल कुछेक मोटे लक्ष्य रखे जाते हैं। 1966-67 के लिए अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों के बारे में 450 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य रखा गया था, जबकि 365 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए जाने का अस्थायी अनुमान है। 1967-68 के लिए 520 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। वितरित ऋण के आँकड़े 1967-68 के सहकारी वर्ष (30.6.1968 को समाप्त होने वाला) के समाप्त होने पर ही उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अलग रखी गई धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रहने के ये कारण हैं:—

(1) नए सदस्य बनाने और उन्हें अधिक संख्या में प्राथमिक समितियों के अन्तर्गत लाने में धीमी प्रगति।

(2) फसल ऋण प्रणाली के कार्यान्वियन में धीमी प्रगति।

(3) 1965-66 तथा 1966-67 में बार-बार होने वाली तथा दूर-दूर तक फैली सूखे की स्थिति।

अनाज की प्रति एकड़ उपज

3161. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत में अनाज की प्रति एकड़ उपज में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई :

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनाज की उपज बढ़ाने के लिए या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) 1964-65 में समाप्त होने वाले पिछले 15 वर्षों की अवधि में कम उत्पादन की सीमान्त भूमि को कृषिगत लाने के पश्चात् भी धान्यों के उत्पादन में लगभग 29.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बड़े स्तर पर सूखा पड़ने के कारण पिछले दो वर्षों की अवधि में उत्पादन

कार्य को कुछ धक्का लगा है। परन्तु उसके पश्चात् मुख्यतः प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादनशील व उर्वरक अनुकूल किस्मों के बीजों तथा सघन व पूरक सिंचाई के प्रयोग से कृषि विकास की एक नई पद्धति को शुरू किया गया है।

खान-पान की आदतें

3162. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अपनी खाद्य नीति द्वारा लोगों की खान-पान की आदतों को बदलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस तरीके से ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार सेवा, खान-पान औद्योगिक तथा व्यावहारिक पोषाहार, खाद्य पॉलीटेकनिक स्थापित आधुनिक बेकरियों की श्रृंखला द्वारा गठित सुव्यवस्थित अभियान और समाचार-पत्रों, फिल्मों, इश्तिहार तथा पुस्तिकाओं के प्रकाशन जिनमें अनाज रहित खाद्य पकवानों की सूचियाँ दी होती हैं और प्रदर्शनियों आदि में भाग लेकर खाद्य आदतों में उपयुक्त परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है।

चावल खाये जाने वाले क्षेत्रों में गहूँ खाने वाले लोग

3163. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जिन भागों में लोग अधिकांशतः चावल खाते हैं उनमें गत दस वर्ष पहले की तुलना में अब गेहूँ खाने वाले लोगों की प्रतिशतता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : चावल खाने वाले, गेहूँ खाने वाले और अन्य प्रकार का अनाज खाने वाले लोगों की क्षेत्र-सीमा का ठीक-ठीक निर्धारण करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार, चावल खाने वाले या गेहूँ खाने वाले लोगों का ठीक-ठीक वर्गीकरण करना भी सम्भव नहीं है। फिर भी यह बता दिया जाये कि देश में कुल गेहूँ की शुद्ध उपलब्धि से यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में गेहूँ की खपत बढ़ गई है क्योंकि सन् 1957 में 106 लाख मैट्रिक टन से सन् 1967 में लगभग 169 लाख मैट्रिक टन गेहूँ की वृद्धि हुई।

बहु-पत्नी और बहु-पति प्रथा

3164. **श्री शिव चन्द्र झा** : **श्री रवि राय** :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ भागों में तथा कुछ समुदायों में बहु-पत्नी तथा बहु-पति प्रथा अब भी प्रचलित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन भागों में तथा किन-किन समुदायों में और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस दशा में अब तक क्या सफलता मिली है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम):

(क) जी हाँ, बहुत ही सीमित विस्तार में।

(ख) बहु-पत्नीत्व, मुस्लिम विधि के अधीन और कुछ अनुसूचित जन-जातियों को लागू रूढ़िजन्य विधि के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं है। बहु-पतित्व, कदाचित हिमालय प्रदेश में कतिपय पर्वतीय जन-जातियों में, उनको लागू रूढ़िजन्य विधि के अनुसार, प्रचलित है। तथापि, बहु-पत्नीत्व या बहु-पतित्व का चलन इस समय व्यावहारिक रूप में बहुत कम लोगों में है और यह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।

(ग) (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इस निमित्त कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का व्यय

3165. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के दिल्ली कर्मचारियों के वेतन, यात्रा, भत्ते और दैनिक-भत्ते पर 1966-67 में कितना धन खर्च हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के दिल्ली स्थित कर्मचारियों के वेतन, यात्रा-भत्ते और मंहगाई-भत्ते पर 1966-67 की अवधि में 1,30,93,356 रुपए व्यय हुए हैं।

वेतन, यात्रा-भत्ते और मंहगाई भत्ते के व्यय का विभागवार ब्यौरा संलग्न है।

मध्य प्रदेश में तट के पास से मछली पकड़ने का उद्योग

3166. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के तटीय क्षेत्रों में तट के पास से मछली पकड़ने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या ऐसा सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री (अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) नदी की तटीय मछलियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश के फिशरीज प्लान प्रोग्राम के एक भाग के रूप में, 4.80 लाख रुपये के अनुमानित खर्च पर एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मछलियों और बीज मछली साधनों के सर्वेक्षण के लिए चार यूनिट स्थापित किए जायेंगे, जिनका उद्देश्य नदी का तटीय मछलियों की, जिसमें नदी-मध्य मछलियाँ भी शामिल हैं, सघन खोज की वृद्धि करना होगा।

दो यूनिट बिलासपुर तथा बरवाह में स्थापित कर दिए गए हैं और कार्य चालू है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उ ता।

वनस्पति घी तैयार करने के लिये लाइसेंस

3167. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पिछले पाँच वर्षों में वनस्पति घी तैयार करने के कारखानों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिए गए ;

(ख) सरकार के समक्ष ऐसे कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और इनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष पार्टियों को लाइसेंस देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक।

(ख) तीन जो इस प्रकार हैं :—

(1) दि मध्य प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दौर सिटी।

(2) मैसर्स सेघमल जयनारायण, सिओनी।

(3) मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलेप्मेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में विकास खण्ड

3168. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड हैं और इनमें कितने राज-पत्रित और अराज-पत्रित अधिकारी हैं;

(ख) इन पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है ;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में इनके द्वारा कितने कृषि-यंत्र और कितनी मात्रा में बीजों और उर्वरकों का वितरण किया गया ; और

(घ) इनके द्वारा समाज-कल्याण के लिये संचालित संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) राज्य से माँगी गई जानकारी की प्रतीक्षा है; वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Complaints against Telephone Department

3169. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Communicatoins** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up Complaint Sections in order to deal with the complaints made against the telephone department ;

(b) if so, the names of places where such sections will be set up ;

(c) whether there is any arrangement for dealing with the complaints of poeple in each district ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) A complaints organization already exists in the P & T Department to deal with complaints against the P & T services, including complaints against telephone service. Proposals for

reorganization of the complaints set up with a view to streng then it further at all levels are, however, under consideration.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The complaints against the telephone service at the lowest level are dealt with by the Sub Divisional Officers and the Divisional Engineers incharge of the telephone system. The administrative jurisdiction of these officers does not generally coincide with the boundaries of revenue District.

Strike in Delhi Milk Scheme Milk Collecting Centres

3170. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a strike for 3 to 4 days in the milk collecting centres functioning under the Delhi Milk Scheme at Dadri, Dankaur, Bilaspur, Pilkhuwa, Gulawati and other places in February, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that rates for purchasing milk at the centres in Bulandshahar differ from those in Meerut ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Collection of milk was suspended by some of the dudhias (cycle carriers) for 4 days each at Dadri, Dankaur and Bhaun, 6 days at Siana and 7 days at Pilakhua in February, 1968.

(b) Milk collection was suspended as a protest against decrease in price of milk from Rs. 90 to Rs. 85 per quintal with effect from 25th January, 1968.

(c) Higher rates as follows were paid for purchases of milk at D. M. S. milk collection and chilling centre at Gulaothi in district Bulandshahar as compared with other areas :—

Date	Rate at other centres	Rate at Gulaothi
	(per quintal)	(per quintal)
	Rs.	Rs.
17-1-68 to 24-1-68	90.00	100.00
25-1-68 to 8-2-68	85.00	100.00
9-2-68 to 16-2-68	85.00	110.00

(d) Higher rates had to be paid to meet tough competition offered by private trade resulting in loss of large quantities of milk at this centre.

Inter-Caste Marriages

3171. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law** be pleased to state the number of inter-caste marriages solemnised from January, 1952 to December, 1967 State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohammad Yunus Saleem) :

Marriage is a matter falling within the Concurrent List. The figures regarding inter-caste marriages solemnised from January, 1952 to December, 1967 will not be available even with the State Governments as there is no law at present for the compulsory registration of all marriages.

पूर्णा (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3172. **श्री अ० दीपा** : क्या संचार मंत्री 12 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या

3927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णी (उड़ीसा) में इस बीच सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने में कितनी प्रगति हुई है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

पूर्णी (पूर्णी कटक) उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। काम की बढ़ी हुई लागत के कारण पोस्ट मास्टर जनरल, कटक ने संशोधित गारंटी स्वीकार करने के लिये इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है।

Auction of Foodgrains by Food Corporation of India in Rajasthan

3173. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India is auctioning different kinds of foodgrains in large quantities in Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that the Food Corporation is procuring and purchasing different kinds of foodgrains in large quantities in Rajasthan ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) The Food Corporation of India is procuring and purchasing jowar, bajra, maize gram, barley and moong according to the procurement policy in that State.

(c) The Food Corporation of India has been authorised as a procurement agent for different foodgrains under the system of levy in Rajasthan. Moreover, the Food Corporation of India has been advised to step in whenever the prices in the market tend to fall below the prevailing prices.

भारत संहिता

3174. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् द्वारा एक अधिनियम बनाये जाने और भारत संहिता के सम्बन्धित संशोधन-पत्रों को जनता में बिक्री के लिये देने के बीच कम से कम तथा अधिक से अधिक कितना समय लगता है ;

(ख) भारत संहिता की हर एक जिल्द के कितने संशोधन-पत्र अब तक प्रकाशित किए गए हैं तथा जनता में बेचे गए हैं;

(ग) कानूनी नियमों और विनियमों की कितनी जिल्दें अब तक प्रकाशित की जा चुकी हैं;

(घ) कानूनी नियमों तथा आदेशों की जिल्दों को अद्यतन रूप में जनता से उपलब्ध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारत संहिता और कानूनी नियमों तथा विनियमों की जिल्दों सहित केन्द्रीय अधिनियमों के प्रकाशन के काम के लिये कितने राजपत्रित आफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनकी अर्हतायें (शैक्षिक तथा तकनीकी यदि ऐसी हैं) क्या-क्या हैं और वे इस समय कितना-कितना वेतन ले रहे हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम):

(क) भारत संहिता के संशोधन-पत्र शीघ्र ही तब निकाले जाते हैं जब कि पश्चात्वर्ती विधान द्वारा पर्याप्त पृष्ठ प्रभावित होते हैं और संसद् के अधिनियम के पारित होने और संशोधन-पत्रों के निकाले जाने के बीच कोई नियत समय सीमा नहीं है।

(ख) जिल्द 1 और 4 के नौ संशोधन-पत्र, जिल्द 2 और 6 के सात संशोधन-पत्र, जिल्द 3 और 5 के आठ संशोधन-पत्र, जिल्द 7 और 8 के पाँच संशोधन-पत्र;

(ग) चौदह जिल्दें;

(घ) मुख्य जिल्दों के अनुपूरक तैयार किए जा रहे हैं और समय-समय पर निकाले जाएँगे।

(ङ) तीन राजपत्रित आफिसर—एक उप-सचिव, भारत सरकार जिसका वेतन मान 1100–50–1300–60–1600–100–1800 रु० है; दो अधीक्षिक (विधिक) जिनका वेतनमान 620–30–830 रु० हैं; अधीक्षिक (विधिक) पदों के दो वर्तमान धारकों की अर्हताएँ और वेतन इस प्रकार हैं—

(i) बी० ए० एल० एल० बी०–740.00 रु०

(ii) एम० ए०–बी० एस० सी०–एल० एल० बी०–620·00 रु०। जहाँ तक उप-सचिव का सम्बन्ध है, इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति हाल ही में सेवा-निवृत्त हुआ है और उत्तरवर्ती की नियुक्ति विचाराधीन है।

सरकारी प्रक्षेत्र

3175. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सहायता से स्थापित किए जाने वाले 15 सरकारी प्रक्षेत्रों की मुख्य रूप-रेखा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये कितनी भूमि निर्धारित करने का विचार है;

(ख) क्या इन प्रक्षेत्रों में किसानों को व्यावहारिक रूप से खेती करने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ये क्षेत्र कहाँ-कहाँ स्थापित करने का विचार है।

(घ) क्या ऐसा कोई प्रक्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में स्थापित करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कहाँ पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रूस सरकार ने पाँच फार्मों के लिये मशीनें प्रत्येक फार्म को अधिकतम 31 लाख रुपये मूल्य की मशीनें, बिना किसी मूल्य के देना स्वीकार कर लिया है। शेष 10 फार्मों के लिये मशीनें रूस से आस्थगित भुगतान के अन्तर्गत प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इन फार्मों का सामान्य आकार सुगठित क्षेत्रों की उपलब्धि के आधार पर रहते हुए 8,000 से 10,000 एकड़ तक है। इन फार्मों का मुख्य लक्ष्य अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन करना है।

(ख) फार्मों पर कृषकों के प्रशिक्षण की अभी व्यवस्था नहीं की गई है, किन्तु उन्हें

फार्मों को देखने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा और वे स्वयं कृषकों द्वारा अपनाये गए कृषि के सुधरे तरीकों को देख सकें।

(ग) से (ङ): इन फार्मों में से एक फार्म में उड़ीसा के हीराकुंड क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राजकीय फार्मों की स्थापना के लिये हरियाना के हिसार जिले में, पंजाब के सतलज तटवर्ती प्रदेश में, मैसूर के रायचूर जिले में, बिहार के सहरसा जिले में और केरल के कैन्नानूर जिले में स्थान निश्चित कर दिये गये हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश में एक राजकीय फार्म की स्थापना का सुझाव दिया है। राजकीय फार्म के लिये इसकी उपयुक्तता या अन्य बातें देखने के लिये केन्द्रीय बीज फार्म समिति ने अभी तक इस स्थान की यात्रा नहीं की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी राजकीय फार्म के लिये स्थान सुझाने के लिये कहा गया है किन्तु अभी तक उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। देश के अन्य भागों में भी राजकीय फार्मों की स्थापना की संभाव्यता की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

कृषि विकास योजनाएँ

3176. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में भू-बन्धक बैंकों ने विभिन्न राज्यों में किसानों को कितने ऋण दिए और सम्बन्धित राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने 1967-68 में सहकारी समितियों के द्वारा तकावी ऋणों के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने प्रार्थना की है कि 1967-68 में 100 लाख रुपए की और राशि की व्यवस्था की जाये ताकि किसानों की अपनी कृषि विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की माँगों को पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) 1966-67 में भू-बन्धक बैंकों ने देश में 6031.61 लाख रुपए की राशि दीर्घ-कालीन ऋणों के रूप में वितरित कर दी थी। 1967-68 के तकावी ऋणों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

Departmental Post Offices in Border Villages of Rajasthan

3178. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that demands have been made for a long time to open Departmental Posts Offices in Poongal, Amarpura Mahadevali, Kanolai and Jagor in Bikaner district ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) Representations were received for opening of Post Offices at Amarpura, Mahadevali, Kanolai and Jagor. There is already an Extra Departmental Branch Post Office at Pugal.

(b) Post Offices at Amarpura, Mahadevali, Kanolai and Jagor could not be opened as the estimated loss would have exceeded the prescribed limit.

Agricultural Farm at Suratgarh

3179. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of agricultural land under the Central Mechanised Agricultural Farm, Suratgarh ;

(b) the acreage of such land brought under cultivation in 1965-66 and the acreage in which wheat, gram, rice and cotton was grown separately ; and

(c) the expenditure incurred and the income therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The total acreage of the Central State Farm, Suratgarh, is 30,331 acres out of which an area of 27, 501 acres is fit for agricultural use.

(b) and (c) Total acreage brought under cultivation during the year 1965-66 was as under:

Kharif	..	..	..	3,321 acres.
Rabi	..	..	..	6,237 ,,

The acreage under wheat, rice, gram and cotton was as follows :

Wheat	..	..	..	3,218 acres
Gram		..	..	604 ,,
Paddy			..	192 ,,
Cotton	..	..		1,945 ,,

The total expenditure on these four crops during 1965-66 was Rs.36,85,461 and the income from these crops was Rs. 27,38,266.

Automatic Exchange at Lunkarnsar

3180. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than one year has elapsed since a 10-line board was installed for providing telephones to local businessmen at Lunkarnsar town, District Bikaner, Rajasthan;

(b) if so, the reasons for not issuing demand notices for providing telephone connections although the businessmen had already submitted applications therefor ;

(c) whether it is also a fact that an assurance was given during the last Session of Lok Sabha to provide a 25-line automatic exchange in this town within six months ; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) Yes.

(b) It has not been possible to provide the connections due to non-availability of magneto instruments and certain other essential stores.

(c) No such assurance appears to have been given but a project to provide a 25 line SAX at Lunkarnsar has been approved.

(d) Indents have been placed to obtain the required stores for the purpose..

महिला कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा

3181. **श्री क० लकप्पा** : **श्री बसवन्त**:

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से कारखानों में महिला कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा पुरुष चिकित्सकों द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यवस्था के बारे में महिला कर्मचारियों में जो असन्तोष और विरोध है क्या उसकी जानकारी सरकार को है; और

(ग) समूचे देश में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में डाक व तार विभाग की इमारतें

3182. **श्री र० बरुआ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में डाक व तार विभाग की इमारतें बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या आसाम में कोई स्वतंत्र सिविल स्कन्ध स्थापित करने का विचार है ताकि भारतों सम्बन्धी आवश्यकता का समुचित निर्धारण किया जा सके और उनका निर्माण-कार्य शीघ्रता से सम्पन्न किया जा सके?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) एक विवरण-पत्र, जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में मौजूद डाक-तार इमारतों तथा उसके बाद बनी, बनाई जा रही है तथा बनाये जाने के लिये मंजूर की गई इमारतों की संख्या दी गई है, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 383/68]**

(ख) आसाम सर्कल में निर्माण-कार्यों की देख-रेख करने के लिये सिविल विंग का एक पूरी तरह से सज्जित सब डिवीजन गौहाटी में पहले से ही मौजूद है। मौजूदा कार्य-भार के लिए इसे ही काफी समझा गया है। जैसे ही कार्य-भार में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाएगी, एक डिवीजन बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश से चावल और धान का निर्यात

3183. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 दिसम्बर, 1967 से 15 जनवरी, 1968 तक की अवधि में आन्ध्र प्रदेश से केरल, मैसूर और महाराष्ट्र को कितनी मात्रा में चावल तथा धान का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य को केन्द्रीय सरकार से कितना माइलो अनाज प्राप्त हुआ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क)

केरल		18,449 मीटरी टन (चावल के हिसाब से धान सहित)।
मैसूर		1,096 मीटरी टन
महाराष्ट्र		कुछ नहीं
	योग	19,545 मीटरी टन

(ख) 9,596 मीटरी टन।

कीट-नाशक दवाइयों के लिये राज्यों को अल्पकालीन ऋण सहायता

3184. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक कृषि उत्पादन के लिये आन्दोलन और उसके अनुपात में अधिक कीटनाशक दवाइयाँ सप्लाई की जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राज्यों की कीटनाशक दवाइयों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्यों को पुनः अल्पकालीन ऋण सहायता देने का है, जैसा कि पहले किया जा रहा था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) सन् 1966-67 से पूर्व राज्य सरकारों की प्रार्थना पर तदर्थ आधार पर बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों की खरीद तथा वितरण के लिये अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किए जा रहे थे। सन् 1966-67 के बाद से बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों के हेतु अल्पकालीन ऋणों को स्वीकृति करने के लिये एक निश्चित पद्धति बना दी गई है। कीटनाशक औषधियों की खरीद पर जो खर्च आता है उसका 50 प्रतिशत तब तक राज्य सरकारों को कीटनाशक औषधियों के लिये अल्पकालीन ऋण दिए जा रहे हैं। वर्तमान पद्धति को बदलने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में वनों में पूंजी विनियोजन से पहले उनका सर्वेक्षण

3185. **श्री गणेश**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी विनियोजन से पहले अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह की वनसम्पदा का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अब ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण कराये बिना अंदमान के वनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) अन्दमान द्वीप के वन संसाधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है।

वन संरक्षक कार्यालय, अन्दमान

3186. **श्री गणेश**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 की अवधि में अन्दमान द्वीपसमूह में वन संरक्षक कार्यालय में कर्मचारियों को उपरिसमय भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) किन कारणों से कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने के लिये रोका गया?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 776·50 रुपए (सात सौ छयत्तर रुपए और पचास पैसे)

(ख) कार्यालय के "शीघ्र" प्राथमिकता वाले काम को निपटाने के लिए।

दिल्ली में गेहूँ तथा चावल की खुले बाजार में बिक्री

3187. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गेहूँ और चावल की खुले बाजार में बिक्री की अनुमति दिए जाने के बाद इनके मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) मूल्य स्तर की तुलना में जब कि खुले बाजार में बिक्री की अनुमति दी गयी, मूल्यों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यानों के क्रय तथा विक्रय मूल्य

3188. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्न के क्रय तथा विक्रय मूल्यों में औसतन कितना अन्तर है; और

(ख) क्या सरकार व्यापारियों को भी अनुमति देती है कि वह अपने क्रय तथा विक्रय मूल्यों में इतना अन्तर रखें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले चावल का निर्गम मूल्य एकीकृत लागत मूल्य पर आधारित होता है और देश भर में निर्गम मूल्य एक-से हैं। औसत अधिप्राप्ति मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच लगभग 17 रुपए प्रति क्विंटल का अन्तर है। इसमें प्रोत्साहन बोनस तथा राज्य सरकारों को देय प्रशासनिक अधिभार के लगभग 7 रुपए शामिल होते हैं। तथापि, सप्लाई के स्रोत, भाड़ा प्रभार आदि पर निर्भर करते हुए अन्य खाद्यान्नों की लागत प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। अतः औसत अन्तर बताना सम्भव नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा अधिप्राप्त खाद्यान्नों के क्रय तथा विक्रय मूल्यों के बीच अन्तर और व्यापारियों को अनुमेय अन्तर की तुलना करना सम्भव नहीं है। अब चल रही क्षेत्रीय व्यवस्था के अधीन सारा अन्तर्राज्यीय व्यापार सरकारी खाते में होता है और राज्य में व्यापारी केवल आन्तरिक विवरण का कार्य करते हैं।

लगान की वसूली

3189. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खेती के अन्तर्गत रिकार्ड किए गए क्षेत्र के अनुसार लगात की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो लगान द्वारा खरीफ फसल की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) उन राज्यों में जहाँ "उत्पादक लेवी" द्वारा अधिप्राप्ति करने की प्रणाली अपनाई गई है, वहाँ प्रत्येक उत्पादक से मिलने वाली लेवी की मात्रा उत्पादक के जोत पर निर्भर करती है।

(ख) इन राज्यों में जितनी अधिप्राप्ति होने की आशा है उसमें से उत्पादक लेवी से कितनी अधिप्राप्ति हो पाएगी, इस संबंध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न विधानों में मूल अधिकारों की रक्षा

3190. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विधान प्रस्थापित करने वाले अन्य मंत्रालयों का ध्यान, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा लगाए गए निर्बन्धनों की ओर दिलाया है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय भी किसी विधेयक को लाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवश्यक वस्तु विधेयक, पेटेंट विधेयक, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण विधेयक, एकाधिकार विधेयक तथा अन्य सभी विधेयकों में, जो निर्बन्धात्मक स्वरूप वाले हैं और विधायन के लिये पेश किए जायेंगे, मूल अधिकारों का कोई अतिलंघन न हो?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम):

(क) और (ख) जी हाँ।.

(ग) उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसका निर्देश किया गया है, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनने या उनका न्यूनन करने के सम्बन्ध में उस भाग के उपबंधों के संशोधन के लिये विधान से सम्बद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, विधान की हर प्रस्थापना की विधि मंत्रालय द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षा की जाती है।

माइलो अनाज का आयात

3191. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967 में विभिन्न देशों से कितना तथा कुल कितने मूल्य का माइलो अनाज तथा गेहूँ का आयात, अलग-अलग किया गया;

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 को कितनी-कितनी मात्रा में ये बाकी थे और उसका मूल्य कितना था; और

(ग) गेहूँ तथा माइलो अनाज कुल कितनी मात्रा में बेचा गया और उसकी बिक्री से कितनी राशि, अलग-अलग प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 384/68]

(ख)	माइलो:	मात्रा 69 हजार मीटरी टन। लागत 3.7 करोड़ रुपए।
	गेहूँ:	मात्रा 341 हजार मीटरी टन लागत 21 करोड़ रुपए।
(ग)	गेहूँ:	मात्रा 6727 हजार मीटरी टन बिक्री से प्राप्त राशि 370 करोड़ रुपए
	माइलो:	मात्रा 1924 हजार मीटरी टन बिक्री से प्राप्त राशि 77 करोड़ रुपए।

सरकारी क्षेत्र की बेकरियां

3192. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाली सरकारी क्षेत्र की बेकरियाँ दिल्ली में तथा अन्य स्थानों में कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना हैं;

(ख) क्या हाल में बम्बई में उद्घाटित की गई माडर्न बेकरी में उसकी पूरी क्षमता अनुसार उत्पादन हो रहा है; और

(ग) उस माडर्न बेकरी में बनने वाले उत्पादों की मात्रा और मूल्य की ब्रिटेनिया कम्पनी के उत्पादों की मात्रा और मूल्य की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) बम्बई और मद्रास की आधुनिक बेकरियों में पहले ही उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है कि दिल्ली, अहमदाबाद और कोचीन स्थित बेकरियों में अप्रैल, 1968 में उत्पादन शुरू हो जाएगा। शेष यूनिट जो कलकत्ता में हैं, वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और इस वर्ष के अन्त तक उसमें उत्पादन चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ख) आधुनिक बेकरी ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है और अभी तक अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही है।

(ग) आधुनिक बेकरियों द्वारा तैयार की गई डबल रोटियाँ ब्रिटेनियाँ की रोटियों के बराबर ही हैं।

उत्पादन के हिसाब से मजूरी का भुगतान

3193. **श्री कृ० मा० कौशिक**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारखाने की मजूरी तथा अन्य कर्मचारियों की मजूरी निश्चित करने के लिये

नियुक्त किए गए मजूरी बोर्ड और ऐसी अन्य समितियों को एक कर्मचारी द्वारा किए गए काम के हिसाब से मजूरी का निर्धारण करने की बात को ध्यान में रखना पड़ता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई निदेश जारी करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) मुख्य संगठित उद्योगों में अखिल भारतीय आधार पर एक मजूरी विन्यास तैयार करने का कार्य आमतौर से समय-समय पर स्थापित किए जाने वाले मजूरी बोर्डों को सौंपा जाता है। मजूरी बोर्डों के लिये, जिनमें तीन पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार, उत्पादन के मुताबिक मजूरी के भुगतान की पद्धति का विस्तार करने की वांछनीयता पर विचार करना आवश्यक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में पाम्बा रीवर शूगर फैक्ट्री

3194. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य की पाम्बा रीवर शूगर फैक्ट्री ने गन्ना उत्पादकों को 1958-59 और 1959-60 सीजन के लिये गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकार ने 1960-61 और 1961-62 के लिये गन्ने के अतिरिक्त मूल्य निर्धारित कर दिए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस फैक्ट्री ने इस अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया था?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) पाम्बा रीवर शूगर फैक्ट्री को 1958-59 मौसम के लिये गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का कोई भुगतान नहीं करना था। उसे 1959-60 के मौसम के लिये 2,47,285.14 रुपए का भुगतान करना था। उसे इस राशि का भुगतान 1,23,642.57 रुपए प्रति किस्त के हिसाब से दो किस्तों में 2-11-67 और 2-5-68 तक करना था। फैक्ट्री से प्राप्त सूचना के अनुसार पहली किस्त का भुगतान निश्चित तारीख तक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दूसरी किस्त की कुल राशि में से 95,890.92 रुपए की एक राशि का भी भुगतान 15-2-1968 तक कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य में चीनी के कारखाने

3195. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और 1967 में उन्होंने कितनी चीनी पैदा की है;

(ख) क्या यह सच है कि गन्ने के उपलब्ध न होने के कारण ये कारखाने सीजन के कुछ भाग के लिये ही चालू रहते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन कारखानों के लिये गन्ने की काश्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) केरल राज्य में स्थित चीनी कारखानों की स्थापित क्षमता 0.34 लाख मीटरी टन है और उन्होंने 1966-67 के मौसम में 10,244 मीटरी टन चीनी उत्पादित की थी।

(ख) जी हाँ।

(ग) राज्य सरकार और कारखानों द्वारा गन्ना का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मन्नम सहकारी चीनी मिलों को सीधे खेती के लिये कुछ वन-भूमि आवंटित की है। चालू मौसम में गन्ने के जो अधिक मूल्य दिए गए हैं, उनसे यह भी आशा है कि आगामी वर्ष में वे कारखानों को गन्ने की सप्लाई में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय भांडागार निगम

3196. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं तथा उनके नाम, पदनाम तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या है;

(ख) यदि प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के स्थान पर कर्मचारियों की सीधी भर्ती करने और उनको पदोन्नति करने से केन्द्रीय भाण्डागार निगम को कितनी बचत होगी; और

(ग) इन कर्मचारियों के स्थान पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने अपने कर्मचारी नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 385/68**]

(ख) केवल इस आधार पर निकाली गयी केन्द्रीय भाण्डागार निगम की बचत परिकल्पित एवं भ्रामक होगी क्योंकि इसमें निगम की समस्त परिचालन सम्बन्धी दक्षता को हिसाब में नहीं लिया गया होगा जो कि निगम को कुछेक अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में अनुभवी तथा परिपक्व कर्मचारी नियुक्त कर प्राप्त की जा सकती है।

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के हित को ध्यान में रखकर इस प्रश्न की समय-समय पर बराबर समीक्षा की जाती है और इस पर निर्णय लिये जाते हैं।

Scheme for free Distribution of Transistors to Farmers

3197. **Shri Ramchandra Veerappa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have drawn up a scheme for the distribution of transistors free of cost to the farmers with a view to promote agriculture and to popularise modern methods of agriculture ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(q) No.

(b) Does not arise,

Post Office Building at Bahadurganj

3198. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Post Office building at Bahadurganj, District Purnea, Bihar is very old and has become dilapidated ; and

(b) if so, when a new building is likely to be constructed there ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The re-construction of the building is likely to commence during 1968-69.

Branch Post Office at Bishanpur, District Purnea

3199. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for not upgrading the Branch Post Office to a Sub-post Office in Bishanpur, District Purnea (Kochadhaman Block) ; and

(b) whether the local people have promised to provide a pucca building without any charges?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) The proposal for upgrading Bishanpur EDBO into a Sub-office was examined twice during 1967 but had to be dropped as the estimated loss per annum would have been of the order of Rs.1,500 (approx.) as against the permissible limit of Rs.1,000 per annum.

(b) No.

Communication Facilities from Galgalia to Viratnagar

3200. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a need for providing communication facilities from Galgalia, Purnea District, Bihar to Viratnagar (Joglami) situated on the Indo-Nepal and Indo-Pakistan borders ; and

(b) if so, the time by which telephone and telegraph facilities are likely to be extended to Bahadurganj, Poakhali, Bibiganj, Dichhalbank, Jonlhihat Kaliaganj, Kochachhaman, Bishanpur, Phulwaria, Bardab and Kotal ?

The Minister of State in the Departments of Pariiamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) No. There is no demand either from the Public or from the State Government to provide direct telecommunication link between Galgalia, Purnea District, Bihar to Jogbani (Joglami). Viratnagar is actually in Nepal territory.

(b) Telegraph and telephone facilities at Bahadurganj and Dighalbank (and not Dichhalbank) have been sanctioned and the works are yet to be taken up. The proposals for telecom. facilities at Kochachhaman and Bishanpur have been examined and dropped as the schemes were found to be unremunerative. The schemes in respect of other stations have not been examined so far. It is, therefore, not possible to indicate any time-limit by which telephone and telegraph facilities are likely to be extended to the various stations.

त्रिचूर में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3201. **श्री नायनार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर (केरल राज्य) में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) 7.4 लाख रुपए की लागत पर क्वार्टरों की 52 यूनिटें बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस कार्य के आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान हाथ में ले लिये जाने की आशा है।

बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट

3202. **श्री नंजा गौडर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में डाक व तार विभाग द्वारा 10000 से अधिक रेडियो सेटों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब भी कई रेडियो सेट बिना लाइसेंस के हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को यदि कोई दण्ड दिया गया है तो क्या ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ।

(ख) ऐसी संभावना हो सकती है।

(ग) बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेटों का पता लगाने के लिए विभाग में अपवंचन-विरोधी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा दलों में व्यापक जाँच-पड़ताल की जाती है। इस वर्ष जो एक विशेष कदम उठाया गया है वह है 1 फरवरी, 1968 से तीन महीने के लिए सरकार की ओर से क्षमा की घोषणा, जिसके दौरान बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेटों के लिए अधिभार की अदायगी के बिना साथ ही यह प्रमाण दिये बिना कि रेडियो सेट कहाँ से और किस तारीख को लिया गया था, लाइसेंस लिया जा सकता है।

(घ) जिनके पास बिना लाइसेंस के रेडियो सेट पाये जाते हैं उनसे देय लाइसेंस शुल्क और एक वर्ष के लाइसेंस-शुल्क के बराबर अधिभार की अदायगी करने के लिये कहा जाता है। अदायगी न होने पर अपराधियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार टेलिग्राफी अधिनियम, 1933 के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली में चोरी-छिपे खाद्यान्नों का लाया जाना

3203. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गेहूँ तथा चावल की खुली बिक्री पर लगाये गए प्रतिबन्धों के हटाये जाने के बाद दिल्ली तस्करों का गढ़ बन गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) तस्करी को रोकने के लिये संघ शासित प्रदेश में बिना परमिट के खाद्यान्न लाये-ले जाये नहीं जा सकते हैं। सीमाओं पर पड़ताल चौकियों को रखने की व्यवस्था अब भी चल रही है।

कोयला खान भविष्य निधि

3204. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि में 1964-65 और 1965-66 में अपना अंशदान न देने वाले मालिकों की ओर कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) दोषी नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बकाया राशियाँ ये हैं :—

1964-65	67.1 लाख रुपए।
1965-66	91.5 लाख रुपए।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—	1964-65	1965-66
जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या	59.5	570
चलाये गए अभियोजन	134	130
चलाये गए सर्टिफिकेट मामले	184	149

कोयला खान भविष्य निधि

3205. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान-भविष्य निधि के कितने अंशदाताओं की छंटनी 1965 और 1966 में की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि सी छंटनी बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) 1965 8,154

1966 11,326

(ख) जी हाँ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए नियमों में छंटनी, छंटनी मुआवजे को अदायगी और छंटनी किए गए श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जब श्रमिक छंटनी करने की नियोजकों की कार्यवाही पर आपत्ति की जाय तो विवाद खड़ा किया जा सकता है और केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ऐसे मामलों में समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप करती है। परन्तु जहाँ यह छंटनी नहीं रोक सकती और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि छंटनी उचित नहीं है, तो विवाद को न्याय-निर्णय के लिए भेजा जाता है।

Supply of Fertilisers for Rabi Crop

3206. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the demand for chemical fertilisers for Rabi crop this year, State-wise ;

(b) the quantity supplied so far, State-wise ;

(c) whether their demands have been met fully ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a), (b) and (d) A statement is attached. **[Placed in Library. See No.LT—386/68]**

(c) Yes ; Sir.

भारत सेवक समाज की नागपुर शाखा के धन में कमी

3207. **श्री कु० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज की नागपुर शाखा के धन में 1,27,000 रुपये का गबन या कमी पाई गई थी ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Employees' State Insurance Corporation

3208. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Employees working at present against Class I, Class II and Class III posts in the Employees' State Insurance Corporation ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and the number of Scheduled Castes actually working against them ;

(c) whether Government are aware that the Scheduled Castes employees with higher education working for the last ten to fifteen years are not being promoted, especially in Gujarat Region, to the reserved posts on the grounds of untouchability ; and

(d) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a)	Class I	49
	Class II	104
	Class III	4,708

(b)	Posts reserved	Working
Class I	3	1
Class II	6	2
Class III	497	285

(c) Reservation does not apply to posts filled by promotion except in certain cases. However promotion is not denied in any case on the ground of untouchability. However, when suitable qualified candidates are not available for appointment against reserved vacancies, they are filled by persons other than those belonging to the Scheduled Castes in accordance with the Government of India instructions on the subject which are also followed by the Employees, State Insurance Corporation.

(d) Does not arise.

कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति

3209. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यंग इण्डिया खदान मजदूर कार्मिक संघ ने 15 जनवरी, 1968 को न्यूटन चिकली कोयला खानों को हड़ताल का नोटिस दिया था जिसमें यह माँग की गई है कि रविवार को कार्य के लिए वेतन तथा कर्मचारियों के वर्गीकरण आदि के बारे में कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित किया जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुराने कर्मचारियों को बिना कोई मुआवजा दिये विभिन्न कारणों से नौकरी से निकाला जा रहा है और सब की सेवा की शर्तों में गैर-कानूनी ढंग से परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हाँ। परन्तु हड़ताल का नोटिस 16 जनवरी, 1968 का है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के क्षेत्रीय अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहे हैं।

(ग) हड़ताल का नोटिस प्राप्त होने पर सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), छिंदवाड़ा द्वारा विवाद पर समझौते की कार्यवाही की गई। परन्तु समझौता-कार्यवाही असफल रही और इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

करनाल सहकारी परिवहन संस्था के कर्मचारियों की हड़ताल

3210. **श्री माधो राम शर्मा : श्री काशी नाथ पांडे :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल सहकारी परिवहन संस्था तथा उसकी अन्य दो सहायक संस्थाओं द्वारा तालाबन्दी की घोषणा की जाने के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं के परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण सड़क पर मोटर गाड़ियों का चलना पूर्णतः ठप हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हाँ, श्रमिकों ने 8-2-68 से 23-2-68 तक हड़ताल की। वहाँ कोई तालाबन्दी नहीं थी।

(ख) राज्य श्रम विभाग के हस्तक्षेप पर सम्बन्धित पक्षों में एक समझौता हो गया, जिस पर 23-2-68 को हस्ताक्षर हुए और 24-2-68 को हड़ताल समाप्त हो गई। महंगाई-भत्ते के भुगतान का मुख्य मामला न्यायनिर्णय के लिए भेज दिया गया है।

National Council of Applied Economic Research

3211. **Shri Mahant Digvijai Nath** : Will the Minister of **Food and Agriculture be** pleased to state :

(a) whether Government propose to import liberally tractors on rupee payment basis in the background of the recommendations made by the National Council of Applied Economic Research in regard to the mechanisation of farms in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The National Council of Applied Economic Research had taken up a techno-economic survey of Uttar Pradesh and the report related to several aspects of Development including agriculture; it has not taken up a study of farm mechanisation in the State. In its report on techno-economic survey, the farm mechanisation was not specifically discussed and the Council drew attention to the necessity of increasing the per acre yield. In as much as any programme of agricultural development would have to comprise of a farm mechanisation programme, efforts have been made to increase the availability of tractors both from indigenous sources as well as from imports for the entire country. Lately, imports have been limited to the U.S.S.R. and Czecho-slovakia. During 1967, the import of 6500 tractors from these sources was arranged ; in the current year import of 1000 tractors from Czechoslovakia has been authorised already and further imports are under consideration.

Supply of Foodgrains to U.P.

3212. **Shri Mahant Digvijai Nath** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and rice supplied to Uttar Pradesh during December, 1967 and January, 1968 ;

(b) the qauntity of wheat which was meant for rationed and non-rationed areas, respectively, out of the quantity of wheat supplied ; and

(c) whether Government propose to increase the quota of wheat and rice for Uttar Pradesh for the purpose of its distribution through fair price shops in non-rationed areas :

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) No rice is being supplied to Uttar Pradesh from Central Pool. About 81 thousand tonnes of imported wheat was supplied to Uttar Pradesh (including mills) in December, 1967 and January, 1968.

(b) and (c) The Central Government make only bulk allocations of foodgrains to the State Government and it is for the latter to distribute it amongst various sections of the population. The imported wheat quota for Uttar Pradesh has been increased from 35,300 tonnes in January to 45,300 tonnes for each of the months of February and March.

Development of Fisheries in U.P.

3213. **Shri Mahant Digvijai Nath** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have demanded funds from the Centre for the development of Fisheries in the State during the current year; and

(b) if so, the amount proposed to be allotted for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) and (b) There has been no specific demand for funds for the development of fisheries. The annual outlay budgetted for 1967-68 under the State Fisheries Plan is Rs. 24.66 lakhs and the outlay proposed for 1968-69 is Rs.20 lakhs.

The Central Govt. will assist the State Fisheries Scheme under a pattern of assistance which provides for grant to the extent of 20 % and loan to the extent of 30 % of the expenditure incurred on the Schemes.

Workers in Power Looms in U.P.

3214. **Shri Mahant Digvijai Nath** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers in many mills in Uttar Pradesh have to work on four Power Looms at a time ;

(b) if so, the number of such mills, their names and locations ;

(c) whether this arrangement is considered proper keeping in view its effect on the health of the workers ; and

(d) if not, the steps taken to do away with this arrangement ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

विशेष डाक टिकटें

3215. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में विभिन्न अवसरों पर कितने विशेष डाक टिकट जारी किये गये हैं ; और

(ख) सरकार को उनसे कितनी आय हुई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 17

(ख) बिक्री के आँकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें बाद में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

Wheat price at Ration shops in Delhi

3216. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rate of wheat supplied at the ration depots in Delhi is more than that prevailing in the open market due to which nobody purchases wheat from the ration shops;

(b) if so whether Government porpose to reduce the rate of indigenous wheat supplied at the ration shops ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir. The open market prices of wheat are at present somewhat lower than the prices at which the wheat is supplied from the ration depots in Delhi. The offtake of wheat has been reduced. However, it is not correct to say that nobody purchases wheat from the ration shops.

(b) No, Sir.

(c) The Government issue prices are based on cost of procuring the grain which remain unchanged.

उड़ीसा में किसानों के लिये लम्बी अवधि के कृषि ऋण

3217. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा में सहकारी भू-बंधक और विकास बैंकों द्वारा किसानों को लम्बी अवधि के कृषि ऋण देने के लिए कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ख) क्या यह राशि किसानों में बाँट दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) 1966-67 में उड़ीसा सहकारी भू-बन्धक बैंक का अनुमानित कार्यक्रम 100 लाख रुपये का था। 1967-68 में 105 लाख रुपये का कार्यक्रम है।

(ख) अस्थायी आँकड़ों के अनुसार 1966-67 में 106 लाख रुपए के दीर्घकालीन ऋण दि गये। वर्ष 1967-68 अभी समाप्त नहीं हुआ है, और आशा है कि अनुमानित कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा।

1967-68 में रूस से ट्रैक्टरों का आयात

3218. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने वर्ष 1967–68 में 10,000 छोटे डी० टी०–14 बी ट्रैक्टर सप्लाई करने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए समझौता हुआ है ; और

(ग) बाकी ट्रैक्टर स्वीकार करने के यदि कोई कारण हैं, तो क्या और 2000 ट्रैक्टर आयात किये जाने की बजाय उनकी कीमत से लगभग दुगने दामों पर उतनी ही अश्व शक्ति वाले 2011 छोटे ट्रैक्टर चेकोस्लोवाकिया से आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

भारत में रूसी सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधि ने 1967 की अवधि में तथा 1968 के प्रथम 6 मास में 6,000—7,000 डी० टी०–14 बी० ट्रैक्टरों की सप्लाई का प्रस्ताव रखा है। ये ट्रैक्टर उन ऐसे 4000 ट्रैक्टरों के अतिरिक्त हैं जिनके आयात की व्यवस्था 1967 में की गई थी।

(ख) 1967 की अवधि में केवल 4,000 डी० टी०–14 बी ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था की गई थी।

(ग) उपर्युक्त 4000 डी० टी०–14 बी ट्रैक्टरों के अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया से 2,000 जैटर–2011 ट्रैक्टरों के आयात का प्रबन्ध किया गया था। यद्यपि चेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टर अधिक मूल्य के हैं (पूर्ण सज्जित ट्रैक्टर का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य 9,373 रुपये, सीकेडी ट्रैक्टर का मूल्य 9,017 है जब कि डी० टी०–14 बी का मूल्य 5513 रुपये है), किन्तु इनके निम्न लाभ हैं :—

(i) भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत किये गये परीक्षणों के आधार पर इनकी 18.4 ड्रा बार एच० पी० होती है जब कि डी० टी०–14 बी की शक्ति 12.2 है।

(ii) इसके अन्तर्गत अग्र गति के 10 स्तर हैं जबकि डी० टी०–14 बी में 4 हैं, इस ट्रैक्टर में गति के पर्याप्त स्तरों की व्यवस्था है, और विभिन्न गियरों में गति को विभिन्न वेग स्तरों पर करने की व्यवस्था उस गति के गियर को अपनाने में सहायक होती है। यह व्यवस्था विभिन्न कृषि कार्यों के लिए इसकी कार्य-क्षमता एवं मितव्ययिता को बढ़ा देती है।

(iii) इसकी मार्ग गति 21.60 किलोमीटर प्रति घंटा है जब कि डी० टी०–14 बी ट्रैक्टर की गति 12.7 किलोमीटर प्रति घंटा है।

(iv) इसके अन्तर्गत क्लच की दो अवस्थायें हैं एवं उसमें ग्राउंड पावर टेक-ऑफ स्पीड की व्यवस्था है जो कि पावर टेक आफ ड्रिवन कृषि की कुछ मशीनों के संचालन के लिए आवश्यक हैं।

(v) इसके हाईड्रोलिक्स ब्रेक्स होते हैं, जो कि अधिक शक्तिशाली हैं।

(vi) इसमें हाईड्रोलिक तरीका है, जिसके अन्तर्गत दोनों पोजीशन एण्ड ड्राफ्ट नियंत्रण की व्यवस्था है जो कि इस पर लगाये गये उपकरणों के कुशलतापूर्वक उपयोग को सुविधापूर्ण बना देते हैं।

चेकोस्लोवाकिया और रूस के ट्रैक्टर

3219. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-उद्योग निगम ने इस आशय का विज्ञापन दिया है कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले चेकोस्लोवाकिया के 2011 ट्रैक्टर 25 अश्वशक्ति के हैं जब कि वास्तव में ये ट्रैक्टर केवल 20 अश्वशक्ति के हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा करने का एक कारण ऐसा प्रभाव पैदा करने का है कि आयातित डी० टी०–14 बी ट्रैक्टर, जिनका मल्य चेकोस्लोवाकिया के 2011 ट्रैक्टरों से लगभग आधा है, चेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों के मूल्यों से कम है ; और

(ग) चेकोस्लोवाकिया के 2011 ट्रैक्टर और रूस के डी० टी०–14 बी ट्रैक्टर की अलग-अलग इंजन और ड्राबार की क्षमता कितने-कितने अश्वशक्ति की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) कृषि-उद्योग निगमों द्वारा कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था। मेसर्स मोटोकोव, मैनुफैक्चरर्स ऑफ जैटर ट्रैक्टर्स ने चेकोस्लोवाकिया ट्रेड रिप्रेजेन्टेशन इन इण्डिया के माध्यम से जैटर–2011 ट्रैक्टरों के विज्ञापन जारी किये हैं, जिसमें ट्रैक्टर को 25 अश्वशक्ति का बताया है। विज्ञापन में जो अश्वशक्ति बताई गई है वह ट्रैक्टर में लगे इंजन के ब्रेक हार्स-पावर से सम्बन्धित है और ट्रैक्टर के ड्रा बार हार्स पावर से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) जैटर 2011 की इंजन अश्वशक्ति 2,000 र० प० म० के हिसाब से 20 है जब कि डी० टी०–14 बी की 1,600 र० प० म० के हिसाब से 14 है, पहले का ड्राबार हार्सपावर 18.4 है जब कि बाद वाले की 12.2 है। दोनों माडलों की ड्राबार हार्सपावर का भारत में परीक्षण किया गया है।

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

3220. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में रूस से कितने तथा कितनी अश्वशक्ति के तथा कितने मूल्य के खेती करने वाले ट्रैक्टरों का आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इनके आयात के लिए क्या समय सूची बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि 1968–69 की अवधि में रूस से कृषि हेतु कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायगा। परन्तु वह एकमात्र माडल जिसे आयात करने का प्रस्ताव है, डी० टी०–14 बी० है, जिसकी ड्राबार अश्वशक्ति 12.2 है। आयात कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही आयात की समय-सूची तैयार की जायेगी।

उड़ीसा के लिए चीनी का कोटा

3221. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य को प्रति मास 6,000 टन चीनी मिला करती थी जो अब घटा कर 2,400 टन प्रति मास कर दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या उस राज्य को फिर से पुराना कोटा दिये जाने की कोई संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ, कुल 2.52 लाख मीटरी टन की मासिक निकासी में से, उड़ीसा राज्य फरवरी, 1967 तक 6,200 मीटरी टन चीनी का मासिक कोटा प्राप्त कर रहा था। कुल एक लाख मीटरी टन की निकासी में से राज्य सरकार का चीनी का वर्तमान मासिक कोटा 2,400 मीटरी टन है।

(ख) चीनी के उत्पादन में गिरावट / अन्य राज्यों के कोटे भी इसी प्रकार कम कर दिये गये हैं।

(ग) चीनी के वार्षिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही, राज्य के कोटे को बहाल करना सम्भव होगा।

त्रिचूर जिले में डाक व तार कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3222. **श्री नायनार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 फरवरी, 1968 को त्रिचूर जिला (केरल राज्य) में डाक व तार कर्मचारियों ने डिविजनल इंजीनियर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ।

(ख) प्रदर्शन कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण में हुई देरी के विरुद्ध किया गया था। डाक-तार कार्यालयों की इमारतों तथा कर्मचारी-क्वार्टरों के लिए 1965 में एक जमीन ले ली गई है, जिसका क्षेत्रफल 5.2 एकड़ है। सरकार द्वारा 7.4 लाख रुपये की लागत पर 52 क्वार्टर बनाने की एक योजना को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और यह काम 1968-69 के बजट में शामिल किया गया है।

वन्य पशुओं की हत्या

3223. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वन्य पशुओं की अंधाधुन्ध हत्या की जा रही है ;

(ख) उनकी हत्या के पीछे मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत मास 1000 बाघों की खालें बेची जा रही थीं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पशुओं की खालों की बिक्री की कुछ सीमा निर्धारित करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अंधाधुन्ध हत्या का ऐसा कोई मामला भारत सरकार के सामने नहीं लाया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) बाघों की खालों के ऐसे बेचे जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) भारत सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । फिर भी भविष्य में इस मामले पर विचार किया जायगा ।

चीनी का उत्पादन

3224. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1968 के पटना के एक दैनिक समाचार-पत्र 'दि इंडियन नेशन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ० एन० घोष ने गंधक का प्रयोग किये बिना बिजली से सफेद चीनी तैयार करने तथा अधिक व अच्छी चीनी और शीरा बनाने का एक नया तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार चीनी उद्योगों में इस नये तरीके को काम में लाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) पटना विश्वविद्यालय के प्रो० डॉ० एन० घोष ने 1947 में गंधक का प्रयोग किये बिना बिजली से सफेद चीनी बनाने की एक प्रक्रिया का आविष्कार किया था । इस प्रक्रिया का राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के प्रयोगात्मक चीनी कारखाने में 1951-52 और बाद में कुछ संशोधनों के साथ 1955-56 में परीक्षण किया गया था । इसके परिणाम संतोषजनक नहीं थे । कुछ और संशोधनों के बाद प्रो० घोष ने संस्था में मई-जून, 1964 में इस प्रक्रिया का प्रयोगशाला प्रदर्शन किया । संस्था का यह विचार था कि यह प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया की अपेक्षा महंगी थी और बड़े पैमाने पर प्रयोग करने योग्य नहीं थी । कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ परामर्श करने के बाद चीनी-उद्योग विकास परिषद् ने मई, 1967 में यह निर्णय किया कि और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता के चिड़िया-घर में चीतों की मृत्यु

3225. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में कलकत्ता के चिड़िया-घर में बहुत से बाघों और चीतों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये मौतें किन कारणों से हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिसम्बर, 1967 में कलकत्ता के चिड़ियाघर में 4 चीतों, 2 जंगली बिल्लों तथा 1 तेंदुये की मृत्यु हो गई थी ।

(ख) ये जानवर ट्राईपैनसोमियासिस् नामक नींद की बीमारी के कारण मरे थे। रोग निरोधक तथा उपचारीय उपाय अपना कर और हानि को रोक दिया गया ।

Chemicals Fertilisers

3226. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether Government propose to decontrol fertilisers and,if so, when; and

(b) the percentage of fertilisers to be distributed by Government and of that to be sold in open market, separately, in the case of partial decontrol ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Indigenous factories which were contributing their entire production of the following fertilisers, namely Ammonium Sulphate, Urea, Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate Nitrate to the Central Fert. Pool were permitted to market directly 30% of their production of these fertilisers with effect from the Ist October, 1966. This percentage has been raised to 50% w.e.f. the Ist October, 1967, and it is proposed to be raised to 70% w.e.f. the Ist October, 1968 . After that date, these factories would be contributing only 30% of their production of these fertilisers to the Central Fertiliser Pool. New fertiliser factories licensed up to the 31st December, 1967 are also free to make their own free distribution arrangements for their production, but the Government will have an option to take over up to 30% of the production of each factory at negotiated prices.

अपीजे शिपिंग लाइन्स

3227. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत सितम्बर में बम्बई उच्च न्यायालय के जस्टिस कांटावाला के समक्ष श्री जार्ज फरनेन्डोज के विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दी गई गवाही की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्कालीन खाद्य महानिदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गई जब उसे यह पता चला कि खाद्य मंत्रालय के एक मंत्री ने अपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा चावल के आयात के बारे में किये गये गोलमाल से सम्बन्धित फाइल / फाइलों को सीधे माँगा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) फाइल पर यह रिकार्ड नहीं किया गया है कि तब महानिदेशक, खाद्य को यह पता चला था कि उप-मंत्री ने फाइल माँगी थी। किसी भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि मंत्री अपने विभाग के सम्बन्धित किसी भी फाइल को मंगवाने का पूर्णतः हकदार हैं।

एपीजे शिपिंग लाइन्स

3228- **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत सितम्बर में बम्बई उच्च न्यायालय के जस्टिस काँटा-वाला के समक्ष श्री जार्ज फरनेन्डीज के विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दी गई गवाही की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) महानिदेशक द्वारा किन परिस्थितियों के कारण उप-सचिव (आयात) द्वारा पेश किया गया मामला खाद्य विभाग के सचिव अथवा खाद्य मंत्री के ध्यान में नहीं लाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) रिकार्ड पर कुछ नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि जब महानिदेशक, खाद्य को फाइल प्रस्तुत की गयी तब उसने यह मामला खाद्य मंत्री अथवा खाद्य सचिव के ध्यान में क्यों नहीं लाया था। जब किसी अधिकारी को फाइल प्रस्तुत की जाती है और वह अपने स्तर पर उसका निपटान कर देता है तब उसके लिए यह रिकार्ड करना जरूरी नहीं है कि वह क्यों नहीं फाइल अपने से अगले ऊंचे अधिकारी को प्रस्तुत कर रहा है।

औद्योगिक श्रमिको को चिकित्सा सुविधाएँ

3229. **श्री बलराज मधोक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक श्रमिकों के आश्रितों को 18 वर्ष की आयु तक चिकित्सा की सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि श्रमिकों के आश्रित उनकी उन पुत्रियों को छोड़ कर जिनका विवाह हो जाता है तथा उन पुत्रों को छोड़कर जिन्हें रोजगार मिल जाता है, शेष आश्रितों को 21 वर्ष की आयु तक डाक्टरी चिकित्सा की सुविधा दी जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस समय संभव नहीं समझा जाता।

राजस्थान में चावल की मिलें

3230. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में चावल की मिलों को पर्याप्त मात्रा में धान नहीं मिल रहा है जिसके कारण बहुत से मिलों के बन्द हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन मिलों को चालू रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या चावल पैदा करने वाले अन्य राज्यों से इन मिलों को धान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) मिलों के बन्द होने की संभावना के बारे में अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उद्योग निगम

3230-क. **श्री वीवीकन** :　　　　**श्री अंबचेजियान** :
श्री चगंलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-उद्योग निगम ने किराया-खरीद के आधार पर किसानों को कृषि-मशीनरी, उपकरण और उससे सम्बन्धित औजारों को सप्लाई करने का निर्णय किया है ;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना किसानों को कहाँ तक लाभ पहुंचायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आठ कृषि उद्योग निगम हैं और शीघ्र ही कुछ और स्थापित किए जाने वाले हैं, फिर भी यह सच है कि इन निगमों में से कुछ ने कृषि-मशीनरी आदि के सम्बन्ध में किराया-खरीद योजनाओं को पहले ही शुरू कर दिया है। एक निगम का दूसरे निगम के कार्य की मात्रा में और उपकरण की किस्म में भिन्नता होगी। इस प्रबन्ध से लाभ उठाने वाले किसानों को लागत का 15–20 प्रतिशत अदा करना होगा और शेष कुछ वर्षों में अदा करना होगा, जिस पर लगभग 9 प्रतिशत वार्षिक सूद होगा। किराये के माध्यम से उपकरण की लागत निगम को मिल जाने पर किसान उपकरण को नाम-मात्र मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। किराये की अवधि में उसे उपकरण को ठीक हालत में रखना होगा।

(ग) योजना से किसानों को पर्याप्त आय होगी। इस समय वे कृषि-मशीनरी तथा उपकरण को अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे एक बार में लागत देने में असमर्थ हैं।

रोक कर अदायगी की पद्धति से वे अपनी आय से ऐसे उपकरण को अर्जित कर सकते हैं और सघन फार्मिंग करने के योग्य हो सकेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

प्रादेशिक भाषाओ में डाक प्रपत्र छापना

अ० सू० प्र०-4. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए मनीआर्डर, रजिस्ट्री तथा अन्य डाक प्रपत्रों को तत्काल प्रादेशिक भाषाओं में छापने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) :

(क) जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले डाक-तार फार्मों को अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषी अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तथा हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी व हिन्दी में छापने का निर्णय किया गया है।

(ख) जैसे ही आवश्यक व्यवस्था पूरी हो जाएगी इस नीति को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनी दूतावास के लाल रक्षकों द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल का अपहरण

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के लालरक्षकों द्वारा भारतीय पुलिस के एक काँस्टेबल के तथाकथित अपहरण के बारे में मुझे ध्यान दिलाने वाली 30 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैंने इस मामले को आज ही ले लिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के लालरक्षकों द्वारा भारतीय पुलिस के एक कांस्टेबल का तथाकथित अपहरण।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरे पास कुछ तथ्य हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ और तथ्य एकत्र करने तथा वक्तव्य देने के लिए समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको स्थगित नहीं कर रहा हूँ। आज शाम साढ़े पाँच बजे मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों संबंधी समिति की सिफारिशों पर किये गये निर्णय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :

(1) 'प्रेस सूचना तथा प्रचार' के बारे में प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर किये गये निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 371/68]

(2) 'विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार' के बारे में प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर किये गये निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 372/68]

दिल्ली निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 21 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 362 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 373/68]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES' COMMITTEE

बीसवाँ, इक्कीसवां, बाइसवाँ तथा पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री पं० वेंकटासुब्बया : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) औद्योगीकरण विकास तथा कम्पनी कार्य--विकास आयुक्त का संगठन, लघु उद्योग भाग I तथा II तथा ग्राम औद्योगीकरण के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 105 वें, 106वें तथा 107वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 20वाँ, 21वाँ तथा 22वाँ प्रतिवेदन।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) --भागII--मंत्रालयों के विषय सम्बन्धी कार्यक्रमों--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 99वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 35वाँ प्रतिवेदन।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस बारे में चर्चा की गई थी कि पश्चिमी बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बजटों की छानबीन के लिए समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी समिति नियुक्त कर दी गई है अथवा उसके नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है उन संसद् सदस्यों की समिति नियुक्त की जाती है जो उस क्षेत्र के हों। हरियाणा के लिए इस प्रकार की समिति नियुक्त की जा चुकी है। अन्य दो राज्यों के लिए भी राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा के समय समितियाँ नियुक्त की जायेंगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : प्रत्येक सत्र में अनियमित दिन वाले अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से चर्चा के लिए एक भी प्रस्ताव नहीं लिया जाता। लगभग 40 अथवा 50 ऐसे प्रस्ताव दिये गये हैं परन्तु माननीय मंत्री ने मुझे एक टिप्पण में कहा है कि मई तक कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि कई प्रस्ताव आधे घंटे की चर्चा में उठाये जाने वाले मामलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी मामलों को कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जाता है जिसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने संबंधी नीति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: REPORTS ON INDUSTRIAL PLANNING AND LICENCING POLICY—CONTD..

अध्यक्ष महोदय : औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे में डा० हजारी के प्रतिवेदन के बारे में 6 मार्च, 1968 को श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार किया जायेगा।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Yesterday I was stating that monopolies are on the increase in our country. The licence system has played a vital role in it. About fifteen

high rankng officers of the Birla Group of Industries are either retired Government officers or are related to the high ranking officers of the Government. It is, therefore, clear that there is an unholy alliance between bureaucrats and capitalists. Unless this unholy alliance is shaken, we cannot check the growth of monopoly.

In this connection I would like to give few suggestions. First of all there should be a ban on the companies for giving donations to the political parties. Company law should be amended accordingly. Secondly a Commission to go into the affairs of the Birla concerns should be appointed according to the Act. Thirdly, Managing Agency system should be done away with.

So far as planning is concerned we should fix priorities and then re-allocate our resources accordingly. Any plan holiday would mean encouragement to the monopolies.

I would also suggest that in future licence for tradititionl industries should not be given to the monoplists.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

Preference should be given to the new and small entrepreneurs in the matter of issuing licences for traditional industries. Backward areas should also be kept in mind for the sake of preference in issuing licences.

I would further suggest that banks should be nationalised to make the industrial planning more effective. If these banks or credit institutions are allowed to remain in the hands of few big people, we cannot check the the growth of monopoly effectively. Social control of the bank would not bring the desired results .

In the end, I will appeal to the ruling party to take courageous steps to check the growth of monopoly.

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई–उत्तर पश्चिम) : ऐसा लगता है कि चर्चा मुख्य विषय को छोड़कर अन्य विषयों पर चल पड़ी है ।

डा० हजारी ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 पर इस बात को स्वीकार किया है कि उनके निष्कर्ष आंशिक अपूर्ण हैं तथा कुछ मामलों में विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित नहीं हैं। अत: यह अच्छा था कि वह अन्तरिम प्रतिवेदन देने के बजाय पूरे आँकड़े एकत्र करके ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते । इस अन्तरिम प्रतिवेदन का, विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित न होने के कारण, शैक्षणिक महत्व नहीं रह गया है ।

अपने अन्तरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर डा० हजारी ने बिड़ला उद्योग समूह की गतिविधियों का उल्लेख किया है । बिड़ला बन्धुओं ने देश के सभी राज्यों में उद्योग स्थापित किये हैं यद्यपि उनके अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थित हैं । उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों का उनके पास जमाव हो रहा है । कपड़ा, चीनी, वनस्पति तथा कागज जैसी परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त वे एल्युमिनियम, बिजली की वस्तुएं, रसायन, सीमेंट, मिश्रित इस्पात, सूत तथा टूल आदि सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने वे लगा रहे हैं । प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसमें दोष किसका है ? जहाँ तक बिड़ला बन्धुओं का सम्बन्ध है मेरे विचार में प्रत्येक उद्यमी लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील होता

है। अतः हमें किसी व्यक्ति अथवा उद्योग-गृह को दोष देने के बजाय लाइसेंस सम्बन्धी नीति की क्रियान्विति को ठीक करने पर जोर देना चाहिए। बिड़ला उद्योग समूह के बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि उनको बहुत अधिक लाइसेंस दिए गए हैं। इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिये।

गलत गतिविधियों तथा एकाधिकार के विकास को कानून द्वारा रोका जा सकता है। यदि हम समझते हैं कि उनके उद्योग अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं तो उनके लाभ को उत्पादन शुल्क लगाकर तथा इस बात का ध्यान रख कर कि इस शुल्क को उपभोक्ताओं पर न लाद दिया जाये, कम किया जा सकता है। हम कर भी लगा सकते हैं। अतः मेरा विचार है कि देश को इस समय उत्पादन की आवश्यकता है और जिस किसी में भी उत्पादन करने की क्षमता है उसको ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वह गलती करता है तो सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं और सरकार उस पर नियंत्रण रख सकती है। अतः मेरे विचार में हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिये दूसरों पर दोष लगा रहे हैं।

हमें ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रूप से विचार नहीं करना चाहिये। यदि मेरे जैसा सामान्य हैसियत का व्यक्ति कोई उद्योग आरम्भ करना चाहे तो उसे न तो कोई बैंक ऋण देगा और न ही उसे कोई विदेशी सहयोग प्राप्त होगा। तकनीकी जानकारी प्राप्त करना भी कठिन होगा। अतः उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने से पूर्व व्यक्ति की क्षमता को भी ध्यान में रखना होता है। मैं एक अच्छा वकील हूँ परन्तु मैं अच्छा व्यापारी तथा उद्योगपति नहीं हूँ। हमारे जैसे विकासशील देश के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जब तक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो जाता तब तक उनके वितरण का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सिफारिशों में कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। उनकी जाँच की जानी चाहिये। डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदनों में यंत्रीकरण का उल्लेख किया है। इस पर समूचे विश्व में विचार किया जा रहा है। हम तभी सफल हो सकते हैं जबकि हम यंत्रीकरण पर अधिक से अधिक ध्यान दें और लाइसेंस नीति पर निर्भर रहना कम कर दें। हमने यंत्रीकरण की उपेक्षा की है और लाइसेंस द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया है। लाइसेंस एक नकारात्मक वस्तु है जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। यह समय है जब कि हमें इन बातों पर अधिक ध्यान न देकर इस बात पर विचार करना चाहिये कि हम किस प्रकार अधिक उत्पादन कर सकते हैं और इस प्रकार देश में धन की वृद्धि कर सकते हैं।

बिड़ला बन्धुओं के बारे में एक बात यह भी प्रतिवेदन में कही गई है कि लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् वे बाद की कार्यवाही नहीं करते। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति वही कार्यवाही करेगा जिसको वह उचित समझेगा। अतः उनको दोष देना ठीक नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति उस पर कार्यवाही नहीं करता तो लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। वही लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें यंत्रीकरण पर अधिक ध्यान देकर उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

श्री जी० भा० कृपलानी : (गुना): महोदय मुझे इस प्रतिवेदन के बारे में बहुत अधिक नहीं कहना है। मेरा विश्वास नहीं कि माननीय प्रोफेसर को किसी के साथ कोई शत्रुता थी। परन्तु इस बात में सन्देह नहीं कि उनको जो कार्य सौंपा गया था वह उससे आगे निकल गए हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों को लिया है और उस पर अपनी सिफारिशें की हैं।

मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रतिवेदन को यहाँ पर क्यों पेश किया गया है और इस पर विचार करने के लिये जो मैकार्थी की अध्यक्षता में एक समिति अथवा उप-समिति क्यों नियुक्त की गई है ? जिन लोगों ने डा० हजारी को नियुक्त किया था उनके विचारार्थ ही उनके प्रतिवेदन को भेजा जाना चाहिये था। इसमें बिड़ला बन्धुओं का बहुत उल्लेख किया गया है। बिड़ला बन्धुओं ने सरकार, प्रशासकों तथा राजनयिकों की सहायता से अपने व्यापार का विस्तार किया है। यदि उनको इन सब की सहायता प्राप्त नहीं होती तो वे अपने व्यापार को इतना नहीं बढ़ा सकते थे। परन्तु वे व्यापारी हैं और अपने कार्य से पूरी तरह परिचित हैं। हर समाज में ऐसा होता है अतः मैं उनको दोष नहीं दे सकता। अतः मेरे विचार में डा० हजारी अपने सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित हुए हैं। उनके प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये अलग समिति नियुक्त नहीं की जानी चाहिये बल्कि स्वयं योजना आयोग को इस पर विचार करना चाहिये।

प्रतिवेदन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमें विशिष्ट विचारधारा अपनानी चाहिए। एक ओर तो हम कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है और दूसरी ओर हम अधिक से अधिक अपना आर्थिक जीवन उसके हाथों में सौंपने की बात करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह सरकार भ्रष्ट है और हमें अपना पूर्ण आर्थिक जीवन इस सरकार की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि बंगलौर में मशीन टूल नामक एक सरकारी उपक्रम है जिसमें ३ करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है जो कि बिक नहीं रहा है। यदि इतने मूल्य का सामान बिड़ला बन्धुओं के पास पड़ा होता तो शायद वे दिवालिया हो जाते। इसलिए जब तक यह सरकार रहती है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र, यह गलती करती रहेगी। अतः पूंजीपतियों को दोष देने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि उनका काम ही धन जमा करना है।

मेरे विचार में हमने इस प्रतिवेदन पर काफी विचार कर लिया है। इसका कोई लाभ नहीं है। हमें इस बात पर पुनः विचार करना चाहिये कि क्या योजना आयोग ने ठीक कार्य किया है अथवा नहीं। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या लाइसेंस जारी करके हमने ठीक कार्य किया है और क्या हमारा प्रशासन ईमानदार है ?

मुझे शंका है कि बिड़ला बन्धुओं की निन्दा करने वाले लोग उनसे अधिक धन लेना चाहते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भी विचार करना है कि क्या हमारे राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं ?

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं डा० हजारी के प्रतिवेदन के बारे में कुछ उद्देश्यात्मक टिप्पण करना चाहता हूँ। मेरा अनुमान है कि उनको सरकार के अनुमोदन से योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था।

औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के क्षेत्रों में, जिनमें उनको कार्य करना था, कुछ विवेक दिया गया था। परन्तु प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात् ऐसा लगता है कि वह अपने पूर्व विचारों से अधिक प्रभावित थे तथा उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य किया है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी अपनी राजनैतिक तथा प्रशासनिक जटिलतायें हैं और सरकार ने अपने निर्णय के बारे में एक विधेयक राज्यसभा में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु डा० हजारी ने अब इस मामले में सरकार को अपने पग पीछे करने का परामर्श दिया है।

डा० हजारी का अन्तरिम प्रतिवेदन पहले ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया था। उन्होंने जो पत्र योजना आयोग को लिखे थे वे भी पहले ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गए थे। अब उनका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सरकार ने इनके प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये थैकर समिति नियुक्त कर दी है। यह एक सदस्यीय आयोग है परन्तु इस समिति में अनेक सदस्य हैं। इसने अपना कार्य भी आरम्भ कर दिया है। हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि श्री थैकर ने यह शिकायत की है कि बड़े-बड़े उद्योग-गृह उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनको आवश्यक जानकारी नहीं दे रहे हैं। परन्तु मेरा अनुमान है कि समिति शान्ति से कार्य कर रही है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सामग्री एकत्र कर रही है। इस समिति के अतिरिक्त एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी बनाई गई है। ऐसा लगता है कि सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि डा० हजारी के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक विकास संबंधी कोई व्यापक नीति नहीं बनाई जा सकती।

यह सभी मामले सरकार के समक्ष हैं। अतः मेरे विचार में सरकार को इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सरकार देश में उद्योगों के विकास, लाइसेंस देने संबंधी नीति में त्रुटियाँ, बैंकों तथा सम्बन्धित मामलों पर पहले ही विचार कर रही है। अतः इस रिपोर्ट पर यहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। औद्योगिक विकास में विद्यमान कठिनाइयों के लिए सरकारी विभागों के साथ-साथ योजना आयोग भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है। इसका कारण यह है कि योजना आयोग में विशेषज्ञ नहीं बल्कि वैज्ञानिक योग्यता वाले अथवा बड़े-बड़े सिविलियन हैं। योजना आयोग में अपने प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है। योजना आयोग कुछ आदर्शों को लेकर स्थापित किया गया था। परन्तु योजना आयोग ने उन आदर्शों को पूरा नहीं किया है। योजना आयोग से उस पर व्यय किए गए धन तथा उसको दिए गए महत्व के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

यदि लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में कुछ त्रुटि है और यदि इतने लाइसेंस जारी किए गए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि सम्बन्धित विभाग क्या कर रहा था जिस किसी वस्तु पर भी नियंत्रण किया गया है उसी में ही भ्रष्टाचार फैला है। हम इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गृह-कार्य मंत्रालय की समीक्षा से पता लगता है कि 1100 फर्मों को 2200 लाइसेंस दिए गए हैं। 1967 में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध 2090 मुकदमे किए थे तथा 246 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए थे। इनमें से

469 मामलों को न्यायालय में भेजा गया था तथा 1730 मामलों पर विभागीय कार्यवाही की गई थी। पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा 24 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जाल बिछाया गया था। अपने साधनों से अधिक सम्पत्ति रखने वाले 400 मामलों की जाँच की गई थी। इसमें 133 राजपत्रित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे। अतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है और इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरे विचार में जब तक थैकर समिति तथा मंत्रिमण्डलीय उप-समिति अपनी जाँच के बारे में कोई सूचना नहीं देती तब तक इस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र ने देश में लाभप्रद कार्य किया है, अतः उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बिड़ला बन्धुओं का सम्बन्ध है उन्होंने देश में औद्योगिक विकास का सूत्रपात किया है। आन्ध्र में कुछ उद्योगों में उन्होंने हस्तक्षेप कर उनको पुनर्जीवित किया है। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं उनको दूर करना सम्बन्धित विभागों तथा सरकार का काम है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय काँग्रेसी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे अपने भाषण को दस मिनट तक ही सीमित रखें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं अपनी बातों को इस प्रतिवेदन में दिए गए कुछ मूल मामलों तक ही सीमित रखूंगा। पिछले 18 वर्षों में हमने देश के आयोजित विकास में लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगाये हैं। दूसरी लोकसभा के दौरान जब योजना आयोग ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया कि राष्ट्रीय आय 42 प्रतिशत तथा प्रतिव्यक्ति आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह आय कहाँ गई। इसके पश्चात् क के बाद एक समिति का गठन किया गया। एकाधिकार जाँच आयोग की स्थापना की गई और अब हमारे समक्ष डा० हजारी का प्रतिवेदन है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि इस समिति को नियुक्त किए जाने तथा प्रतिवेदनों को प्रकाशित किए जाने के क्या कारण हैं? मेरा निवेदन है कि गत 20 वर्षों के दौरान इन एकाधिकार-गृहों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि ये समितियाँ इनकी बुराइयों का पता लगाने में सफल नहीं हो सकीं। मुझे आशा है कि थैकर समिति, जो कि अब नियुक्त की गई है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सफल हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस समिति की नियुक्ति के समय यह कहा गया था कि इसका प्रतिवेदन छः महीनों में उपलब्ध हो

जायेगा परन्तु जिस ढंग से यह समिति कार्य कर रही है उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। यह किसी विशेष एकाधिकार-गृह का प्रश्न नहीं है। इसमें उच्च सरकारी अधिकारी भी ग्रस्त-ग्रंस्त हैं। एकाधिकार-गृहों तथा उच्च अधिकारियों की साँठगाँठ से ही देश की प्रगति में बाधा पड़ रही है। एकाधिकार आयोग तथा हजारी प्रतिवेदन से इस तथ्य का पता लगा है कि कुल प्रतिसम्पन्न का 27 प्रतिशत तथा 75 व्यापार ग्रुहों की कुल प्रदत्त पूंजी का 28 प्रतिशत टाटा बन्धुओं तथा बिड़ला बन्धुओं के पास है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि थैंकर समिति को सम्बन्धित फाइलें तथा सामग्री मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों द्वारा सप्लाई नहीं की जा रही हैं। उनके साथ पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह सभी सम्बन्धित फाइलें तथा सामग्री थैंकर समिति को उपलब्ध करने की ओर ध्यान दें।

इस सम्बन्ध में मैं विवियन बोस के प्रतिवेदन का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। इस प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि इन व्यापार ग्रुपों के लेखों में गम्भीर अनियमिततायें, धोखाधड़ी आदि की गई है। ऐसा कम्पनी के मालिकों के निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है।

यह भी तर्क दिया गया है कि ये बड़े-बड़े व्यापार-गृह अपनी भारी आय से पुनः निवेश कर सकते हैं। व्यवहारिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल बचत का पन्द्रह प्रतिशत उन गृहों द्वारा दिया गया है जिनकी आय 3000 रुपए है और कि निगमित बचत ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। वास्तव में यह राष्ट्रीय बचत का केवल दो अथवा तीन प्रतिशत ही है। अतः यह तर्क गलत सिद्ध होता है कि एकाधिकार-गृह अपनी आय को देश की समृद्धता के लिए पुनः लगाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इस निवेश पर लगभग 19 प्रतिशत लाभ होता है। यदि गत दस वर्ष का आय का हिसाब लगाया जाये तो यह 10,000 करोड़ रुपए होता है। इतने राशि का पुनः निवेश नहीं किया गया है।

इसके पश्चात् पूंजी निर्माण का प्रश्न उत्पन्न होता है। इन एकाधिकार-गृहों की ओर 528 करोड़ रुपए की आयकर की राशि बकाया है। पिछले दस वर्षों में इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए का अपवंचन किया है। अतः यह राशि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक क समानान्तर सरकार चलाने में सहायता देता है। अमरीका की सी० आई० फ० की तरह यह समानान्तर राज्यों में कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने में सहायता कर रही है। वास्तव में गत दस वर्षों से यही लोग देश का शासन चला रहे हैं। उच्च अधिकारियों तथा बड़े-बड़े एकाधिकारियों ने एक षडयंत्र रचा रखा है जिसे साधारण व्यक्तियों को उसकी बीस वर्ष की मेहनत से वंचित रखा जा रहा है। हमारे देश में इस प्रकार का पूंजी निर्माण है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति पर प्रतिवर्ष बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

भारतीय तथा विदेशी व्यापारियों के संयुक्त उद्यमों का स्वागत करते हुए श्री एल० एन० मिश्र ने कहा था कि बीस वर्षों से भी कम समय में हमारे देश में अमरीकी निवेश में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार वे तकनीकी जानकारी का विकास

करने में भी सहायता कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 1956–57 से लेकर 1965–66 तक हमने रायल्टी के रूप में 17.47 करोड़ रुपए का भुगतान विदेशों को किया है। तकनीकी तथा अन्य सेवा शुल्कों को मिलाकर कुल 229.5 करोड़ रुपए का भुगतान विदेशों को किया गया है।

पिछले पन्द्रह से बीस वर्षों में लगभग सभी ऋण बैंकिंग संस्थाओं तथा जीवन बीमा निगम से लिया गया है। 1957 से 1967 तक जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 1414 करोड़ रुपये लगाये हैं। श्री कृपालानी ने कहा है कि यह सरकार भ्रष्ट है इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जब तक इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तथा ऋण देने वाली संस्थाओं पर प्रभावशली नियंत्रण नहीं रखा जाता तब तक प्रगति करना सम्भव नहीं है। सामाजिक नियंत्रण आदि से एकाधिकार-गृहों के विकास को नहीं रोका जा सकता।

Shri Sheo Narain (Basti) : In my view the report submitted by Dr. Hazari is one-sided. It is no use of putting blame on the Birlas. I do not understand why Dr. Hazari has pin-pointed only Birlas in his report. There are many others such as Amin Chand Pyare Lal in our country. Licence issuing authorities should also be taken to task. What were they doing all these years ?

Dr. Hazari was appoined by the Planning Commission. In my view Planning Commission is itself unnecessary burden on the country and it should be wiped out. Our Cabinet is a supreme body and that can handle the job properly. I would also appeal to the poeple, whosoever he may be, to pay the tax arrears to the Government because no Government can function without taxation.

By appointing the Thacker Committee and Cabinet Sub-Committee Government has already proved that Dr. Hazari's report is not worthwhile. In these circumstances it is no use of discussing the report of Dr. Hazari here in this House. I would also request the Government to withdraw this report.

So far as this Monopoly houses are concerned I would request the Government to take stern action for doing away with these houses. The Government should also take care of its officers. They are more faithful and loyal to the Business house than to Government. The Government machinery should be tightened in this respect also.

श्री उमानाथ (पुदूकोटे) : ऐसा लगता है कि डा० हजारी के प्रतिवेदन की आलोचना करने वाले अनेक माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन को पढ़ा नहीं है। डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन के अन्तिम भाग में एकाधिकार को बनाये रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं एकाधिकार को समाप्ति की सिफारिश नहीं करता। उन्होंने एकाधिकारों की कुछ त्रुटियों को ही दूर करने की सिफारिश की है।

मैं समझता हूँ कि इस प्रतिवेदन की इस कारण भी आलोचना की गई है क्योंकि इससे कांग्रेस दल की धोखाधड़ी का भी पता लगता है। धन का जमाव तथा एकाधिकार का विकास कई वर्षों से हो रहा है। डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आयोजन तथा लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं तथा सरकारी संगठनों से धन के जमाव तथा एकाधिकार को बढ़ावा देने में उपकरणों का काम किया है और इससे कांग्रेस दल के हितैषी व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है।

यदि हम 1964 और 1966 के बीच मंजूर किए गए लाइसेंसों के आँकड़ों को देखें तो पता लगता है कि एक करोड़ रुप से अधिक पूंजी वाली कम्पनियों को 69 प्रतिशत तथा दस लाख रुपए से कम पूंजी वाली कम्पनियों को केवल 2 प्रतिशत लाइसेंस दिए गए हैं। इसी प्रकार पुर्जों के आयात की मंजूरी में भी एक करोड़ रुपए की पूंजी वाली कम्पनियों को 68 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपए से कम पूंजी वाली कम्पनियों को 1.7 प्रतिशत भाग मिला है। यदि सरकार यह कहती है कि वह इस बात का पहले पता नहीं लगा सकी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस दल में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो यह साधारण हिसाब लगा सके।

जहाँ तक लाइसेंस प्रक्रियाओं की शार्ट सरक्यूटिंग का सम्बन्ध है सरकार का कहना है कि ऐसा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया है। यह देश के हित में है। इस बारे में मैं अल्कालीन एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया का उदाहरण देना चाहता हूँ। यह फर्म आई० सी० आई०, जो कि एक विदेशी कम्पनी है, के सहयोग से शरू की गई थी। इस कम्पनी के जिस शेयर का मूल्य 1959 में सौ रुपए था उसने 1966 तक 241 रुपए अर्जित किए हैं। परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या यह लाभ भारत को प्राप्त हुआ है? मेरे विचार से नहीं। क्योंकि इस कम्पनी के 87.25 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं अतः लाभ का एक बड़ा भाग हमारे देश से बाहर चला जाता है। लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का दूसरा पहलू नए-नए ला सेंस जारी करना है जब कि प्रतिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी है। इंन्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन के चेयरमैन ने कहा है कि लगभग 60 प्रतिशत प्रतिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी है और स्थिति के और बिगड़ने की सम्भावना है। अतः इस नीति से एक ओर तो बेकार पड़ी क्षमता में वृद्धि होती है और दूसरी ओर न लाइसेंसों पर विदेशी मुद्रा का अपव्यय होता है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण यह देना चाहता हूँ कि जब कि लम्बरेटा स्कूटर वालों की प्रतिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी थी एक अन्य स्कूटर वेस्पा के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस के लोगों को प्रसन्न करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है।

बिड़ला बन्धुओं ने लाइसेंस प्रक्रिया द्वारा ही इतनी प्रगति की है। बिड़ला बन्धुओं की 5,000 रुपए पूंजी वाली एक फर्म को करोड़ों रुपयों का लाइसेंस दिया गया था। परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं क्योंकि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि विकास कर रही अर्थव्यवस्था में कुछ सीमा तक धन का जमाव हो जाता है। टाटा बन्धुओं के लिए 1959-60 में जितनी राशि की मंजूरी दी गई थी अमीन चन्द प्यारे लाल को उससे आधी राशि को मंजूरी दी गई थी हालां कि औद्योगिक क्षेत्र में यह फर्म इतनी लोकप्रिय नहीं थी। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस सरकार देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर इन बड़े-बड़े लोगों की सहायता करती है।

इस सम्बन्ध में डा० हजारी ने यह सुझाव दिया है कि दस अथवा पन्द्रह निर्दिष्ट औद्योगिक गृहों को भविष्य में परम्परागत वस्तुओं के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु मेरे विचार में सरकार का इन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया तथा

ऋण आयोजन आदि में परिवर्तन कर एकाधिकार को नहीं रोका जा सकता। वास्तव में यही संस्थाएं ही सरकार को चलाती हैं। अन्तरिम प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् बिड़ला बन्धुओं को नए लाइसेंस के आवेदन पर विचार करने के लिये मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बनाई गई थी। यह जानते हुए भी कि बिड़ला बन्धुओं को जारी किए 50 प्रतिशत लाइसेंस बेकार पड़े हैं उप-समिति ने बिड़ला बन्धुओं को नए लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी थी।

पूंजीवाद के विकास से अनिवार्य रूप से एकाधिकार का जन्म होता है। न्यास-विरोध तथा काधिकार-विरोध विधियों के बावजूद अमरीका, इंगलैण्ड, कनाडा आदि में एकाधिकार का विकास हुआ है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को चुनौती दी थी और कहा था कि वह देश में धन के जमाव के बिना ही पूंजीवाद का निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक नीति संकल्प, प्रशुल्क अधिनियम, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, पूंजी मामले (नियंत्रण) अधिनियम, समवाय, अधिनियम तथा अन्य कई नियम बनाये गए हैं। परन्तु इस सबके बावजूद एकाधिकार का विकास हुआ है और यह सब अधिनियम इन पर परदा डालने वाले सिद्ध हुए हैं। इसलिए जब तक पूंजीवाद के निर्माण का मार्ग नहीं त्याग दिया जाता एकाधिकार को समाप्त नहीं किया जाता और भारतीय तथा विदेशी लुटेरों के उत्पादन के साधन नहीं ले लिए जाते तब तक हम समाज में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। यह तभी सम्भव है जब कि इस सरकार को अपदस्थ कर दिया जाये।

कल आचार्य जी ने कहा था कि जब वह कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे तो कांग्रेस ने कभी बड़े-बड़े पूंजीपतियों से धन नहीं लिया था। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान 'लाइफ आफ महात्मा गांधी' नामक पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूँ। 1942 में महात्मा गांधी ने पुस्तक के लेखक को बताया था कि व्यवहारिक रूप से कांग्रेस का समूचा बजट समृद्ध पूंजीपतियों से आता है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक विदेशी लेखक ने कहा है।

श्री उमानाथ : मैं जानता हूँ कि कांग्रेस दल को बड़े-बड़े पूंजीपतियों से धन प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस दल बड़े-बड़े व्यापारियों के एजेन्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती शारदा मुकर्जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इस पुस्तक को अनेक माननीय सदस्यों ने पढ़ा है और माननीय सदस्य ने उसी का उल्लेख किया है। इस बात का कभी प्रतिवाद नहीं किया गया है। इसी पुस्तक के आधार पर महात्मा गांधी के जीवन पर एक चित्र बनाया जा रहा है।

श्री उमानाथ : श्री जी० डी० बिड़ला द्वारा लिखी गई 'इन दि शेडो आफ महात्मा' नामक पुस्तक में श्री बिड़ला ने कहा है कि महात्मा जी अपनी योजनाओं की सहायता के लिए प्रायः मेरे पास आते रहते थे और मैं उनको इंकार नहीं कर सकता था। इस बात का प्रतिवाद नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मैं क और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में श्री फखरुद्दीन अली

अहमद ने राज्य-सभा में बताया है कि सीमेंट के विनियंत्रण से जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ था उसमें से दस लाख रुपया काँग्रेस दल को चुनाव के लिए दिया गया था।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता कि क्या कोई माननीय सदस्य दूसरी सभा की कार्यवाही में से उद्धरण दे सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हम यहाँ पर मंत्री के वक्तव्य से उद्धरण नहीं देते ? यह बात दूसरी सभा की नहीं है।

श्री सोनावने : दूसरी सभा की कार्यवाही से वह उद्धरण नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमानाथ को अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री उमानाथ : एकाधिकार को समाप्त करने के लिये इस प्रकार के कानून बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक पूंजीवाद को प्रश्रय दिया जाता रहेगा तब तक इस प्रकार के कानून से कोई लाभ नहीं हो सकता। जब तक पूंजीवाद के विकास को समाप्त नहीं किया जाता, जब तक एकाधिकार को तोड़ा नहीं जाता तब तक उनकी प्रगति को रोका नहीं जा सकता। जब तक बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाया नहीं जाता तब तक एकाधिकार को रोका नहीं जा सकता।

श्री सोनावने : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह माननीय सदस्यों के सभा में बोलने के बारे में है। अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेश संख्या 115—क में लिखा है कि :

"जब तक कोई सदस्य अपने स्थान पर खड़ा न हो और अध्यक्ष की ष्टि में न आये तब तक उसे अध्यक्ष द्वारा बोलने के लिये नहीं कहा जायेगा, चाहे उसने अपने दल या वर्ग के द्वारा अपना नाम भेजा हो या सीधे अध्यक्ष को लिखा हो।"

अध्यक्ष महोदय को इसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। उपरोक्त निदेश के अन्त में लिखा है:—

"अध्यक्ष उन सूचियों अथवा क्रम से बाध्य नहीं होगा जिसमें कि दलों या वर्गों अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जायेंगे.........."

इस व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है। सभा में समस्त देश के विभिन्न रायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य बैठे हैं और मेरा यह कर्त्तव्य है कि निष्पक्ष चर्चा के विचार से सभी पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : जिस प्रतिवेदन पर हम चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार औद्योगिक नीति का मूल्यांकन किया गया है। पिछले 20 वर्षों से हम सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये यत्न कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों का हमारी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्रों का पूरक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था है। हमारी औद्योगिक उन्नति में छोटे उद्योगों का भी स्थान है क्योंकि छोटे उद्योगों में श्रम अधिक और पूंजी कम लगती है। हम अपनी उन्नति की गति बढ़ाना चाहते हैं परन्तु हमारे साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए निश्चित और स्पष्ट औद्योगिक नीति बनायी जानी

आवश्यक है। अपने सीमित वित्तीय साधनों को विनियमित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1951 के औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम का मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किया गया।

योजना का अर्थ यह है कि समय-समय पर समस्त कार्य की समीक्षा की जाये। क्योंकि जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक योजना बनाने वालों को यह नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कमी रह गयी है और तब तक उनकी गलतियों का सुधार भी नहीं हो सकेगा। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद योजना निर्माताओं को यह भी पता लगना चायिये कि हम निर्धारित लक्ष्य से कहाँ पर पीछे रह गए हैं। यहाँ तक हमारा कार्य दोषपूर्ण था। वर्ष 1966 में हमने देखा कि औद्योगिक प्रगति अनियमित हो गयी है। इसीलिये डा० हजारी को लाइसेंस नीति का फिर से मूल्यांकन करने के लिये अवैतनिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पहली तथा दूसरी योजना की अवधि में लाइसेंस प्रणाली के संचालन के बारे में समीक्षा करने तथा उस नीति की क्रियान्विति के सम्बन्ध में संशोधन करने हेतु सुझाव देने के लिए कहा गया था।

यह एक बहुत बड़ा कार्य था। मेरे विचार में उन्हें बहुत सीमित सुविधाएं दी गयी थीं। उन्हें 6 महीने के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। निश्चय ही उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। श्री अमीन द्वारा उनकी आलोचना करना अनुचित है। उन्होंने स्वयं कहा कि समय कम होने के कारण वह लाइसेंसिंग कमेटी, कैपिटल गुड्स कमेटी की फाइलें और सरकार के कुछ पत्र-व्यवहार को ही पढ़ सके थे। अतः जब पूरा सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं था और जब आँशिक सूचना के आधार पर ही सिफारिशें की गयी हैं या निष्कर्ष निकाले गए हैं तो उसमें कुछ गलती की सम्भावना हो सकती है। वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु इसके बावजूद हम इस प्रतिवेदन की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रतिवेदन में बहुमूल्य सूचना उपलब्ध है।

उन्होंने योजना तथा उसकी क्रियान्विति दोनों के दोषों का विश्लेषण किया है। उन्होंने व्यापार तथा विकास महानिदेशालय और अन्य अभिकरणों के कार्यों की जाँच की है और उन्होंने सरकारी और उद्यमकर्ता के स्तर पर दोषों का विवेचन किया है। उन्होंने हमारा ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया है कि विकास कार्य हमारे उद्देश्यों के अनरूप नहीं हैं।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कई प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। लाइसेंस के एक आवेदन-पत्र की आठ प्रतियाँ बनायी जाती हैं और विभिन्न संस्थाओं को उसकी एक एक प्रति भेजी जाती है, जो उस पर विचार करते हैं। फिर लाइसेंस प्राप्त करने वालों को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। अन्त में लाइसेंसिंग कमेटी लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस जारी करने के बाद सम्बन्धित समीक्षा अभिकरण लाइसेंसधारी के कार्य का ध्यान रखता है। अतः सारी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये हमें सारी कार्य-प्रणाली को समझने की आवश्यकता है।

अब स्थिति यह है कि औद्योगिक प्रगत्ति हुई है परन्तु हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। डा० हजारी ने कहा है कि योजना ऐसे प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची बनाने में असफल

रही है जिन्हें विदेशी मुद्रा और दुर्लभ वस्तुओं के लिये तरजीह दी जानी चाहिये। फिर योजना क्षमता और उत्पादन की प्रवृत्ति को देखते हुए लाइसेंस देने और उन्हें रद्द करने की गति को समयानुसार नहीं कर सकी।

इस सम्बन्ध में उन्होंने उल्लेख किया है कि हजारों लाइसेंस दिए गए हैं और वे जमा हो गए हैं तथा प्रशासनिक विभाग के लिये इनकी जाँच करना सम्भव नहीं।

क्षमता का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। 1958 में योजना आयोग ने क्षमता के सम्बन्ध में एक नोट तैयार किया था। उस नोट का क्या बना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी क्षमता क्या है? यदि हमें ठीक-ठीक क्षमता का पता नहीं है तो हम योजनायें कैसे बनायेंगे और उन्हें क्रियान्वित कैसे करेंगे?

सम्भावित योजनायें आवश्यक हैं और इन योजनाओं में त्रुटियों का ध्यान रखा जाता है। यदि इस बात का ध्यान न रखा गया और योजना में ही इसका उपचार नहीं किया गया तो योजना समाप्त हो जायेगी। अतः निष्कर्ष यह है कि "लाइसेंसों से विनियमन और नियंत्रण का काम पूरा नहीं हुआ है और लाइसेंसधारी के लिये यह केवल औपचारिक पारपत्र है।

डी० जी० टी० के कार्य में बहुत कमी है। इसे अधिक प्रभावशाली होना चाहिये। इसको पथ प्रदर्शन करना चाहिये और वस्तुओं के विनियमन के लिये इसे तकनीकी सलाह देनी चाहिये।

हमें पूंजी और एकाधिकार के जमाव को रोकना चाहिये। यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। छोटे उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिये। इसका लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मुख्यतया कठिनाई वित्त की है।

हमें अब औद्योगिक स्थिति पर विचार करना है। हम मन्दी, बेरोजगारी, क्रय शक्ति की कमी और उन सभी कमियों से पीड़ित हैं जो किसी उद्योग में हो सकती हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों का विकास करें।

थैकर समिति 22 जुलाई को नियुक्त की गई थी। इसको इस बात की जाँच करनी थी कि क्या बड़े उद्योगों के पास यह सभी एकाधिकार हैं। सरकार ने थैकर समिति के साथ कैसा व्यवहार किया। उनके पास कार्य करने के लिये कोई कार्यालय नहीं है। उनका बजट 12 दिसम्बर को स्वीकार किया गया। उनके कर्मचारियों से छः महीने की अवधि में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। यह अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है। समिति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना उचित नहीं। हमने 'उन्कटाट' पर यह करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इससे अच्छा यह होता कि हम औद्योगिक नीति संकल्प को नियंत्रित करते और से क्रियान्वित करते।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : डा० हजारी के लाइसेंस देने की नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ सुझाव दिए हैं वह विचारणीय हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। वह हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

[**श्री चपला कांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

इस समय देश के सम्मुख मुख्य प्रश्न यह है कि औद्योगिक नीति का विकास कैसे हो

और हम अपना उत्पादन किस प्रकार बढ़ायें? अंग्रेजों के चले जाने से पूर्व हमारे देश में उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ था और उनका विकास भी केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में था। लेकिन जब वे चले गएतो हम यह चाहते थे कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था और उद्योग का तेजी से विकास करें। इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कुछ संकल्प तथा उद्योग विकास अधिनियम पास किए और उनमें इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारी अर्थ व्यवस्था मिली-जुली होगी। कुछ क्षेत्रऐसे हैं जिनमें गैर-सरकारी पूंजी और उद्यम उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को कार्यभार सम्भालना चाहिये।

लेकिन कुछ समय पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में सन्तुलन बिगड़ने लगा और सरकारी क्षेत्र पर अधिकाधिक जोर दिया जाने लगा। इस उद्देश्य से गैर-सरकारी उद्यम को समाप्त करने के प्रयास किए गए। सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक वद्धि हो रही है। चूंकि सराकारी क्षेत्र को यह लाभ प्राप्त होता है कि वह राज्य क्षेत्र होता है इसलिये गैर-सरकारी क्षेत्र को हर सम्भव तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये। हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली है। लोकतंत्र प्रणालीं स्वतंत्र विचारधारा पर आधारित होती है और विचारधारा तभी स्वतंत्र हो सकती है जब अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र हो। अतः लोकतंत्र में अर्थ-व्यवस्था का स्वतंत्र होना अनिवार्य है।

कुछ लोग लोकतंत्रात्मिक समाजवाद की चर्चा करते हैं। मैं यह बात ठीक समझ सकता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी उद्यम राज्य के नियंत्रण में आने चाहिये।

यह सच है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिये राज्य का सहयोग आवश्यक है। लेकिन राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिये जब इसकी जरूरत हो और गैर-सरकारी उद्यम उपलब्ध नहों। जब सरकार यह कार्य करे तो यह वह एक प्रतिस्पर्धी के रूप में करे न कि एकाधिकारी के रूप में। आर्थिक शक्ति जमाव की तरह एकाधिकार भी बुरा है। लेकिन जब आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती हैं,तब यह बहुत भयंकर बात हो जाती है। अतः हमें इसको रोकना चाहिये। यह स्वाभाविक ही है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पूंजी होगी तथा जिसकी ऊँची पहुँच होगी उसे लाभ रहेगा। इसके लिये सरकार दोषी है। सरकार ही ने उन्हें लाइसेंस दिए हैं और उसी का इस प्रणाली पर नियंत्रण रखने का कर्त्तव्य है। सरकार ने प्रक्रिया को आसान नहीं किया है। कुछ बड़े उद्योगपतियों पर आरोप लगाया गया है। इन्हीं उद्योगपतियों ने भारत में औद्योगिक क्रान्ति की है, अब भी वह देश के लिये उपयोगी सेवा कर रहे हैं। अतः हम उन उद्योगपतियों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

यह कहा जाता है कि व्यापारी भ्रष्ट हैं और उन्होंने अपने सबन्धियों को एजेन्सियाँ दी हैं। यह आरोप लगाया गया है कि इन व्यापारियों ने लाइसेंस लेने के लिये अपने धन का प्रयोग किया है। फिर भी वे राजकोष पर बोझ नहीं हैं। वे लाभ दिखा रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत कम नहीं है और पूरा बोझ करदाता को उठाना पड़ता है।

अतः इस मामले में हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। डा० हजारी ने सुझाव दिया है कि हमें कुछ क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिये आरक्षित रखने चाहिये। छोटे उद्योगकर्त्ताओं को,

जो किसी कस्बे या प्रादेशिक राजधानी में कोई छोटा उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं, उन्हें केन्द्र में आने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये बाध्य न किया जाना चाहिये ।

छोटे उद्योगों, जिनके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और जिनके लिये अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, को उद्योगों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके परिणामस्वरूप रोजगार की समस्या भी किसी सीमा तक हल होगी।

डा० हजारी ने सुझाव दिया है कि आयात के मामले में हमें उदार होने की आवश्यकता है। जिन चीजों का उत्पादन यहा पर मंहगा है उनका आयात किया जाना चाहिये। लाइसेंस देने की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिये। जिन उद्योगों के लिये एक करोड़ से या इससे कम पूंजी की जरूरत हो उनके लिये लाइसेंस जरूरी नहीं होने चाहिये। उन उद्योगों के लिये भी लाइसेंस जरूरी नहीं होने चाहिये जिन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। हमने यह सुझाव दिया है कि मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिये। इसके परिणामस्वरूप कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में होंगे और कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र में।

राष्ट्रीयकरण का हम दूसरे उद्योगों में अनुभव देख चुके हैं। उदाहरण के लिये बीमे को ही लीजिए। वहाँ अब और अधिक भ्रष्टाचार और अक्षमता है और वह सब केवल कर-दाताओं की ही कीमत पर है।

देश की औद्योगिक नीति पूंजी-प्रधान और श्रम-प्रधान न होकर उपभोक्ता-प्रधान होनी चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारी नीति परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाय। यदि कोई भ्रष्टाचार या कमी है तो उसको दूर किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा लाइसेंस प्रणाली को आसान बनाना चाहिये तथा प्रशासन में सुधार भी किए जाने आवश्यक हैं। मेरे विचार से सभी को श्री बिड़ला और टाटा द्वारा देश में औद्योगिक विकास किए जाने के लिये आभारी होना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप हमारे मान की वृद्धि हुई है।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Dr. Hazari's report is a revolutionary step for the country. This report is a sort of Bible for our economic conditions. The Government is responsible for the discrimination in our country. The Government passes so many resolutions but they are never implemented.

Eeven now the Congress is the only party which can bring revolution in the country. The poverty is increasing day by day. The rich are going richer and richer day by day. This thing cannot be tolerated further. The wealth will not remain in the hands of the few. It must be distributed among all. This thing must have to be done. If the Government fix a ceiling of land for the farmers it should have to fix a ceiling for the contractors and the monopolistics also, who have their properties in the city. Government have to fix the ceiling of the industrialists like Tata, Birla and Dalmia. There should be ceiling on the privy purses. If the recomendations given by Dr. Hazari are not implemented, it will be very difficult for the country to pull on. The poor peasants are being neglected. Are they not the citizen of our country ?

Crores of rupees are being spent on big cities like Bombay and Calcutta etc. Why that amount is not being spent for giving facilities to the poor farmers and Harijans ?

Twenty years have passed since India became independent and still there are slums all over the country.

In cities 80 to 1 lakh rupees are paid by L.I.C. for the construction of houses whereas only Rs. 1 000 are paid in to the poor Harijans for construction of houses in the villages. This dishonesty cannot be tolerated for long time

The Government have to nationalize the Banks. This cannot be postponed for a long time.

Birla's Groups have earned a lot. But they have also spent a lot for the facilities of the people.

Government intends to bring socialism in the country. If it fails to implement it, other parties will come forward. This report should be implemented immediately so that our country may progress.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : It has been said that Dr. Hazari has presented this report due to personal grievances. He is a very orthodox type of economists. He has presented this report after studying licencing system prevailing in our country. He has admitted that he did not possess the up-to-date statistics but we are not in a position to change the statistics given by him.

Dr. Hazari has mentioned in his report regarding the defects of the licecieng system.

It is quite clear from the Hazari Report that the Birlas managed to secure as many as 400 licences because of the fact that they were able to take advantage of certain loopholes in our licensing system. It was not possible for them to utilise such a large number of licences and as such they did not utilise almost half of them. They got these licences not because they were interested in the development af the country but because they wanted to prevent other persons from entering the field. They, therefore, cannot be obsolved of the charge of trying to hold monopoly in the country.

We have failed to achieve our objectives as have been mentioned in our Industrial Act. We have neither been able to give any incentives to new entrepreneurs nor avoid monopoly and concentration of wealth and nor there has been any technical and economic improvement. It is quite clear from the various reports submitted by the various bodies in the past and now from the Hazari Report that what we have achieved is the growing trend of monopoly and this is the result of the fault of our licencing system.

While granting licences certain things have to be taken into consideration e.g. the technical expertise and financial stability of the applicants. So far as technical expertise of the Birlas is concerned the Hazari Report says as under :

"The large number of the Birla proposals and the amount of investment contemplated therein are diffused over the entire industrial structure. Except basic steel and power generation, almost every kind of industrial product capable of domestic manufacture is covered in the Birla prospective plan. There is evidence of interest in new and rapidly growing industries, particularly, aluminium, electrical goods, chemicals, cement, man-made fibre and yarn, heavy engineering, alloy steel, pig iron, tools, timber products, news print and pipes and tubes but traditional industries like cotton, sugar, vanaspati and papers are by no means ignored.

It is not possible for anyone to have technical expertise in respect of all these things mentioned above. As regards their financial stability, the report says as under :–

It is, perhaps, no accident that certain Birla companies which appear repeatedly among the ranks of applicants and some of which do get approval for their proposals have little to boast of in their balance sheets and profit and loss accounts. A rough sample check with data available in the company Law Board revleas that Aryavarta Industries, Bikaner Commercial, Eastern equipment and Sales, Manjushere Industries and Oriental General Industries, which put in a

large number of applications for a variety of produts are either trading and/or finance companies or, have very small assets to show against the licences issued to them :

Now the question arises as to how they were able to secure a large number of licences in spite of the fact that they have neither the requisite know-how nor the financial resources to set up new industries. There can be a number of reasons for showing preference to the Birla companies. Firstly the loopholes in our licensing system are connived at by our senior officers who join the big firms after their retirement and secondly the undue influence which is exercised by politicians.

But the most important factor which help the growth of monopoly in the country is the public money deposited in the banks which is utilised by the big business houses. At present there is an amount of Rs.3500 cores in the banks. The banks are being controlled by 12 big business houses. So long as the banks are dominated by them and the money is available to them, concentration of wealth cannot be avoided. No licencing system, however efficient it may be, can help us in this matter. It is, therefore, of utmost importance that the banks should be nationalised.

If we will start importing of each and everything from abroad as has been proposed by the Jan Sangh leader, Shri Madhok, industrial development in our country will come to stand still and this will prove to be very dangerous for us.

श्री विश्वम्भरन (त्रिवेंद्रम) : इन दो बढ़िया प्रतिवेदनों को तैयार करके डा० हजारी ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। किन्तु सरकार इन प्रतिवेदनों पर कोई निर्णय करके हिदायतें जारी करने में विलम्ब कर रही है। जिससे इन सिफारिशों की उपयोगिता समाप्त हो जाये और थैकर समिति की नियुक्ति भी इसीलिये ही की गई है अन्यथा इस समिति की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहा यह गया था कि यह समिति अपना प्रतिवेदन छः महीनों में प्रस्तुत कर देगी। परन्तु मालूम हुआ है कि चूंकि समिति को स्थान और अन्य सुविधायें नहीं दी गई थी इसलिये वह अपना प्रतिवेदन छः महीनों में प्रस्तुत नहीं कर सकी। औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के अधिकारी समिति को सहयोग नहीं दे रहे हैं और यह सब कुछ जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि इस मामले में विलम्ब होता चला जाये।

डा० हजारी के कुछ निर्णय और सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं और उन्हें तुरन्त लागू कर दिया जाना चाहिये। उनके अन्तरिम प्रतिवेदन में एक सिफारिश की गई थी कि ऐसे सभी लाइसेंस जो 31 दिसम्बर, 1964 से पहले दिए गए थे और जिनको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, रद्द कर दिए जाने चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

खेद है कि 15 महीने गुजर जाने के पश्चात् भी इस सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे मामले की तुरन्त जाँच की जानी चाहिये थी और मामला किसी अन्य समिति को सौंपे बिना ही इस सिफारिश को स्वीकार करके तुरन्त लागू कर दिया जाना चाहिये था। थैकर समिति के प्रतिवेदन का भी वही हाल होगा जो एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन का, महालानोबिस समिति के प्रतिवेदन का, स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन का, विवियन बोस के प्रतिवेदन का तथा अब डा० हजारी के प्रतिवेदन का हुआ है।

यदि किसी नई समिति का गठन कर ही दिया गया है, तो उसे उन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिये जिन पर डा० हजारी पहले ही विचार कर चुके हैं।

यह कहा गया है कि बड़े-बड़े व्यापार-गृह दोषी हैं क्योंकि उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गलत तरीके अपनाये हैं। परन्तु मैं तो कहूँगा कि इनसे अधिक तो मंत्री स्वयं दोषी हैं। इस देश में मंत्रियों, बड़े-बड़े व्यापार-गृहों तथा सरकारी अधिकारियों ने ही एकाधिकार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। इस मामले की जाँच करने के लिये जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक संविहित आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो सम्बन्धित मंत्रियों, अधिकारियों तथा उद्योग-गृहों की जिम्मेवारी निश्चित कर सके।

किन्तु सरकार सम्भवतः इस मामले की न ही अधिक जाँच-पड़ताल करायेगी और न ही हजारी प्रतिवेदन अथवा किसी ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित ही करायेगी क्योंकि काँग्रेस दल को इन्हीं व्यापार-गृहों से ही तो आमदनी होती है। 1961–64 में इन व्यापार-गृहों ने राजनीतिक दलों को कुल 115 लाख रुपए दिए जिसमें से 98.13 लाख रुपए काँग्रेस दल को और 15.65 लाख रुपए स्वतंत्र दल को मिले। जैसा कि औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ने स्वयं बताया है और जैसा कि लेखा वर्ष, 1966 में बताया गया है, काँग्रेस और स्वतंत्र दल को कम्पनियों से क्रमशः 15.89 लाख और 4.43 लाख रुपए चन्दे के रूप में मिले। यही कारण है कि सरकार इन बड़े-बड़े व्यापार-गृहों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और स्वतंत्र दल भी सरकार का ही समर्थन कर रहा है।

यह सही है कि देश में बिड़ला बन्धुओं ने ही मोटर-गाड़ी उद्योग आरम्भ किया था। परन्तु अब वही बिड़ला बन्धु ही कार उद्योग के विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं।

काँग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष गत अनेक वर्षों से मैसूर में छोटी कार परियोजना स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु वह अभी तक इसमें सफल नहीं हुए। सरकार का औद्योगिक सिद्धान्त एकाधिकार को मजबूत करने कम उत्पादन करने, ऊँची लागत को बनाये रखने तक आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय का लाभ कुछ ही लोगों को देने का है। सरकार को अपने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। किसी भी सरकार का उत्पादन को बढ़ाने तथा लागत को कम करने का उद्देश्य होना चाहिये।

औद्योगिक विकास के मामले में प्रादेशिक असंतुलन का किसी भी सदस्य ने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। डा० हजारी को इस मामले पर विचार करने के लिए भी कहा गया था और उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इस बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि 1959–66 के दौरान स्वीकृत निवेश का 46 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में व्यय किया गया। 1959–66 में पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ और महाराष्ट्र में 171 करोड़ रुपए लगाये गए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ राज्यों में बिल्कुल भी पूंजी नहीं लगाई गई है। उदाहरण के लिए आसाम को भारत के औद्योगिक मानचित्र में कोई स्थान नहीं दिया गया है। जहाँ तक केरल राज्य का सम्बन्ध है गत 10 तथा 17 वर्षों के आयोजित विकास में इसकी उपेक्षा की गई है। सरकारी क्षेत्र में लगाई गई कुल 2500

करोड़ रुपए की पूंजी में से केरल में 25 करोड़ रुपए की पूंजी ही लगाई गई है। यह लगभग एक प्रतिशत है। प्रादेशिक एकाधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एकाधिकार भी समाप्त किया जाना चाहिए।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): There is no doubt that Dr.Hazari has done great service to the nation by inviting our attention towards the increasing tendency of monopoly and concetration of wealth. But he has weakned his case by praising few industrial organisations. For instance he has stated in his report that while some industrialists were sitting idle the Birla group tried to establish new industries and that recession has made no effect on them. He has further stated that Birlas appear to have reduced its import component substantially. It is, therefore, very difficult to arrive at any conclusions from the recommendations of Dr. Hazari.

It was the duty of the Government to look into these matters with a view to improve the situation. But nothing has been done so far. Time and again committees are appointed but Government fail to implement their recommendations. Industrial Regulation Act was passed and enforced in 1951 and 1952 respectively. After that a committee under the Chairmanship of Shri-Swaminathan was framed and then comes Dr. Hazari. Inspite of all these actions on the part of the Government monopolistic tendencies and concentration of wealth has risen. But in my view it is not very abnormal thing. It has happened in other countries of the world also. But I do feel that growth of monoplies should be checked. Birlas should be asked to procure components for the manufacture of cars from other units. Small industrialists should not be ignored. They should be given equal opportunities to flourish.

Now government is going to pass the Monopolies Bill. I would request the Government to look into the question as to how monopolies and concentration of wealth has grown. Keeping in view the reasons which led to the growth of monopolies and concentration of wealth necessary provisions should be made in the Bill.

श्री हुमायून कबीर (बसिरहाट) : माननीय मंत्री के टिप्पणों के पश्चात् यह चर्चा का शैक्षिक महत्व ही रह गया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि दो अन्य समितियों द्वारा अपना अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जा सकता है।

जब कभी भी बड़े-बड़े उद्योग-गृहों का निर्माण होता है वहाँ पर कुछ त्रुटि प्रायः हो जाती है। परन्तु उनकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं हैं। जहाँ तक बिड़ला बन्धुओं का प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित रखा था और उसके पश्चात् उन्होंने भारतीय व्यापार को अन्य देशों में फैलाया है। परन्तु इस समय हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि एकाधिकार की प्रवृत्ति और धन के जमाव को किस प्रकार रोका जाये? जब लाइसेंस देने संबंधी नीति पर सरकार का नियंत्रण है तो किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। धन के जमाव तथा एकाधिकार के विकास की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर है।

मेरे विचार से इसका मुख्य कारण गलत आयोजना है। डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि व्यापार-व्यवस्था प्रशासनिक-व्यवस्था से अधिक प्रभावशाली हो गई है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब कुछ आर्थिक-शक्तियाँ प्रभावशाली हो जाती हैं तो उनको मान्यता देनी ही पड़ती है। और देश की नीति को इस प्रकार मोड़ना पड़ता है जिससे कि एकाधिकार तथा धन का जमाव न हो और साधारण व्यक्ति को उससे लाभ हो, परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

यह सच है कि डा० हजारी ने प्रतिवेदन में प्राथमिकता सूची बनाने का सुझाव दिया गया है परन्तु मेरे विचार में इस मामले पर अधिक सावधानी से विचार करने की गुंजायश है। यदि बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्रों को निश्चित कर दिया जाये तो धन के जमाव तथा एकाधिकार के विकास की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। उदाहरणतया बिजली के उत्पादन को चाहे वह अणु शक्ति हो, अथवा तापीय अथवा पन-बिजली, बड़े पैमाने के उद्योगों में ही सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार लोहा तथा इस्पात, एल्यूमिनियम, इलैक्ट्रोनिक्स, परिवहन तथा बैंकिंग को भी बड़े पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित किया जाना चाहिये। यदि इन सब उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लगाया जाता है तो धन के जमाव तथा एकाधिकार की समस्या को दूर किया जा सकता है।

जहाँ तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है इसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिये कि उस पर सरकार का शत प्रतिशत स्वामित्व हो। इस सम्बन्ध में समूचे विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। स्वामित्व तथा नियंत्रण को पृथक-पृथक किया गया है। कुछ मामलों में तो नियंत्रण और प्रबन्ध को ही पृथक-पृथक हाथों में सौंपा गया है। अतः हमें भी सरकारी क्षेत्र की व्याख्या में परिवर्तन करना चाहिए। अतः सरकार अधिकांश शेयर अपने पास रखकर शेष शेयर जनता को दे सकती है। इसी प्रबन्ध का पूरा कार्य नौकरशाही पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यही सूत्र बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भी अपनाया जा सकता है।

डा० हजारी के प्रतिवेदन में एक अन्य बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आयोजन में अनिवार्य तथा निर्देशात्मक दो प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कि जाने चाहिए। यदि इसके साथ डा० हजारी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये कि लाइसेंस देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाये तो इससे छोटे-छोटे उद्यमियों को भी अवसर मिल सकेंगे। होता यह है कि जब कभी भी कोई लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देता है तो उसको अनेक फार्म को भरना होता है जिसे बड़े-बड़े उद्योगपति तो पूरा कर लेते हैं परन्तु छोटे-छोटे उद्यम-कर्त्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है। उन फार्मों में माँगी गई बहुत सी जानकारी अनावश्यक होती है।

जहाँ तक लाइसेंस प्राप्त करने का सम्बन्ध है इसमें बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो लाइसेंस प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। लाइसेंस जारी किए जाने के पश्चात् उसको अनेक समितियों में भेजा जाता है। बड़ी फर्में तो यह सब कुछ कर सकती हैं परन्तु नए उद्यमी यह कार्य नहीं कर सकते। अतः लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने से नए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जहाँ तक बैंकों का प्रश्न है जैसा कि मैंने कहा बैंकों पर एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को बैंक पूर्णतया अपने हाथ में नहीं लेने चाहि । अन्यथा इसके धन के दुरुपयोग से अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः मेरे विचार में राज्य के नियंत्रण और गैर-सरकारी नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा सकती है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि नए उद्यमियों को बैंकों से एक निश्चित अनुपात से धन प्राप्त हो सके।

डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में एक करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं को लाइसेंस-मुक्त करने का सुझाव दिया है। अभी तक 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय साधनों का उपभोक्ता उद्योगों, मध्यम तथा लघु उद्योगों पर अधिक भाग व्यय किया जाना चाहिये। बोकारो इस्पात संयंत्र के स्थान पर पुराने इस्पात संयंत्रों का विकास किया जाना चाहिये था। इन सुझावों को क्रियान्वित करने से धन के जमाव तथा एकाधिकार के विकास को रोकना सम्भव होगा और अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : इस समय चर्चा का विषय बिड़ला बन्धु नहीं है। इस समय चर्चा का विषय सरकारी नीति तथा सरकार द्वारा बनाये गए सिद्धान्त तथा उनकी क्रियान्विति का प्रश्न है।

डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में कुछ फर्मों का उल्लेख कर एक विशेष फर्म के साथ अन्याय किया है। इस प्रतिवेदन पर हम इस कारण चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मूल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। एकाधिकार और धन के जमाव का प्रश्न पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। देश में लगभग 7,000 बड़े उद्योग हैं और 23,000 अथवा 24,000 छोटे उद्योग हैं। बड़े उद्योगों में लगभग 80 प्रतिशत और छोटे उद्योगों में लगभग 20 प्रतिशत पूंजी लगी हुई है। 7,000 के लगभग बड़े उद्योग 175 उद्योगपतियों द्वारा ही चलाये जा रहे हैं। अतः इन लोगों के पास शक्ति का जमाव हो रहा है। इसलिए हमें मुख्य रूप से इन कुछ लोगों के हाथों में बढ़ते हुए एकाधिकार को रोकने पर विचार करना चाहिये।

पहली पंचवर्षीय योजना में 2200 करोड़ रुपए, दूसरी योजना में 7,000 करोड़ रुपए तथा तीसरी योजना में 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी। परन्तु अनेक उद्योग तथा अधिकांश पूंजी सरकारी क्षेत्र में ही लगाई गई थी। परन्तु फिर भी यदि एकाधिकार तथा आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में विकास हुआ है तो उसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है। डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकार ने बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं किया। परन्तु फिर भी मैं कहूँगा कि यदि ये उद्योगपति समुचित ढंग से उद्योगों का विकास नहीं करते तो हम 1962 में चीन के तथा 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। इन उद्योगपतियों ने देश से बाहर भी यह उद्योग स्थापित किए हैं। हमें इस बात का श्रेय इन लोगों को देना चाहिए। परन्तु इस सबके साथ मैं यह भी कहूँगा कि सरकार ने एकाधिकार की प्रवृत्ति को न रोक कर एक भारी भूल की है। अतः सरकार को अब इस सम्बन्ध में विचार कर सुधार करना चाहिए। इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिये कि नीति में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

डा० हजारी ने अनेक सुझाव दिए हैं। उन पर विचार करना हमारा काम है। मैं महसूस करता हूँ कि यदि सरकार स्वयं प्रतिवेदन पर विचार कर कुछ निष्कर्ष निकाल कर हमारे समक्ष रखती तो हम प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अच्छी स्थिति में होते। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या वर्तमान नीति ठीक है अथवा इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति अथवा प्रो० थैकर की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के निष्कर्ष हमारे समक्ष रखे जाते तो चर्चा अधिक लाभदायिक सिद्ध हो सकती थी।

Shri Ram Avtar Sharma (Gwalior) : We should keep three things in our mind while considering the report of Dr. Hazari. First of all this report is one man's job. He may be a good economist but he cannot claim to have full knowledge of all industries, big as well as small. Further Dr. Hazari has himself stated that adequate material was not supplied to him for preparing the the report. Therefore it is no use of considering the report which is based on incomplete material.

As several hon. Members have stated our licencing system is not functioning properly. Dr. Hazari in his report has mentioned the names of few industrialists to whom licences have been issued. So there is no doubt that some big industrialist such as Birlas and Tatas have been granted licences but what we have to see is this whether these licences can be utilized by small entreprenurs. Huge plants such as Aluminium and paper factory set up by the Birlas could not be established by the small entreprenurs. Further we should remember that our licencing system is not a simple system. It is complex one. A lot of verification is made before the licence is issued.

Dr. Hazari in his report has also mentioned the number of Gujraties, Bengalis, Marwaris etc. to whom licences have been issued. This will spread communalism in the country. I feel that Dr. Hazari is some what prejudiced to Birlas. I would, therefore, say that there is no need to discuss this report in House. We are wasting our time since yesterday.

So far as public sector industries are concerned about 3,000 crores of rupees have been invested. We are getting a return of only 0.5 percent whereas Birlas and Tatas are getting return of about 10 and 9 percent from their investment. This is how the public sector industries are running at present. It should, therefore, be admitted that these industrialists know the art of running the industries. In this conection I would also quote that the share value of the paper factory in Andhra Pradesh was very low before it was handed over to Birlas. But as soon as Birlas took over the charge of the factory its share value went up by 40 percent. Therefore it is proved that persons responsible for running public sector industries lack the requisite art.

Many things have been said about the nationalisation of banks. The main point is whether banks should advance money to those who have little profit-earning capacity or to those who earns more. This discussion unfortunately has passed the limits. Much has been said against particular individuals which should not have been said. So this discussion has gone beyond the scope of the subject. It appears that the report has been prepared to defame the Birlas.

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : प्रतिवेदन पर ब्यौरेवार चर्चा की गई है। बिड़ला बन्धुओं ने विभिन्न उद्योगों के लिए जिनकी देश को आवश्यकता थी अनेक आवेदनपत्र दिए। आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं का अब देश में निर्माण हो रहा है।

अब प्रश्न यह है कि एक ही फर्म को इतने लाइसेंस देने के क्या कारण हैं? इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि देश के अन्य बड़े उद्योग-गृहों ने उद्योग लगाने में रुचि नहीं दिखाई। अत: इस विशेष फर्म को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने अनेक उद्योग स्थापित किए हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

साम्यवादी सदस्यों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि बिड़ला बन्धुओं ने लाइसेंस प्राप्त करने के लि सरकारी अधिकारियों को प्रभावित किया है। परन्तु इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल में लुग्दी बनाने के लिए कारखाना स्थापित करने के लिये किसने किसको प्रभावित किया है? समूचे विश्व में बांस से लुग्दी बनाने का यह अपनी प्रकार का एक

ही कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना के लिये केरल के मुख्य मंत्री ने बिड़ला बन्धुओं को विशेष शर्तों की पेशकश की थी। इसका कारण यह है कि वह जानते थे कि बिड़ला बन्धुओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा कारखाना स्थापित नहीं कर सकता था।

प्रतिवेदन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि बिड़ला बन्धु ने अन्य उद्यमियों के मार्ग में अड़चन डाली हैं। सरकार द्वारा चलाई गई अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटे-छोटे उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी गई है। प्रतिवेदन में लाइसेंस देने की अनेक त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The Birla family has played a remarkable role in educational, religious, social and economic spheres of our country. Many big educational institutions such as Banaras Hindu University and Vallabh Vidhyanagar Anand have been established with their help. Not only in this country but even in other countires, such as Nepal, Ceylon, Burma. Thailand they have established many religious as well as educational institutions. They have always aimed at establishing culturalunity. It is, therefore, really unforturate that such a family has been picked up for unfair criticism.

So far as public sector industries are concerned about 3,000 corres of rupees have been invested therein. But the rate of return is ½ to 1 per cent, whereas in the private sector the rate of return on the capital is 6 to 8 per cent. This shows their efficiency. Moreover we want rapid industrialisation to solve the problem of unemployment. Even now about 50 thousand engineers are unemployed.

So far as nationalization of banks are concerned, it should be realised that major portion of the capital of the banks is already under the control of Government. Life Insurance funds, Postal Saving funds are also at the disposal of the Government. Very little remains for the use of the common man.

Dr. Hazari has himself admitted in his Report that Birlas have an important place in the develpment of the country. It has been stated in this Report that 9,000 licenes have been issued during the last 10 years and according to Monoply Commisson's Report Birlas have got only 151 licenses. Then there are relations of Birlas also. There are 2½ lakh people who are working in the industries established by Birlas. We should appreciate the work being done by Birla family. Moreover it has been stated in Hazari Report that minimum amount of foreign exchange is being used by the industries. If we criticise Birlas, who are playing significant role in the development of the country, then other industrialists would be discouraged, especially when we want to encourage industries in our country. If we do not industrialise our country, our engineers and other trained personnel would remain unemployed.

Dr. Hazari has himself admitted in his Report that the data collected by him was partial, incomplete and in some cases not fully reliable. He has submitted a partial report in the light of the working of one business house. There should have been a comparative study of the situation taking into account other business houses as well.

We want to establish unity in our country but in this Report it has been stated that so many licences have been issued to Marwaris, Bengalis, Punjabis and Sindhis. This generates provincial feeling. I would request the hon'ble Minister to see that while submitting such important reports narrow outlooks should not prevail. Today if industrialistion is discouraged then it will not be possible for us to protect the country. I think Government would consider this matter keeping in view this background.

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हजारी रिपोर्ट पर सात घण्टे तक की गयी चर्चा बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। इस चर्चा के दौरान मानननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य हमारे देश में उद्योगों की प्रगति है। इसी उद्देश्य से कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये गए थे। इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और उद्योगों का विकास सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में होना था और कुछ ऐसे उद्योग थे जिनका विकास केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में होना था। वर्ष 1952 से हम इसी नीति पर चल रहे हैं। परन्तु अब जब हम उन सिद्धान्तों पर विचार करते हैं तो वे परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं और जिन उद्देश्यों के लिये वे सिद्धान्त बनाये गए थे उनको वे पूरा नहीं कर सकते। इन सिद्धान्तों में एक ओर तो यह कहा गया था कि हमें देश में बड़े कारखाने लगा कर शीघ्र औद्योगिक विकास करना है परन्तु दूसरी ओर यह कहा गया था कि हमें छोटे कारखानों की भी उपेक्षा नहीं करनी है। उसी औद्योगिक ीति-संकल्प में यह भी कहा गया था कि प्रादेशिक असंतुलन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। इन सब बातों पर विचार करने से पता चलता है कि उन सिद्धान्तों में परस्पर विरोध है। इसलिये यदि किसी दिशा में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके लिये लाइसेंस सम्बन्धी नीति ही नहीं बल्कि ये सिद्धान्त भी उत्तरदायी हैं।

यह कहना गलत है कि किसी कांग्रेस सदस्य के कहने पर डा० हजारी की नियुक्ति की गयी थी। डा० हजारी की नियुक्ति योजना आयोग में अवैतनिक सलाहकार के रूप में की गयी थी। उन्होंने अपना प्रतिवेदन योजना आयोग को भेजा था, सरकार को नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि डा० हजारी अपने विचारार्थ विषय से बाहर चले ग हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि औद्योगिक योजना और लाइसेंस नीति पर उन्हें विचार करना था। ये दोनों क्षेत्र योजना आयोग के औद्योगिक तथा खनिज विकास डिवीजन की सलाह से उनके विवेक पर छोड़ दिये गए थे। इसलिये इस सम्बन्ध में उनकी आलोचना करना अनुचित है। यह सम्भव है कि हम उनकी कुछ बातों से सहमत न हों परन्तु उनकी इस प्रकार आलोचना करना ठीक नहीं है।

जहाँ तक प्राथमिकताप्राप्त उद्योगों में पूंजी लगाने का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूँ कि कुछ सीमा तक वह उद्देश्य पूरा हो गया है। गत तीन योजनाओं की अवधि में हमने देश के उद्योगीकरण के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति की है। मूल उद्योगों, विशेषकर मशीनें बनाने वाले उद्योग, रसायनिक उद्योग और कई प्रकार के उपभोक्ता उद्योगों का विकास हुआ है। अतः हमारी नीतियाँ तथा दृष्टिकोण इस दिशा में सामान्यतः सही रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी आलोचना की है कि सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाई गयी है। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में 260 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 770 करोड़ रुपए और तीसरी योजना में लगभग 1330 करोड़ रुपए लगाये गए थे। इसी कालावधि में गैर-सरकारी

क्षेत्र में क्रमश: 338 करोड़, 850 करोड़ और 1275 करोड़ रुपए लगये गए थे। चौथी में 2650 करोड़ रुपए लगाये जायेंगे।

जहाँ तक एकाधिकार का प्रश्न है, हमें यह देखना है कि क्या धन और शक्ति कुछ ही व्यक्तियों में केन्द्रित होती जा रही है जो लोकहित के लिये हानिकारक है? एकाधिकार के सम्बन्ध में हमें इस संदर्भ में विचार करना है। यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है। हमें विभिन्न व्यापारिक संस्थानों की गतिविधियों और उनकी सफलताओं के आधार पर यह विचार करना है कि यदि कोई व्यापारिक संस्थान इस अवस्था तक पहुँच गया है कि वह अपने धन का प्रयोग लोकहित में नहीं करता तो सरकार उसकी जाँच करेगी और इस प्रवत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही करेगी।

लाइसेंस प्रणाली की जाँच के लिये थँकर समिति की नियुक्ति की गयी थी। सरकार समय-समय पर स्वयं ला सेंस प्रणाली पर विचार करती रही है। वर्ष 1964 से, लाइसेंस जारी करने के स्थान पर आशय-पत्र जारी करने आरम्भ कर दिये थे। इस प्रण ली के अधीन आशय-पत्र की कालावधि 6 महीने क होती है। यदि इसी कालावधि में कार्यवाही नहीं की जाती तो यह पत्र अपने आप रद्द हो जाता ह। इस पत्र की कालावधि बढ़ाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को लिखना पड़ता है और साथ में यह भी बताना पड़ता है कि उसने निश्चित कालावधि में कार्यवाही क्यों नहीं की? कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यह कालावधि नहीं बढ़ायी गयी है।

आचार्य कृपालानी ने कहा था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में 3 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुएँ जमा हो गयी हैं और इस कारखाने का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। यदि इस कारखाने में उत्पादन हो रहा है और मन्दी के कारण या क्रय-आदेशों की कमी के कारण उस सामान की बिक्री नहीं हुई तो इसमें कारखाने का दोष नहीं कहा जा सकता। वर्ष 1966–67 में इस कारखाने ने कई लाख का लाभ अर्जित किया था। हम इन वस्तुओं को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उ ाई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने जितना लाभ अर्जित कर रहे हैं उतना सरकारी क्षेत्र के कारखाने नहीं कर रहे। इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने केवल लाभ अर्जित करने के लिये ही नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी स्थापित किए गए हैं। (**व्यवधान**)। सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के साथ नगर बसाने, तथा स्कूल आदि अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने पर भी काफी धन खर्च किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। लाभ और हानि का विचार करते हुए हमें इस खर्च को भी ध्यान में रखना चहिये। फिर सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुएँ तैयार की जाती हैं जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उपभोक्ता माल तैयार किया जाता है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में पहली योजना के दौरान 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी जिसे तीसरी योजना में बढ़ा कर 114 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों को सदा प्रोत्साहन देती रही है। छोटे पैमाने के उद्योगों के संरक्षण के

लिये उद्योग अधिनियम का उपयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र के लिये 47 उद्योग आरक्षित हैं।

हमारा उद्देश्य उद्योगों का विकास करना है। जहाँ भी कोई गलती होती है हम उसमें सुधार करने के लिये तैयार हैं। इस प्रतिवेदन पर तथा प्रो० थैकर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर हम इसी दृष्टि से विचार करेंगे। यह कहना अनुचित है कि थैकर समिति को कार्य करने के लिये कोई सुविधा नहीं दी गयी है। उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं दी गयी हैं और कार्य करने के लिये काफी कर्मचारी भी दिए गए हैं। उन्हें जब भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, उनकी शिकायतें दूर की गयी हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 सभा में मतदान के में लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनी दूतावास के लाल रक्षकों द्वारा पुलिस कांस्टेबल का कथित अपहरण

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा): मैं पहले ही गृह-कार्य मंत्री का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिला चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब अपना वक्तव्य दें।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): हमें दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि 6 मार्च, 1968 को कांस्टेबल घनश्याम प्रसाद और रामरिछपाल सिंह सरदार पटेल मार्ग पर रेलवे कालोनी में गश्त की ड्यूटी से चाणक्यपुरी थाना को लगभग 3 बज कर 15 मिनट पर लौट रहे थे। उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने छोटा मार्ग अपनाना चाहा, अतः वह चीनी दूतावास के अहाते से हो कर आये। जब दोनों कांस्टेबल चीनी दूतावास के अहाते से बाहर निकल चुके थे तो चीनी दूतावास के गेट-कीपर वीर बहादुर ने उन्हें वापिस बुलाया। उनमें से श्री घनश्याम प्रसाद ने उसकी बात मान ली और वह गेट-कीपर के कमरे में दाखिल हुआ। तब गेट-कीपर ने उसे जबरदस्ती रोके रखा। शीघ्र ही कुछ चीनी तथा अन्य लोग उसे दूतावास के अन्दर ले गए।

लगभग 5.15 बजे म० प० पर उस क्षेत्र के थानेदार ने दूतावास के दूसरे गेट-कीपर सूरज बहादुर से कहा कि अन्दर चीनियों को सूचना दे दो कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा सब-

डिविज़नल पुलिस अधिकारी रोके गए कांस्टेबल के सम्बन्ध में बातचीत करना चाहते हैं। कुछ समय बाद उसने आकर बताया कि चीनी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे। वे केवल वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के साथ इस मामले में बातचीत करेंगे।

शाम के लगभग 5 बज कर 30 मिनट पर चीनी दूतावास ने प्रोटोकोल विभाग को सूचना दी कि एक घुसपैठी उनके दूतावास में घुस आया है जिसे उन्होंने पकड़ लिया है और वे उसे प्रोटोकाल के ऐसे अधिकारी को सौंपेंगे जिन्हें वे जानते हों। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रो टोकोल विभाग ने उन्हें सलाह दी कि चीनी दूतावास के बाहर जो सुरक्षा अधिकारी हैं वे उसे उन्हें सौंप दें। परन्तु चीनी दूतावास के न मानने पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने लगभग 6 बजे दो प्रोटोकोल अधिकारी चीनी दूतावास में भेजे। परन्तु 7 बजे तक न तो उस कांस्टेबल को रिहा किया गया और न ही ये दोनों अधिकारी वापिस लौटे। फिर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से चीनी दूतावास को टेलीफोन किया गया कि पुलिस कांस्टेबल को तत्काल छोड़ दिया जाये। इसके बाजूद भी जब चीनी बहाने लगाते रहे तो चीनी के कार्यवाहक राजदूत को तुरन्त वैदेशिक-कार्य मंत्रालय आने के लिये कहा गया। तब चीनी दूतावास ने मंत्रालय को बताया कि वह कांस्टेबल अहाते से बाहर चला गया है।

दोनों कांस्टेबलों ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि दूतावास के अहाते से जाना अनुचित है। कांस्टेबल घनश्याम प्रसाद ने यह भी बताया कि उसे पहले चौकीदारों ने और फिर चीनी दूतावास के भवन के अन्दर बन्द रखा गया। उसे तब तक बाहर नहीं आने दिया गया जब तक कि वह यह लिख कर देने के लिये तैयार नहीं हुआ कि वह चीनी दूतावास में आया था। उससे यह बात दूतावास के अन्दर लिखवाई गई और उस पर हस्ताक्षर करवाये गए।

कांस्टेबल रिछपाल सिंह के शिकायत करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन अपहरण करने तथा जबरदस्ती बन्द रखने का एक मामला पुलिस ने दर्ज किया था।

भारत सरकार ने इसको एक गम्भीर मामला समझा है और भारतीय अधिकारी को रोक रखने की अवैध कार्यवाही करने और उससे जबरदस्ती एक वक्तव्य लिखाने के विरुद्ध चीनी दूतावास को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज एक सुरक्षा कर्मचारी को पकड़ लिया गया तो कल किसी मंत्री का भी अपहरण हो सकता है। इस देश में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि सुरक्षा कर्मचारी स्वयं खतरे में हैं तो इस देश की रक्षा कौन करेगा ? सरकार को अब तक चीन के साथ सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिये थे। उन्हें चीनी दूतावास को राजनयिक रियायतों को वापिस ले लेना चाहिये। जब वे लोग हमारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : चौकीदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैंने यह पूछा है कि चीनी दूतावास हमारे कानूनों का कई बार उल्लंघन कर चुका है इसलिये क्या सरकार चीनी दूतावास के अधिकारियों को दी गयी राजनयिक रियायत वापिस लेने के लिये तैयार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय हम इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चीन गणतंत्र के साथ राजनयिक सम्बन्धों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस अपहरण के मामले में.... **(व्यवधान)**

श्री रंगा (श्री काकुलम) : सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या वे इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री पें० वेंकटसुब्बाया (नन्द्याल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक विशिष्ट ध्यान देने वाली सूचना चीनी दूतावास द्वारा पुलिस के एक कॉंस्टेबल के अपहरण के बारे में दी गयी थी। मंत्री महोदय ने उसका विशिष्ट उत्तर दे दिया है कि कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री म० ला सोंधी : (नई दिल्ली) : चीनयों ने अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा का उल्लंघन किया है और बहुत ही उत्तेजनात्मक कार्यवाही की है। गृह-कार्य मंत्रालय और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस घटना के लिये उत्तरदायी हैं। गृह-कार्य मंत्रालय ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाला है। क्या सरकार सही स्थिति का पता लगाने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनायेगी और क्या सरकार दोषी राजनयिकों को तुरन्त देश से निकाल देगी ? क्या सरकार राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के सुझाव पर विचार करेगी ? क्या पेकिंग में भारतीय परिवारों की रक्षा की जा सकती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी व्यक्ति को कोई धमकी नहीं दी गयी । संसद सदस्यों की समिति बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं और यहाँ के कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला किसके विरुद्ध दर्ज किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारतीय चौकीदार के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया है। **(व्यवधान)** यह रिपोर्ट चौकीदार तथा चीनी दूतावास के कुछ राजनयिकों के विरुद्ध थी। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं और राजनयिक उन्मुक्ति के अनुसार इस प्रकार मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट करने वाले अधिकारी ने दूतावास की चीनी लोगों तथा चौकीदार के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : I would like to know the difficulty in arresting the persons who detained the constable in the Embassy and the reasons for not registering a case against them ? Have they made any arrangement to arrest them ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already told that we are taking action in accordance with our law.

श्री म० ला० सोंधी : यह झूठ है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें सभा की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से चलानी चाहिये। प्रश्न करने वालों को मैंने दो-दो या तीन-तीन बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी ह (**व्यवधान**)। मैं महसूस करता हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है। परन्तु पीठासीन अधिकारी अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता। मंत्री महोदय प्रश्नों का उत्तर देते रहे हैं। यह सम्भव है कि विरोधी पक्ष के लिये उनके उत्तर संतोषजनक न हों। अब पहले श्री तिवारी के प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

Shri Vidya Charan Shukla : As already stated we have taken serious view of this matter and we shall deal with it with utmust stringency but in accordance with the international practices and laws.

Shri K. N. Tiwari : Will the Govrnment inform the House regarding the steps taken in this matter and the results thereof ?

Shri Vidya Charan Shukla : We will definitely inform the House.

Shri Kameshwar Singh : Our interests have not been protected in the case of Kachhativu. Our Home Minister does not know even elementary things in this matter.

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य को किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिये।

Shri Kameshwar Singh : I want to know why the Home Minister did not make a statement before ? Is it a fact that he did not possess any information in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : We want to place full facts before the House. Unless we have got the full facts we cannot do.....

श्री समर गुह : माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : यह गम्भीर मामला है और हमें इसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में सार्वजनिक आन्दोलन चाहती है।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री ने यह बताया कि उन्होंने सभा को पूरी जानकारी देने के लिये प्रतीक्षा की। यह तथ्यपूर्ण वक्तव्य नहीं है क्योंकि इस मामले को सरकार सदन में नहीं लाई थी बल्कि इस मामले को सदस्य ध्यान आकर्षण सूचना के रूप में सदन में लाये थे।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गाँधी) : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है इसके अलावा मझे और कुछ नहीं कहना है। जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया कि इन मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून और देश के कानून के अनुसार विचार किया जाता है। जहाँ तक राजनयिक सम्बन्धों को तोड़ने का सम्बन्ध है, इस बारे में सभा में चर्चा की जा चुकी है और इस घटना से इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री रंगा : आपको सभा को इसकी जानकारी कल दे देनी चाहिये थी।

श्रीमती इन्द्रा गाँधी : हम भी इसे गम्भीर मामला समझते हैं। यद्यपि पुलिस वाले ने वहाँ घुस कर गलती की थी तथापि चीनियों को इस प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिये था। सभा को इस मामले को सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिये।

नेपाल में भू-स्खलन तथा बूढ़ी गण्डक नदी में रुकावट पड़ जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: LANDSLIDE AND OBSTRUCTION IN THE RIVER BURI GANDAK IN NEPAL

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव):

आज प्रातः समाचार-पत्र में यह खबर छपी है कि बूढ़ी गण्डक नदी के प्रवाह में भू-स्खलन से बाधा पड़ गई है और कि उत्तर बिहार में जान व माल को खतरा उत्पन्न हो गया है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव तथा सिंचाई व बिजली मंत्री से बातचीत की गई और राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से है :

यह भू-स्खलन बूढ़ी गण्डक नदी पर नहीं हुआ है बल्कि नेपाल में काठमाण्डू के उत्तर-पश्चिम में लगभग 50 मील की दूरी पर तथा आरूघाट बाजार के प्रतिस्रोत 12 मील दूर स्थित लेबुवेज नामक स्थान पर बूढ़ी गण्डक पर हुआ है जो कि नारायणी अर्थात् गण्डक नदी की एक सहायक नदी है। भू-स्खलन से इस नदी के आर-पार लगभग 50 फुट ऊँची दीवार खड़ी हो गई है। पता चला है कि अब पानी उमड़ कर बह रहा है।

भैंसालोटन (वाल्मीकी नगर) में इस समय निर्माणाधीन गण्डक बराज आरूघाट बाजार से 110 मील की दूरी पर स्थित है और स्खलित भू-भाग में किसी दरार के परिणामस्वरूप उमड़ा पानी आरूघाट बाजार और बाल्मीकी नगर के बीच घाटी में ही काफी हद तक समा जाएगा। उम्मीद तो यह है कि कोई भयंकर बाढ़ नहीं आएगी परन्तु फिर भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उसके लिये प्रतिकारात्मक उपाय करने हैं। बिहार सरकार यह महसूस कर रही है कि इससे कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न नहीं होगा। उन्होंने अपने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस बारे में खबरदार कर दिया है। चूंकि यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र गण्डक में आई बाढ़ से प्रभावित हो जाएँ इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है।

वाल्मीकी नगर में निर्माणाधीन गण्डक बराज पर आनुषंगिक कार्यों तथा काफर बाँध को बचाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

स्थल का निरीक्षण करने के लिये बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई और मुख्य इंजीनियर, गण्डक परियोजना, राज्य सरकार के हवाई जहाज से पटना से आज प्रातः रवाना हो गए। किन्तु वे इस क्षेत्र की उड़ान न कर सके और पटना वापिस आ गए।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक प्रवर अधिकारी इस समय पटना में है और राज्य सरकार से निकट सम्पर्क स्थापित किए हुए है। राज्य सरकार का एक मुख्य इंजीनियर कल काठमाण्डू हवाई जहाज द्वारा जा रहा है तथा नेपाल के इंजीनियरों के साथ और अनुसंधान कार्य करेगा। मैंने भी बिहार के सिंचाई व बिजली मंत्री से कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं क्षेत्र का दौरा करने के लिये तैयार हूँ।

मध्य प्रदेश के जिला बिलासपुर में हरीजनों पर अत्याचारों के समाचार के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: REPORTED ARTOCITIES ON HARIJANS IN BILASPUR DISTRICT OF MADHYA PRADESH

Shri Hukam Chand Kachwai : (Ujjain) : I want to raise a point of order under Rule 188. After that I will draw your attention to Rule 352 (1)

The Madhya Pradesh Government, in a Gazette dated 17th February, 1968, has mentioned to investigate regarding tbe incidents of 19th and 20th January, 1968, Social differences there and the behaviour of the Police and District Administration and has declared to establish a Commission. I am not against this discussion.

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : Every matter of importance should be permitted to be discussed in the Lok Sabha because it is the true respsentative of the General Public. Under the present rules it has been stated that "Generally, the discussion can be made only in special circumstances".

श्री सोनावने : पिछली बार जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था तब यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में न्यायिक जाँच चल रही है अतः इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। तब अध्यक्ष महोदय ने अपने विनिर्णय में कहा था कि इस सम्बन्ध में हम मामले के तथ्यों पर चर्चा कर सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में आपके पास निश्चित प्रथा है। अतः इस विषय पर चर्चा करने की अनमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस मामले में जैसा श्री मधु लिमये ने कहा चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर न्यायिक में विचाराधीन विषय को छोड़कर अन्य बातों पर विचार किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : It is really pity that even after establishing a law that all are equal and there will be no discrimination on the basis of class, sex and creed, Harijans and tribal people are being cruelly treated in our country. They are being looked with hatred.

Besides cruelly treating the Satnami Harijans in Madhya Pradesh, there have been instances of illtreating them in Marathwara region of Maharashtra.

When Harijans occupied pastures or got land acquired by the Government or were elected sarpanches of village panchayats, great resentment has been shown by Caste Hindus. It is a matter of great regret, that Harijans have to quit their offices because of the dislike and pressure of the the Caste Hindus.

There is a great sense of insecurity among the depressed classes. These incidents are condemnable.

There has been rivalry and enmity between the Stanamis and caste Hindus for quite some time. In 1953 there have been 10-11 incidents. In all these incidents 21 Satnamis were killed whereas only one caste Hindu was killed by Satnamis. This clearly shows that they have been victimised rather than aggressors. An enquiry has been ordered in this regard and its finding will reveal the real facts.

Provisions of untouchability Act should strictly be enforced. It should be amended if necessary and severe punishment should be awarded in this regard.

Preference should be given to Harijans in the matter of distribution of lands. They should be given preference in rehabilitating. Some target should be determined in this regard and a report in this conection should be presented to the House every six months.

Implementation of housing schemes for Harijans should be expedited. More funds should be allotted for providing good land for them.

According to Government of India's Notification, 17 to 18 per cent vacancies should be reserved for the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But no implementation of this order has been made so far.

Arrangements for the supply of clean drinking water to the Harijans should be made.

Recommendations of the Commissioners for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in regard to distribution of land among Har ijans should be implemented. It is regretted that Govenment have not yet implemented those recommendations.

I will request the Home Minister not to look upon these incidents from party politics angle, but should try to do justice to Harijans.

Shrimati Munimata Agam Das Guru (Janjgir) : It is was thought that after independence Harijans will get a better deal, but all those hopes have been shattered. The condition of the Harijans is even more deplorable today.

Great artocities have been committed on the Satnamis in the recent incidents in Madhya Pradesh. Slogans have been raised against the progress and well being of Harijans. Harijan teachers are beaten if they beat Thakur students. Harijan women and children have been assaulted. Thakur Pokal Singh and his associaties are very cruel to Harijans.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

All this fuss has been created because Caste Hindus do not like that Harijans should be educated and become prosperous. They want that Harijans should remain their slaves. It has been said that Harijans are criminals. Harijans women and children were beaten severely (interruptions)

The condition of Harijan and Advasis in Madhya Pradesh is very pitiable. If there is the theft in the house of a Thakur the Advasis are arrested and vitimised and are sent to jails.

The Harijans whose property and crops have been destoryed should adequately be compensated. Provision should be made for their food Those who were wounded and were not given adquate treatement should be admitted in the hospital.

It has been said that a conference shoud be called is to bansh castism from our country. The Government should give immediate attention for the progress of Harijans and Advasis. We are not satisfied with the inquiry ordered by the Madhya Pradesh State Government. The C. B. I. should be entrusted with this work. In that case only true facts will come to light. Those facts should be placed before the independent Judicial Commission so that the accused may be severely punished.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : The incidents which occurred in the Bilaspur District of Madhya Pradesh should not be looked upon from party point of view. The tension between the Harijans and Advasis and Caste Hindus is increasing day by day. It has nothing to do with the complexion of a particular Government.

Efforts should be made to create harmony and establish good relations between different Communities in our Society.But it shou d be borne in mind that it is a difficult task and will take some time. Social transformation cannot be achieved through law. Different sections of the Society should work in this direction.Brahmans and people of the depressed classes live side by side in the slums of Bombay.

We should try to go to the root of the problem. The Commission, wh ch has been appointed, will also go into the matter and make recommendations. All of us should solve the problem in a united manner.

श्री रा० डो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से बिलासपुर में जो घटना घटी है वह दुःखद थी। यह दुःख की बात है कि 28 तारीख को जो कुछ हुआ उसका औचित्य पोकर्लसिंह की ओर से दिए जाने की माँग की गई। चूंकि इस बारे में आयोग स्थापित किया गया और वह जाँच कर रहा है मुझे इस बारे में कोई व्यौरा देने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री उस समय उस स्थान पर क्यों गए जब कि उन्हें विदित था कि वहाँ पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगी हुई है।

इस प्रकार की घटना पहली बार नहीं हुई है। सी घटनायें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों में भी हुई हैं। केवल तीन महीने पहले अलीगढ़ में स्कूल के प्रधानाचार्य के सामने एक बहुत ही योग्य लड़के के टुकड़े कर दिये गए। (व्यवधान)

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 8 मार्च, 1968 / फाल्गुन 18, 1889 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 8th March 1968/ 18 Phalguna, 1889 (Saka.).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3